तृतीय माला, खंड 44, अंक 1 सोमवार, 16 अगस्त, 1965/25 श्रावण, 1887 (शक)

Third Series, Vol. XLIV, No. 1 Monday, August 16, 1965/Sravana 25, 1887 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र / Twelfth Session]

Parliament Library
26.12.83

[खंड 44 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XLIV contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया Price : One Rupee

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1042 (ai) LS—1.

विषय-सूची

[तृतीय माला, खंड 44—बारहवां सत्र, 1965]

अंक 1—सोमवार, 16 अगस्त, 1965/25 श्रावण, 1887 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1–2
निधन सम्बन्धी उल्लेख	2—5
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या	
1 भारत-पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी सेना का जमाव .	6—10
2 चीन द्वारा वायु सीमा का उल्लंघ . . .	10–11
3 पाकिस्तान द्वारा अमरीकी हथियारों का प्रयोग . .	11—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या	
4 नागालैंड में शान्ति वार्ता	19–20
5 जंजीबार में भारतीयों की सम्पत्ति . . .	21
6 पाकिस्तानी सहायक उच्चायुक्त का शिलांग स्थित कार्यालय .	21–22
7 हिन्द महासागर में आंग्ल-अमरीकी अड्डे . . .	22–23
8 पाकिस्तान के सैनिक विमानों की भारत पर से उड़ान .	23
9 प्रतिरक्षा संस्थानों में असैनिक कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड .	23–24
10 रूस से ट्रांस्मिटर	24–25
11 संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से जैट-विमानों का निर्माण .	25
12 यूगोस्लाविया से ट्रांस्मिटर	26
13 परमाणु परीक्षण	26–27
13क चीन का दूसरा परमाणु विस्फोट	27
14 दक्षिण रोडेशिया सरकार	27
15 मिट्टी हटाने के भारी उपकरण बनाने का कारखाना . .	28
17 सड़क कूटने वाले इंजन तथा वायु-संपीड़क (एयर कम्प्रसर) .	28–29
18 मजदूर सघ	29

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

[*Third Series, Vol. XLIV—Twelfth Session,* 1965]

No. 1—Monday, August 16, 1965/Sravana 25, 1887 (Saka)

	Subject	PAGES
	Members Sworn	1-2
	Obituary Reference	2-5
	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
**Starred Question Nos.*		
1	Pak Build-up on Indo-Pak Border	6-10
2	Air space Violations by China	10-11
3	Use of U.S. ARMS by Pakistan	11-19
	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.		
4	Peace talks in Nagaland	19-20
5	Properties of Indians in Zanzibar	21
6	Pakistan Assistance High Commissioner's Office in Shillong	21-22
7	Anglo-American Bases in Indian Ocean	22-23
8	Overflight of Pakistan Military Planes	23
9	Wage Board for Civilian Employees in Defence Establishments	23-24
10	Transmitter from USSR	24-25
11	Manufacture of Jets with U.A.R. Collaboration	25
12	Transmitters from Yugoslavia	26
13	Nuclear Tests	26-27
13A	Second Chinese Nuclear Explosion	27
14	South Rhodesian Government	27
15	Heavy Earth Moving Equipment Factory	28
17	Road Rollers and Air Compressors	28-29
18	Labour Unions	29

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
19	बोनस का भुगतान	29–30
20	पाकिस्तान द्वारा भारतीय बस्तियों पर कब्जा	30–31
21	दिल्ली स्थित चीनी दूतावास और पाकिस्तानी उच्चायोग की गतिविधियां	31
22	भारतीय राज्य क्षेत्र में चीन द्वारा अवैध प्रवेश	32
23	भारत चीन विवाद	32–33
24	आकाशवाणी को लोक निगम में बदलना	33
25	भारतीय वायु सेना द्वारा गोलाबारी अभ्यास के समय दुर्घटना	33–34
26	जंजीबार में पैदा हुए भारतीय	34
27	टेलीविजन कार्यक्रम का विस्तार	35–36
28	भारतीय नौसेना के लिये पनडुब्बी	36–37
29	चीन द्वारा दूसरे अणु बम का विस्फोट	37–38
30	भारत-श्रीलंका करार	38–39

अतारांकित प्रश्न संख्या		
1	नागपुर में पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय	39
2	विमान दुर्घटना	39–40
3	स्मारक टिकट	40
4	केरल में डाक तथा तार की सुविधायें	40–41
5	ट्रावनकोर रबड़ एण्ड टी कम्पनी द्वारा बोनस का भुगतान	41–42
6	मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम	42
7	नेशनल रबड़ वर्क्स में तालाबन्दी	42
8	छावनी बोर्डों में हिन्दी का प्रयोग	43
9	पाकिस्तान में भारतीय युद्धबन्दी	43–44
10	जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन	44
11	काश्मीर में अणु शक्ति केन्द्र	44–45
12	चीनी तथा पाकिस्तानी आक्रमणों पर बनाई गई फिल्में	45
13	वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा भेजे गये बुलेटिन	45
14	चीन की चेतावनी	46
15	ढाका में भारतीय चांसरी के सामने प्रदर्शन	46–47
16	रोजगार सेवा में विदेशियों को प्रशिक्षण देना	47
17	परमाणु हथियारों का फलाव	47–48
18	तार के फार्म	48
19	तार शुल्क की वापसी	48–49
20	नौसेना के विमान की दुर्घटना	49
21	रेडियो व्यय को तार व्यय के साथ मिलाना	49
22	चमड़ा उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड	49–50
23	भारतीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना का जमाव	50

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
19	Payment of Bonus	29-30
20	Occupation of Indian Enclaves by Pakistan	30-31
21	Activities of Chinese Embassy & Pak High Commission in Delhi	31
22	Chinese Intrusions into Indian Territory	32
23	India-China Dispute	32-33
24	Conversion of A.I.R. into Public Corporation	33
25	IAF Firing Practice Accident	33-34
26	Indians born in Zanzibar	34
27	Expansion of T.V. Programme	35-36
28	Submarine for Indian Navy	36-37
29	Explosion of Second Atom Bomb by China	37-38
30	Indo-Ceylon Agreement	38-39
Unstarred Question Nos.		
1	P.M.G's Office Nagpur	39
2	Flying Accident	39-40
3	Commemoration Stamp	40
4	P. & T. Facilities in Kerala	40-41
5	Payment of Bonus by Travancore Rubber and Tea Company	41-42
6	Motor Transport Workers Act	42
7	Lock out in National Rubber Works	42
8	Use of Hindi in Cantonment Boards	43
9	Indian P.O.Ws. in Pakistan	43-44
10	I.L.O. Conference in Geneva	44
11	Atomic Power Station in Kashmir	44-45
12	Films on Chinese and Pak Aggression	45
13	Bulletins circulated by Ministry of External Affairs	45
14	Warning by China	46
15	Demonstration before Indian Chancery in Dacca	46-47
16	Training of Foreigners in Employment Service	47
17	Proliferation of Nuclear Weapons	47-48
18	Telegram Forms	48
19	Refund of Telegram Charges	48-49
20	Naval Aircraft Crash	49
21	Amalgamation of Radio Expenses with Telegraph Expenses	49
22	Wage Board for Leather Industries	49-50
23	Concentration of Pakistani troops on Indian Border	50

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
24	लाठीटिला क्षेत्र में गोलाबारी	50
25	दिल्ली में मंत्रियों की अनुपस्थिति	51
26	वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री की विदेश यात्रा	51
27	भारी पानी बनाने का संयंत्र	52
28	उत्तर प्रदेश के डाकघरों को बड़े डाकघर बनाना	52
29	गोरखपुर में आकाशवाणी केन्द्र	52—53
30	कालीकट में डाक-तार कर्मचारियों के लिये आवास	53
31	कालीकट-त्रिवन्द्रम केन्द्र को दो केन्द्रों में विभाजित करना	53
32	फिल्म सेंसर बोर्ड	53—54
33	केरल में पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्ति	54
34	सरदार पटेल-नेहरू पत्र-व्यवहार	54
35	लाहौर जाने वाले सिख तीर्थ-यात्री	54—55
36	टेवीविजन सेट	55
37	मलाबार हिल्स (बम्बई) में टेलीफोन	55—56
38	सरकारी क्षेत्र के उद्योग	56
39	गोरखपुर में श्रमिक भर्ती डिपो	56
40	ढाका में भारतीय उप-उच्चायोग	57
41	संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों को पाकिस्तानी बीजा	57
42	सेना कर्मचारियों की पदोन्नति	58
43	बिना लाइसेन्स के रेडियो सेट	58—59
44	अल्जीयर्स सम्मेलन के लिये भारतीय प्रतिनिधिमंडल	59
45	वैमानिक उच्च-शिक्षा देने वाली संस्था	59—60
46	प्रतिरक्षा संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये नगर भत्ता तथा मकान किराया भत्ता	60
47	उर्वरक कारखाना, गोरखपुर	61
48	मसूरी में ग्रीष्म नाटक समारोह	61
49	स्कर्डू में पुल	61
50	अल्जीरिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति बेन बेला	62
51	उगांडा के लिये हथकरघे	62
52	टेलीप्रिंटर	63
53	डाक तथा तार विभाग में हिन्दी	63
54	छावनी बोर्डों में हिन्दी का प्रयोग	63—64
55	अन्तर्राष्ट्रीय रहन-सहन सम्बन्धी उद्योग	64—65
56	दक्षिण बिहार एक्सप्रेस में छंटाई अनुभाग (सारटिंग सेक्शन)	65
57	डाक व तार प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार	65—66
58	पटना में रेलवे डाक व्यवस्था कार्यालय की इमारत	66
59	"भारी पानी" का निर्यात	66

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
24	Firing in Lathitilla Area	50
25	Minister's Absence from Delhi	51
26	Visit abroad of Deputy Minister, External Affairs	51
27	Heavy Water Plant	52
28	Upgrading of Post Offices in U.P.	52
29	A.I.R. Station at Gorakhpur	52-53
30	Accommodation for P & T Employees at Calicut	53
31	Bifurcation of Calicut Trivandrum Station	53
32	Film Censor Boards	53-54
33	Educated Unemployment in Kerala	54
34	Sardar Patel Nehru Correspondence	54
35	Sikh Pilgrims to Lahore	54-55
36	T.V. Sets	55
37	Telephones in Malabar Hills (Bombay)	55-56
38	Public Sector Industries	56
39	Labour Recruitment Depot, Gorakhpur	56
40	Indian Deputy High Commission at Dacca	57
41	Pak visas to U.N. Experts	57
42	Promotions of Army Personnel	58
43	Unlicenced Radios	58-59
44	Indian Delegation to Algiers Conference	59
45	Institution for Advanced Aeronautical studies	59-60
46	City Compensatory and House Rent Allowance for Defence Establishment Personnel.	60
47	Fertilizer Factory, Gorakhpur	61
48	Summer Drama Festival at Mussoorie	61
49	Bridge at Skardu	61
50	Former Algerian President Ben Bella	62
51	Handloom for Uganda	62
52	Teleprinters	63
53	Hindi in P & T Department	63
54	Use of Hindi in Cantonment Boards	63-64
55	Experiments in International living	64-65
56	Sorting Section in South Bihar Express	65
57	P & T Regional Training Centre in Bihar	65-66
58	Patna R.M.S. Building	66
59	Export of Heavy Water	66

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
60	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर . . .	67
61	भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी . . .	67
62	थुम्बा के पास वेली में प्रयोगशाला . . .	68

विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में 68

'भारत ज्योति' में लोक लेखा समिति के ऊपर लगाये गये आक्षेपों तथा उसके सम्पादक द्वारा क्षमा याचना के बारे में 68–69

खादी आयोग के प्रचार निदेशक द्वारा 'टाइम्स आफ इण्डिया' तथा 'इकोनामिक टाइम्स' में लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में की गई टिप्पणियों के बारे में 70–71

स्थगन प्रस्तावों, ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं आदि के बारे में (प्रक्रिया) 71

सभा पटल पर रखे गये पत्र 71–83

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति 83

संसदीय समितियां—

कार्य का सारांश 83

पुस्तकालय समिति के नियमों में संशोधन 84

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में 84–85

सदस्य का त्याग-पत्र—

(श्री कानूनगो) 85

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . 85

(दो) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य . . . 86

जम्मू तथा काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा पर तथा अन्य स्थानों पर और भारत पाकिस्तान सीमाओं पर स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . 86–88

(श्री यशवन्त राव चह्वाण)

मंत्रि परिषद में अविश्वास प्रस्ताव 89–91

विधेयक प्रस्तुत :—

(एक) हिन्दू धार्मिक धर्मस्व विधेयक . . . 91

(दो) खुदाबक्श ओरियन्टल पब्लिक लायब्रेरी विधेयक. . 91

(तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक. 92

(चार) अधिलाभांश की अदायगी विधेयक 92–93

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
60	Hindustan Aeronautics Ltd., Kanpur . .	67
61	Ex-I.N.A. Personnel	67
62	Laboratory at Veli near Thumba	68

Re: Questions of Privilege 68

Re: Aspersions on P.A.C. in Bharat Jyoti and apology by the Editor 68-69

Re: Comments on report of P.A.C. by Director of Publicity, Khadi Commission in Times of India and Economic Times . . . 70-71

Re: Motions for Adjournment, Calling Attention notices, etc. (Procedure) 71

Papers Laid on the Table 71-83

President's Assent to Bills 83

Parliamentary Committees—Summary of Work . . 83

Amendments to rules of Library Committee . . . 84

Re: President's Assent to Bills . . . 84-85

Resignation of Member (Shri Nityanand Kanungo) . .. 85

Banaras Hindu University (Amendment) Bill—

(*i*) Report of Joint Committee; and . . 85

(*ii*) Evidence before Joint Committee . . 86

Statement on situation along cease-fire line and elsewhere in Jammu and Kashmir as well as along Indo-Pakistan Borders (Shri Y. B. Chavan) 86-88

Motions of no-confidence in the Council of Ministers 89-91

Bills introduced—

(1) Hindu Religious Endowments Bill . . . 91

(2) Khuda Baksh Oriental Public Library Bill 91

(3) Aligarh Muslim University (Amendment) Bill . . . 92

(4) Payment of Bonus Bill 92-93

विषय	पृष्ठ
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य .	93
अधिलाभांश की अदायगी अध्यादेश के बारे में वक्तव्य . . .	93
गुजरात-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के सम्बन्ध में भारत-पाकिस्तान करार के बारे में प्रस्ताव	93–115
श्री लाल बहादुर शास्त्री	99–102
श्री रंगा	103–105
श्री इन्द्रजीत गुप्त	105–106
श्री सचीन्द्र चौधरी	107–109
श्री याज्ञिक	109
श्री बाकर अली मिर्जा	110
श्री विद्याचरण शुक्ल	110–111
डा० मा० श्री० अणे	111–113
श्री हिम्मतसिंहका	113
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	113–114
श्री बिशन चन्द्र सेठ	114–115
कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—	
सैंतीसवां प्रतिवेदन	115

Subject	PAGES
Statement *re*: Aligarh Muslim University (Amendment) Ordinance	93
Statement *re*: Payment of Bonus Ordinance	93
Motion *re*: Indo-Pakistan agreement on Gujarat-West Pakistan Border.	93-115
Shri Lal Bahadur Shastri	99-102
Shri Ranga	103-105
Shri Indrajit Gupta	105-106
Shri Sachindra Chaudhuri	107-109
Shri Yajnik	109
Shri Bakar Ali Mirza	110
Shri Vidya Charan Shukla	110-111
Dr. M. S. Aney	111-113
Shri Himatsingka	113
Shri J. P. Jyotishi	113-114
Shri Bishanchander Seth	114-115
Business Advisory Committee—Thirty-Seventh Report . .	115

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंकिनीडु, श्री (गुडिवाडा)

अंजनप्पा, श्री (नेल्लोर)

अकम्मा देवी, श्रीमती (नीलगिरी)

अचल सिंह, श्री (आगरा)

अच्युतन, श्री (मावेलिक्करा)

अणे, डा० मा० श्री (नागपुर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल वहीद, श्री (वैल्लोर)

अरुणाचलम, श्री (रामनाथपुरम्)

अलगेशन, श्री (चिंगलपट)

अल्वारेस, श्री (पंजिम)

आ

आज़ाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)

आल्वा, श्री अ० शंकर (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फीरोजपुर)

इम्बीचिबाबा, श्री इ० कु० (पोन्नाणि)

इलियापेरुमाल, श्री (तिरुकोइलूर)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

उ

उइके, श्री म० गं० (मंडला)

उटिया, श्री (शहडोल)

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवां)

उमानाथ, श्री (पुद्दुकोट्टै)

उलाका, श्री रामचन्द्र (कोरापुट)

ए

एंथनी, श्री फ्रेंक (नाम-निर्देशित—आंग्ल भारतीय)
एरिंग, श्री डा० (नाम-निर्देशित—उत्तर-पूर्व सीमांत क्षेत्र)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (सुरेन्द्रनगर)

क

कक्कड़, श्री गौरीशंकर (फतेहपुर)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (देवास)
कजरोलकर, श्री सादोबानारायण (बम्बई मध्य)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडाडी, श्री मांदेप्पा बंदप्पा (शोलापुर)
कनकसबै, श्री (चिदाबरम्)
कन्डप्पन, श्री (तिरूचेंगोड)
कन्नमवार, श्रीमती ताई (चांदा)
कपूर सिंह, सरदार (लुधियाना)
कबिर, श्री हुमायून् (बसिरहाट)
कयाल, श्री परेशनाथ (जयनगर)
कश्यिरमण, श्री (गोबीचेट्टिपलयम)
कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)
कामले, श्री तु० द० (लातूर)
कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किशन वीर, श्री (सतारा)
किशिंग, श्री रिशांग (बाह्य मनीपुर)
कुन्हन, श्री प० (पालघाट)
कुमारन, श्री मे० क० (चिरयिन्कील)
कुरील, श्री बजनाथ (रायबरेली)
कृपा शंकर, श्री (डुमरियागंज)

क—क्रमशः

कृपालानी, श्री जी० भ० (अमरोहा)
कृष्ण, श्री मं० रं० (पेद्दपल्लि)
कृष्णपाल सिंह, श्री (जलेसर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (त्रिचेंदूर)
केदरिया, श्री छ० म० (मांडवी)
कॅप्पन, श्री चेरियान (मुवात्तुपुजा)
केसर लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
कोया, श्री मुहम्मद (कोजीकोड)
कोलाको, डा० (गोआ, दमन और दीव)
कोहोर डा० राजेन्द्र (फूलबनी)
कौजलगी, श्री हे० वी० (बलगांव)

ख

खन्ना, श्री प्रेम किशन (कायमगंज)
खन्ना, श्री मेहर चन्द (नई दिल्ली)
खां, श्री उस्मान अली (अनन्तपुर)
खां, डा० पूणन्दनारायण (उलुबेरिया)
खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)
खाडिलकर, श्री र० के० (खेड़)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गजराज सिंह राव, श्री (गुड़गांव)
गणपति राम, श्री (मछलीशहर)
गयासुद्दीन अहमद, (श्री धुबरी)
गहमरी, श्री शिवनाथ सिंह (गाजीपुर)
गांधी, श्री व० बा० (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)
गुप्त, श्री काशीराम (अलवर)
गुप्त, श्री प्रिय (कटिहार)
गुप्त, श्री बादशाह (मैनपुरी)

ग—क्रमश:

गुप्त, श्री शिवचरण (दिल्ली—सदर)
गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा)
गुह, श्री अ० चं० (बारसाट)
गोकरन प्रसाद, श्री (मिसरिख)
गोनी, श्री अब्दुल गनी (जम्मू तथा काश्मीर)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोंडर, श्री मुत्तु (तिरुत्तूर)
गौड़, श्री वीरन्ना (बंगलौर)

घ

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री न० रं० (जलपाईगुड़ी)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची-पूर्व)

च

चक्रवर्ती, श्री प्र० रं० (धनबाद)
चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बैरकपुर)
चटर्जी, श्री नि० चं० (बर्दवान)
चटर्जी, श्री ह० प० (नवद्वीप)
चतर सिंह, श्री (चम्बा)
चतुर्वेदी, श्री श० ना० (फिरोजाबाद)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्रभान सिंह, डा० (बिलासपुर)
चन्द्रशेखर, श्रीमती मा० (मयूरम)
चन्द्रिकी, श्री जगन्नाथराव (रायचूर)
चव्हाण, श्री दा० रा० (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (नासिक)
चांडक, श्री भी० ल० (छिंदवाड़ा)
चावड़ा, श्रीमती जोहराबेन (बनस्कंठा)
चुनीलाल, श्री (अम्बाला)
चौधरी, श्रीमती कमला (हापुड़)
चौधरी, श्री चन्द्रमणिलाल (महुआ)

च—क्रमशः

चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा)

चौधरी, श्री सचीन्द्रनाथ (घाटल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम)

जमीर, श्री स० चु० (नामनिर्देशित—नागालैण्ड)

जमुना देवी, श्रीमती (झाबुआ)

जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम)

जयरामन, श्री (वांडीवाश)

जाधव, श्री तुलशीदास (नांदेड़)

जाधव, श्री माधवराव लक्ष्मणराव (मालेगांव)

जेधे, श्री गुलाबराव केशवराव (बारामती)

जेना, श्री कान्हूचरण (भद्रक)

जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (सीधी)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (बलरामपुर)

ज्योतिषी, श्री ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झा, श्री योगेन्द्र (मधुबनी)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ड

डे, श्री सु० कु० (नागौर)

त

तनसिंह, श्री (बाड़मेर)

ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार)

तिवारी, श्री कमलनाथ (बगहा)

तिवारी, श्री द्वारकानाथ (गोपालगंज)

त—क्रमश

तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुला राम श्री (घाटमपुर)
तेवर, श्री थेरावा (थंजावूर)
त्यागी, श्री महावीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री कृष्ण देव (उन्नाव)
त्रिवेदी, श्री उ० मू० (मन्दसौर)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)
थांगल, श्री नल्लाकोया (नामनिर्देशित—लक्कदीव, मिनिकाय, और अमीनदीवी द्वीप समूह)
थेनगोंडर, श्री गोपालस्वामी (नागपट्टिनम्)

द

दफले, श्री (मिरज)
दलजीत सिंह, श्री (ऊना)
दशरथ देव, श्री (त्रिपुरा पूर्व)
दांडेकर, श्री नारायण (गोंडा)
दाजी, श्री होमी (इंदौर)
दास, श्री (तिरुपति)
दास, श्री नयन तारा (जमुई)
दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, डा० मनमोहन (आसग्राम)
दास, श्री सुधांशु भूषण (डायमन्ड हार्बर)
दिगे, श्री भास्कर नारायण (कोलाबा)
दिनेश सिंह, श्री (सालोन)
दिक्षित, श्री गो० ना० (इटावा)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारीलाल (बीजापुर उत्तर)
दुरै, श्री काशीनाथ (अरूप्पुकोट्टै)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देव, श्री विजयभूषण (रायगढ़)
देवभंज, श्री पू० चं० (भुवनेश्वर)
देशमुख, श्री भ० द० (औरंगाबाद)
देशमुख, श्रीमती विमला बाई पंजाबराव (अमरावती)

द—क्रमशः

देशमुख, श्री शिवाजीराव शंकरराव (परभणी)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धर्मलिंगम, श्री र० (तिरुवन्नामलाई)
धवन, श्री (लखनऊ)
धूलेश्वर मीना, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकंठा)
नम्बियार, श्री आनन्द (तिरुचिरापल्लि)
नाथपाई, श्री (राजापुर)
नायक, श्री दे० जी० (पंचमहल)
नायक, श्री महेश्वर (मयूरभंज)
नायक, श्री मोहन (भंजनगर)
नायडू, श्री ब० गोविन्दस्वामी (तिरुवल्लूर)
नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन (अम्बलपुजा)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नास्कर, श्री पू० शे० (मथुरापुर)
निगम, श्रीमती सावित्री (बांदा)
निरंजन लाल, श्री (नाम-निर्देशित—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह)
नेसामनी, श्री (नागरकोइल)

प

पण्डित, श्रीमती विजय लक्ष्मी (फूलपुर)
पंत, श्री कृष्णचन्द्र (नैनीताल)
पटनायक, श्री किशन (सम्बलपुर)
पटनायक, श्री वैष्णव चरण (ढेंकानाल)
पटेल, श्री छोटूभाई (भड़ौंच)
पटेल, श्री नानू भाई नि० (बुलसार)
पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० (पाटन)
पटेल, श्री मानसिंह पृ० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पट्टाभिरामन, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम)
पन्नालाल, श्री (अकबरपुर)
परमशिवन, श्री स० क० (इरोड)
पराधी, श्री भोलाराम (बालाघाट)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पाटिल, श्री जु० शं० (जलगांव)
पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री देवराम शिवराम (यवतमाल)
पाटिल, श्री मा० भ० (रामटेक)
पाटिल, श्री बसन्तराव (चिकोड़ी)
पाटिल, श्री वि० तु० (कोल्हापुर)
पाटिल, श्री सं० बं० (बीजापुर—दक्षिण)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई—दक्षिण)
पाण्डेय, श्री राम सहाय (गुना)
पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)
पाण्डेय, श्री सरजू (रसड़ा)
पाराशर, श्री (शिवपुरी)
पालीवाल, श्री टीकाराम (हिंडोन)
पिल्ले, श्री नटराज (त्रिवेन्द्रम)
पुरी, श्री दे० द० (कैथल)
पृथ्वीराज, श्री (दौसा)
पोट्टेकाट्ट, श्री (टेलीचेरी)
प्रताप सिंह, श्री (सिरमूर)
प्रभाकर, श्री नवल (दिल्ली—करोलबाग)

फ

फिरोडिया, श्री मोतीलाल कुन्दनमल (अहमदनगर)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बटेश्वर सिंह, श्री (गिरडीह)
बड़कटकी, श्रीमती रेणुका देवी (बारपेटा)
बड़े, श्री रामचन्द्र (खारगोन)

ब—क्रमशः

बबरुब्बुजा, श्री (मुर्शिदाबाद)
बनर्जी, डा० रा० (बांकुरा)
बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्लचन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री राजेन्द्र नाथ (जोरहाट)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री प० चं० (कूच-बिहार)
बसन्त कुमारी, श्रीमती (केसरगंज)
बसवन्त, श्री सोनूभाई दागडू (थाना)
बसुमतारी, श्री ध० (ग्वालपाड़ा)
बाकलीवाल, श्री (दुर्ग)
बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)
बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्ण सिंह, श्री (चन्दौली)
बालकृष्णन, श्री (कोइलपट्टी)
बाल्मीकी, श्री क० ला० (खुर्जा)
बासप्पा, श्री (तिपतुर)
बिष्ट, श्री जं० ब० सिंह (अलमोड़ा)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा—पश्चिम)
बूटा सिंह, श्री (मोगा)
बृजवासी लाल, श्री (फैजाबाद)
बृजराज सिंह, श्री (बरेली)
बृजराज सिंह—कोटा, श्री (झालावाड़)
बेसरा, श्री स० चं० (दुमका)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेरो, श्री (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्मप्रकाश, श्री (बाह्य दिल्ली)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मीनारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भ—क्रमशः

भगत, श्री बलीराम (शाहाबाद)
भगवती, श्री वि० चं० (दरंग)
भटकर, श्री लक्ष्मणराव श्रवनजो (खामगांव)
भट्टाचार्य, श्री च० का० (रायगंज)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सेरामपुर)
भानुप्रकाश सिंह, श्री (रायगढ़)
भार्गव, पंडित मुं० बि० ला० (अजमेर)
भील, श्री प० ह० (दोहद)

म

मण्डल, श्री जियालाल (खगरिया)
मण्डल, डा० प० (विष्णुपुर)
मण्डल, श्री यमुना प्रसाद (जयनगर)
मंत्री, श्री द्वारका दास (भीर)
मच्छराजू, श्री प० (नरसीपटनम)
मजीठिया, श्री सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री (कोट्टयम)
ममायन, श्री (दार्जिलिंग)
मनोहरन, श्री (मद्रास—दक्षिण)
मरंडी, श्री ईश्वर (राजमहल)
मरुथैया, श्री (मेलर)
मलाइछामी, श्री (पेरियाकुलम)
मलिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)
मल्लया, श्री उ० श्री० (उदोपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)
मसानी, श्री मी० रु० (राजकोट)
मसुरिया दीन, श्री (चैल)
महताब, श्री हरे कृष्ण (अंगुल)
महतो, श्री भजहरि (पुरुलिया)
महन्ती, श्री गोकुलानन्द (बालासोर)
महादेव प्रसाद, डा० (महाराजगंज)
महादेव प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महानन्द, श्री ऋषिकेश (बोलनगीर)

म—क्रमशः

महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़—उत्तर)
मडोड़ा, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)
माते, श्री कुरे (डोंगरगढ़)
माथुर, श्री शिवचरण (भीलवाड़ा)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (जालोर)
मालवीय, श्री के० दे० (बस्ती)
मालो नरियप्पा, श्री (तुमकुर)
मिनीमाता, श्रीमती अगमदास गुरु (बालोदा बाजार)
मिर्जा, श्री बाकर अली (वारंगल)
मिश्र, डा० उदयकर (जमशेदपुर)
मिश्र, श्री बिभुधेन्द्र (पुरी)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगुसराय)
मिश्र, श्री महेश दत्त (खंडवा)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामधर (मिरजापुर)
मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रत्नगिरि)
मुकर्जी, श्री ही० ना० (कलकता-मध्य)
मुकाने, श्री यशवन्तराव मार्तण्डराव (भिवण्डि)
मुजफ्फर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
मुथिया, श्री (तिरुनेलवली)
मुन्जनी, श्री डेविड (लोहरदगा)
मुरमू, श्री सरकार (बलूरघाट)
मुरली मनोहर, श्री (बलिया)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद इस्माइल, श्री (मंजेरी)
मुहम्मद यूसुफ, (श्री सीवन)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० सू० (अमलापुरम)
मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्लि)
मेनन, श्री कृष्ण (बम्बई—उत्तर)
मेनन, श्री प० गो० (मुकन्दपुरम)

म—क्रमश:

मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)

मेहता, श्री ज० रा० (पाली)

मेहता, श्री जसवन्त (भावनगर)

मेहबी, श्री सै० ग्र० (रामपुर)

मेहरोत्रा, श्री ब्रज बिहारी (बिल्हौर)

मंगी, श्री गोपालदत्त (जम्मू तथा काश्मीर)

मैमूना सुल्तान, श्रीमती (भोपाल)

मोरे, डा० कृ० ल० (हतकंगले)

मोरे, श्री शं० शा० (पूना)

मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)

मोहसिन, श्री (धारवाड़—दक्षिण)

मौर्य, श्री बु० प्रि० (ग्रलीगढ़)

य

यशपाल सिंह, श्री (कैराना)

याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (ग्रहमदाबाद)

यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)

यादव, श्री भीष्म प्रसाद (केसरिया)

यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

यादव, श्री राम हरख (ग्राजमगढ़)

युद्धवीर सिंह, श्री (महेन्द्रगढ़)

र

रंगा, श्री (चित्तूर)

रंगराव, श्री र० व० गो० कु० (चीपुरुपल्लि)

रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)

रघुरामैया, श्री को० (गुंटूर)

रणंजय सिंह, श्री (मुसाफिरखाना)

रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)

रतन लाल, श्री (बांसवारा)

राउत, श्री भोला (बतिया)

राघवन, श्री ग्र० व० (बडागरा)

राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)

र—क्रमशः

राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजा, श्री चित्तरंजन (जूनागढ़)
राजा राम, श्री (कृष्णगिरि)
राजू, श्री द० बलराम (नरसापुर)
राजू, डा० द० स० (राजामंड्री)
राज्यलक्ष्मी, श्रीमती ललिता (औरंगाबाद)
राणे, श्री शिवरामरंगो (बुलडाना)
राम, श्री तु० (सोनबरसा)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (कोयम्बटूर)
रामधनीदास, श्री (नवादा)
रामनाथन चेट्टियार, श्री (करूर)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)
रामभद्रन, श्री (कडलूर)
राम सिंह, श्री (बहराइच)
रामसुभग सिंह, डा० (विक्रमगंज)
रामसेवक, श्री (जालोन)
रामस्वरूप, श्री (राबर्ट्सगंज)
रामस्वामी, श्री व० क० (नामक्कल)
रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)
रामेश्वर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
रामेश्वरानन्द, श्री (करनाल)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (दमोह)
राय, डा० सारादीश (कटवा)
राव, डा० कु० ल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री स० वा० कृष्णमूर्ति (शिमोगा)
राव, श्री जगन्नाथ (नौरंगपुर)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री मुत्याल (महबूबनगर)
राव, श्री रमापति (करीमनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)

र—क्रमशः

राव, श्री ज० रामेश्वर (गढ़वाल)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
राशनइले, श्री (धूलिया)
रेड्डिगार,, श्री वेंकटसुब्बा (तिन्डीवनम)
रेड्डी, श्री ये० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री नरसिम्हा (राजमपेट)
रेड्डी, श्री ग० नारायण (आदिलाबाद)
रेड्डी, डा० बे० गोपाल (काबलि)
रेड्डी, श्री यलमन्दा (मारकापुर)
रेड्डी, श्रीमती यशोदा (करनूल)
रेड्डी, श्री र० ना० (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री रामकृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रा० सुरेन्द्र (महबूबाबाद)
रेड्डी, श्री हु० चा० लिंग (चिकबलापुर)

ल

लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती (खम्मम)
लक्ष्मी दास, श्री (मिरयालगुडा)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती संगम (विकाराबाद)
लखमू भवानी, श्री (बस्तर)
ललित सेन, श्री (मण्डी)
लहरी सिंह, श्री (रोहतक)
लाखन दास, चौधरी (शाहजहांपुर)
लाटन चौधरी, श्री (सहरसा)
लास्कर, श्री निहाररंजन (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (मुंगेर)
लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)
लोहिया, डा० राम मनोहर (फर्रुखाबाद)

व

वर्मा, श्री कुं० कृ० (सुल्तानपुर)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वर्मा, श्री मा० ला० (चित्तौड़गढ़)

व—क्रमशः

वर्मा, श्री रवीन्द्र (तिरुवल्ला)

वर्मा, श्री सूरजलाल (सीतापुर)

वाडीवा, श्री (स्योनी)

वारियर, श्री कृ० क० (त्रिचूर)

वाल्वो, श्री लक्ष्मण वेदु (नानदरबार)

वासनिक, श्री बालकृष्ण (गोंडिया)

विजय आनन्द, महाराजकुमार (विशाखापटनम)

विजय राजे, श्रीमती (छपरा)

विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (होशियारपुर)

विमला देवी, श्रीमती (एलुरु,

विश्राम प्रसाद, श्री (लालगंज)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरबासप्पा, श्री (चित्रदुर्ग)

वीरभद्र सिंह, श्री (महासू)

वीरेन्द्र बहादुर सिंह, , श्री (राजनन्दगांव)

वेंकटासुब्बय्या, श्री पेंदेकान्ति (अडोनी)

वेंकैया, श्री कोल्ला (तेनालि)

वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (साबरमती)

व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकरय्या, श्री (मैसूर)

शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)

शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)

शर्मा, श्री अ० प्र० (बक्सर)

शर्मा, श्री कृ० चं० (सरधना)

शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)

शशांक मंजरी, श्रीमती (पालामऊ)

शशिरंजन, श्री (पपरी)

शामनाथ, श्री (दिल्ली-चांदनी चौक)

शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (बिजनौर)

शास्त्री, श्री रामानन्द (रामसनेही घाट)

शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)

शाह, श्रीमती जयाबैन (अमरेली)

श—क्रमश:

शाह, श्री मनुभाई (जामनगर)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शिकरे, श्री (मरमागोम्रा)

शिन्दे, श्री अन्ना साहेब (कोपरगांव)

शिवनंजप्पा, श्री (मंड्या)

शिव नारायण, श्री (बांसी)

शिव प्रधासन, श्री कु० (पांडीचेरी)

शिवशंकरन, श्री (श्रीपेरुमबुदूर)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमन्द)

श्यामकुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर)

श्रीनारायण दास, श्री (दरभंगा)

श्रीनिवासन, डा० (मद्रास उत्तर)

स

सत्यनारायण, श्री बिड्डिका (पार्वतीपुरम)

सत्य भामा देवी, श्रीमती (जहानाबाद)

सनजी रूपजी, श्री (नामनिर्देशित—दादरा तथा नगर हवेली)

समनानी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

सर्राफ, श्री श्यामलाल (जम्मू तथा काश्मीर)

सहगल, श्री अ० सिं० (जंजगीर)

साधूराम, श्री (फिलौर)

सामन्त, श्री स० चं० (तामलक)

साहा, डा० शिशिर कुमार (बीरभूम)

साहू, डा० रामेश्वर (रोसेरा)

सिघवी, डा० लक्ष्मीमल्ल (जोधपुर)

सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (ग्वालियर)

सिंह, श्री अजित प्रताप (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री कृष्ण कान्त (महाराजगंज)

सिंह, श्री गोविन्द कुमार (मिदनापुर)

सिंह, श्री जय बहादुर (घोसी)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर)

सिंह, डा० ब० ना० (हजारीबाग)

सिंह, श्री यवराजदत्त (शाहाबाद)

सिंह, श्री यज्ञ नारायण (सुन्दरगढ़)

स—क्रमश:

सिंह, श्री स० टो० (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिद्दय्या, श्री (चामराजनगर)
सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिद्धान्ती, श्री जगदेव सिंह (झज्जर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी (पटना)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्बारामन, श्री (मदुरै)
सुब्रह्मण्यम, श्री चि० (पोल्लाची)
सुब्रह्मण्यम, श्री टेंकुर (बेल्लारी)
सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फर नगर)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्य प्रसाद, श्री (भिंड)
सेझियान, श्री इरा (पैरम्बलूर)
सेठ, श्री बिशनचन्द्र (एटा)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकता-उत्तर पश्चिम)
सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)
सेन, डा० रानेन (कलकत्ता-पूर्व)
सोनावने, श्री (पंढरपुर)
सोय, श्री हरिचरण (सिंहभूम)
सोलंकी, श्री प्रवीणसिंह नटवरसिंह (कैरा)
सौंदरम रामचन्द्रन, श्रीमती (डिंडिगल)
स्नातक, श्री नरदेव (हाथरस)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालन्धर)
स्वामी, श्री मंडलावेंकट (मसुलीपटनम)
स्वामी, श्री म० ना० (ओंगोल)
स्वामी, श्री म० प० (टकासी)
स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कोप्पल)
स्वैल, श्री ज० गि० (आसाम-स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (झाड़ग्राम)
हक, श्री मु० मो० (अकोला)
हजरनवीस, श्री रं० म० (भंडारा)
हाजरिका, श्री जो० ना० (डिब्रूगढ़)
हनुमन्तैया, श्री (बंगलौर नगर)
हरवानी, श्री अन्सार (बिसौली)
हिम्मतसिंहका, श्री प्रभुदयाल (गोड्डा)
हिम्मतसिंहजी, श्री (कच्छ)
हुकम सिंह, सरदार (पटियाला)
हेडा, श्री (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक सभा

अध्यक्ष

सरदार हुकम सिंह

उपाध्यक्ष

श्री कृष्णमूर्ति राव

सभापति तालिका

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्री तिरुमल राव

श्री खाडिलकर

डा० सरोजिनी महिषी

श्री सोनावने

सचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

गृह-कार्य मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

वित्त मंत्री—श्री ति० त० कृष्णमाचारी

सूचना और प्रसारण मंत्री—श्रीमती इंदिरा गांधी

वैदेशिक-कार्य मंत्री—श्री स्वर्ण सिंह

रेलवे मंत्री—श्री स० का० पाटिल

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री—श्री अ० कु० सेन

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री यशवन्त राव चह्वाण

इस्पात और खान मंत्री—श्री संजीव रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री चि० सुब्रह्मण्यम

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्यनारायण सिंह

शिक्षा मंत्री—श्री मु० क० चागला

श्रम और रोजगार मंत्री—श्री दामोदर संजीवय्या

पुनर्वास मंत्री—श्री महावीर त्यागी

राज्य-मंत्री

निर्माण और आवास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री मनुभाई शाह

परिवहन मंत्री—श्री राज बहादुर

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सु० कु० डे

स्वास्थ्य मंत्री—डा० सुशीला नायर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री जयसुखलाल हाथी

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण तथा प्रविधिक विकास मंत्री—श्री को० रघुरामैया

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री अलगेशन

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री—डा० राम सुभग सिंह

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री र० म० हजरनवीस

सिंचाई और विद्युत् मंत्री—डा० कु० ल० राव

योजना मंत्री—श्री ब० रा० भगत

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री—श्री अ० म० थामस

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री—श्री लि० ना० सिंह

उपमंत्री

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री—डा० म० मो० दास

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाहनवाज खां

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री सैं० वें० रामस्वामी

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री—श्री अहमद मुहीउद्दीन

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दा० रा० चह्वाण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री—श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री—श्रीमती मारागाथम चन्द्रशेखर

विधि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री जगन्नाथ राव

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शामनाथ

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—डा० द० स० राजू

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दिनेश सिंह

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री—श्री विभुधेन्द्र मिश्र

संचार विभाग में उपमंत्री—श्री विजयचन्द्र भगवती

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री—श्री श्यामधर मिश्र

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री—श्री प्रकाश चन्द्र सेठी

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रतनलाल किशोरीलाल मालवीय

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रामेश्वर साहू

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—श्री भक्त दर्शन

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री पू० शे० नास्कर

सभा-सचिव

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव—श्री अन्नासाहेब शिन्दे

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री डा० एरिंग

सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा-सचिव—श्री सै० अ० मेंहदी

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव—श्री ललित सेन

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री स० चु० जमीर

इस्पात और खान मंत्री के सभा-सचिव—श्री डोडा तिम्मय्या

खंड 44] तीसरी लोक-सभा के बारहवें सत्र का पहला दिन [अंक 1

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 16 अगस्त, 1965 / 25 श्रावण, 1887 (शक)

Monday, August 16, 1965/Sravana 25, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the* Chair]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

MEMBERS SWORN

अध्यक्ष महोदय : सचिव उन सदस्यों के नाम पुकारेंगे जिन्हें कि संविधान के अन्तर्गत शपथ लेनी है और बाद में संसद्-कार्य मंत्री उन सदस्यों का सभा में परिचय देंगे ।

सचिव : श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी ।

संचार तथा संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मुझे इस बात मुका हर्ष है कि मैं श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी का परिचाय सदन से करा रहा हूं । आप महबूबाबाद (आंध्र प्रदेश) के चुनाव क्षेत्र से चुन कर आये हैं । यह स्थान श्री ई० मधुसुदन राव की मृत्यू से रिक्त हुआ था ।

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी (महबूबा बाद) :

सचिव : श्री एच० सी० लिंग रेड्डी ।

श्री सत्य नारायण सिंह : मुझे श्री एच० सी० लिंग रेड्डी का सदन से परिचय कराते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है । आप मैसूर के चिकबलापुर के चुनाव क्षेत्र से चुन कर आये हैं । यह स्थान श्री क० च० रेड्डी द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पद ग्रहण करने से खाली हुआ था ।

श्री एच० सी० लिंग रेड्डी (चिकबलापुर) ।

सचिव : श्रीमती विमला बाई पंजाबराव देशमुख ।

श्री सत्य नारायण सिंह : मुझे सदन को श्रीमती बिमला बाई पंजाबराव देशमुख को सदन से परिचित कराते हुए अपार हर्ष हो रहा है । आप महाराष्ट्र के अमरावती चुनाव क्षेत्र से चुन कर आयी हैं । यह स्थान डा० पंजाब राव देशमुख की मृत्यू से रिक्त हुआ था ।

श्रीमती विमला बाई पंजाबराव देशमुख (अमरावती)

सचिव : श्री माली मरियप्पा ।

श्री सत्यनारायण सिंह : मुझे श्री माली मरियप्पा का सदन से परिचय कराते हुए अपार हर्ष हो रहा है । आप मैसूर के तमकुर चुनाव क्षेत्र से चुन कर के आये हैं । यह स्थान श्री अजित प्रसाद जैन के त्यागपत्र के कारण रिक्त हुआ था ।

श्री माली मरियप्पा (तमकुर)

OBITUARY REFERENCES
निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे छ: मित्रों के खेदजनक निधन का उल्लेख करना है । वे हैं :— श्री मोहनलाल सक्सेना ; श्री दुनी चन्द ; श्री वंकटेश नारायण तिवारी ; श्री त० ब० बिठ्ठल राव ; श्री ब० पोकर साहब और श्री श्यामराव विष्णु पारूलेकर ।

श्री मोहनलाल सक्सेना 1935 से 1957 के बीच केन्द्रीय विधान सभा, संविधान सभा, अन्तर्कालीन संसद् और प्रथम लोक-सभा के सदस्य रहे । वह 1948 से 1950 तक पुनर्वास मंत्री भी रहे । 16 मई, 1965 को नई दिल्ली में 69 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया ।

श्री दुनीचन्द केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे । यहां यह 1923 से 1926 तक रहे । नई दिल्ली में 21 जून, 1965 को 97 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया ।

श्री वंकटेश नारायण तिवारी 1946 से 1950 तक संविधान सभा के सदस्य रहे । 1952 से 1957 तक प्रथम लोकसभा के भी वह सदस्य थे । नयी दिल्ली में 21 जून, 1965 को उनका देहान्त हो गया । आप 75 वर्ष के थे ।

श्री त० ब० विठ्ठलराव 1952 से 1962 तक प्रथम और द्वितीय लोक-सभा के सदस्य रहे । उनका 50 वर्ष की आयु में कोटागुडम में 25 जून, 1965 को देहान्त हो गया ।

श्री ब० पोकर साहब 1946 से 1950 तक भारत की संविधान सभा के सदस्य रहे और 1952 से 1962 तक वह प्रथम तथा द्वितीय लोक-सभा के सदस्य रहे । कालीकट में उनकी 29 जुलाई, 1965 को मृत्यू हो गई ।

श्री शामराव विष्णु परूलेकर 1957 से 1962 तक द्वितीय लोक-सभा के सदस्य रहे । 3 अगस्त, 1965 को बंबई में 63 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया ।

श्री रंगा (चित्तूर): अध्यक्ष महोदय, श्री मोहन लाल सक्सेना को मैं गत 30 वर्षों से जानता था । हम दोनों उन दिनों इस सदन में चुन करके आये थे जब अंग्रेजों का बहुमत था । हम ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया और यूनियन जैक को नीचे उतारा जो कि इस सदन और अध्यक्ष की अनुमति के बिना ही लगाया गया था ।

कांग्रेस संसदीय दल के सचिव भी हम एक साथ रहे । वह अच्छे देश भक्त, ईमानदार सामाजिक कार्यकर्त्ता थे । उन्होंने देश की आवास अवस्था को ठीक करने की ओर सारे देश का ध्यान आकृष्ट किया । उन्होंने शहरी और देहाती दोनों क्षेत्रों में काम किया । मुझे उनके निधन पर बहुत ही अधिक खेद है ।

श्री बिट्ठलराव को औद्योगिक श्रमिकों के हितों का बहुत ध्यान रहता था । उनके हितों के लिए ईमानदारी से लड़ते हुए हमने उन्हें देखा ।

अन्य मित्र भी हमारे अच्छी प्रकार परिचित मित्र थे। उनके निधन से हम सब को खेद हुआ है। हमारा आप से निवेदन है कि हमारा शोक संदेश उनके संतप्त परिवारों तक पहुंचा दिया जाए ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर): इस अन्त:सत्र काल में जिन लोगों का निधन हुआ उन्हें मैं अपने आदर और श्रद्धा के फूल भेंट करती हूं ।

श्री मोहनलाल सक्सेना, श्री बिट्ठलराव और श्री पारूलेकर और श्री पोकर साहब से तो हम नये सदस्य भी परिचित थे। दो तो हमारे दल के ही सदस्य थे। श्री विटठलराव प्रथम लोक सभा और द्वितीय लोक-सभा में हमारे साथ रहे । यह खेद की बात है कि उनका कम आयू में ही देहान्त हो गया । वह बहुत ही परिश्रमी तथा नेक व्यक्ति थे । उन्होंने कार्मिक संघों और मजदूर वर्गों के लिए बहुत कार्य किया और कष्ट सहे ।

श्री स० व० परूलेकर जी का देहान्त नजरबन्दी में हुआ है, यह विशेष बात है । यह बड़े खेद की बात है कि जब सदस्य बीमार होते हैं तो भी उन्हें नजरबन्द रक्खा जाता है और उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता । हमें सरकार की इस बात के लिए निन्दा करनी है कि उन्होंने श्री परूलेकर के साथ अन्तिम क्षणों में ठीक व्यवहार नहीं किया ।

श्री पोकर साहब भी सदन के पुराने सदस्य थे । मैं उन्हें और श्री मोहनलाल सक्सेना को भी अपनी श्रद्धा के फूल भेंट करती हूं। हम नये-नये सदस्यों को शेष दो दिवंगत सदस्यों से तो मिलने का भी कभी अवसर नहीं मिला था । मैं अपने दल की ओर से निवेदन करना चाहती हूं कि सदन की ओर से दिवंगतों के सम्बन्धियों को हमारी सबकी संवेदना व्यक्त कर दी जाए ।

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजरी) : मैं भी दिवंगत महानुभावों के लिये अपना शोक प्रकट करता हूं । श्री ब० पोकर के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

वह संविधान सभा के बड़े सक्रिय सदस्य थे और उनका उसकी कार्यवाही में बड़ा महत्वपूर्ण अंशदान रहता था । केरल और मद्रास में वह बार के भी महत्वपूर्ण सदस्य रहे। अपने साहस, स्पष्ट-वादिता और आत्मविश्वास के लिये वह प्रसिद्ध थे ।

सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के रूप में और मद्रास विधान सभा और इस सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने देश की बहुत भारी सेवा की । वे इस सभा में दो बार चुने गये । देश की भलाई के कार्यों में उनकी रुचि थी ।

सामाजिक कार्यों में उन्होंने हमें अदम्य साहस, विश्वास और ईमानदारी का परिचय प्रत्येक समय दिया । उनका केवल अपने दल के व्यक्ति ही आदर नहीं करते थे, दूसरे दलों के लोग भी उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे । मेरा निवेदन है कि इस सदन की संवेदना उनके परिवार के सदस्यों तक पहुंचा दी जाए ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I want to pay my tributes to all my friends who are no more amongst us today. Shri Syamrao Vishnu Parulker expired in jail in detention under the D.I.R. The entire country is having a doubt that he has not died a natural death. I want to draw the attention of the Home Minister towards this fact and request him to give a statement. Our friends in jail should not meet the same fate.

प्रधान मंत्री और अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): श्री मोहनलाल सक्सेना, श्री दुनीचन्द, श्री वंकटेश नारायण तिवारी, श्री त० ब० विट्ठलराव, श्री ब० पोकर साहिब और श्री श्यामराव विष्णु पल्लकर के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये गये उनसे मैं सहमत हूं।

वे सदन के सदस्य रह चुके हैं और काफी काल से देश के सार्वजनिक जीवन से सम्बन्धित रहे हैं। श्री मोहनलाल सक्सेना कई वर्षों तक केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य रहे। फिर वह इस सदन के भी सदस्य रहे। और बाद में राज्य सभा के सदस्य रहे। उनका जीवन त्याग का जीवन था और उन्होंने जो देश की सेवा की उसके लिए देश का प्रत्येक वर्ग उनसे प्रभावित है।

बड़े कठिन समय में वह मंत्री भी रहे। वह पुनर्वास मंत्री थे और उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले लाखों विस्थापितों के पुनर्वास का कार्य किया। जो कुछ भी उन्होंने किया बड़ी योग्यता और प्रभावशाली ढंग से किया।

श्री वंकटेश नारायण तिवारी भी हमारे सार्वजनिक जीवन के एक वरिष्ठ व्यक्ति थे। वह एक अच्छे लेखक भी थे। वह कई समितियों के भी सक्रिय सदस्य थे। समितियों की बैठकों की चर्चा में उनका अंशदान बड़ा महत्वपूर्ण रहता था। श्री विट्ठल राव को भी मैं अच्छी तरह से जानता था। यद्यपि वह विरोधी पक्ष की ओर थे फिर भी हमेशा रचनात्मक बातें करते थे। यद्यपि वह हमेशा आलोचना करते थे फिर भी सक्रिय सदस्य के रूप में सरकार के विचारार्थ अनेक सुझाव भी प्रस्तुत करते थे।

लाला दूनीचन्द भी बहुत अच्छे कार्यकर्त्ता थे। उनके निधन पर हमें बहुत ही खेद है। मैं निवेदन करता हूं कि संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में उपरोक्त भावनाओं के प्रति सहमति व्यक्त करते हुए हमें कुछ समय के लिए मौन खड़े हो जाना चाहिए।

इसके पश्चात् सदस्य तब कुछ समय तक मौन खड़े रहे

(*The memders then stood in silence for a short while.*)

अध्यक्ष महोदय: मैं सन्तप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेज दूंगा। मेरा यह भी निवेदन है कि इस अवसर की गम्भीरता को देखते हुए हमें कोई आलोचना नहीं करनी चाहिए। इससे अवसर की गम्भीरता नष्ट हो जाती है। यह मेरा परामर्श है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—केन्द्रीय): आपने ठीक ही कहा है। परन्तु यदि कोई सदस्य नजरबन्दी में मर जाता है तो इस प्रकार का उल्लेख आ ही जाता है। परन्तु इस तरह का उल्लेख ठीक नहीं आप का यह कथन ठीक नहीं लगता कि ....

अध्यक्ष महोदय: मैंने यह कहा है कि यदि दिवंगतों को श्रद्धांजलि देते हुए यदि हमने विवादास्पद विषय ले लिये तो ये उन दिवंगत आत्माओं के प्रति अन्याय होगा। सरकार की आलोचना के और बहुत अवसर होते हैं। मेरे विचार में इस मामले में मेरा कहना ठीक ही है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: आपने ठीक ही कहा है, उन्होंने यह समझा कि आपने कहा कि उनका कहना ठीक नहीं। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री दाजी: तो क्या अनेक लोग नजरबन्दी ही में मर जाएं?

अध्यक्ष महोदय : आप यह प्रश्न मुझे क्यों पूछ रहे हैं ? अब हम प्रश्नों को लेते हैं ?

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मेरा निवेदन यह है कि आज सबसे सजीव प्रश्न कच्छ और काश्मीर का है । इसका ध्यान लोगों को सबसे अधिक है। अतः मेरा सुझाव है कि आज प्रश्न काल को समाप्त कर काश्मीर आक्रमण पर चर्चा की जाए ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति . . . ।

यह उचित ढंग नहीं है । जनसंघ नेता को इसके बारे में मुझे पहले लिखना चाहिए था कि वह इस प्रश्न को प्रस्तुत करना चाहते हैं । वह एक उत्तरदायी दल के नेता हैं, उन्हें उचित ढंग से सूचना देनी चाहिये थी । ऐसा उन्होंने नहीं किया ।

दूसरी बात यह है कि मुझे कार्यसूची के अनुसार चलना है । सारे सदन की अनुमति के बाद ही प्रश्नकाल समाप्त किया जा सकता है । मुझे कार्यसूची के अनुसार चलना है ।

श्री बड़े (खारखोन) : काश्मीर का प्रश्न भी है और यह महत्वपूर्ण भी है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, परन्तु इस चर्चा को इस समय नहीं लिया जा सकता ।

Shri Brajraj Singh (Bareilley): Sir, my submission is that the obituary references are generally made after the question hour. Today they have been taken before, perhaps the question hour has lost its importance.

Mr. Speaker: You have been absent for a long time. You don't know that it can be done by notification in the bulletin.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): The Kashmir and Kutch problem is also very important......

Mr. Speaker: Honourable member is stating the same thing which his leader has said.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : आपने जो कुछ कहा है उस पर हमारा दल सदन से बहिर्गमन की अनुमति चाहता है ? **(अन्तर्बाधाय)**

अध्यक्ष महोदय : उसकी कोई आवश्यकता तो नहीं है ; शान्ति, शान्ति ।

(इसके पश्चात् श्री उ० मू० त्रिवेदी और कुछ अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गये)

(Shri U. M. Trivedi and some other members then left the House)

अध्यक्ष महोदय : हम अब प्रश्न लेंगे । श्री रामेश्वर टांटिया ।

श्री रामेश्वर टांटिया : प्रश्न संख्या 1 **(अन्तर्बाधायें)**

कुछ माननीय सदस्य : हमें सुनाई नहीं दे रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : शांति रखिए, खामोश रहिए, तभी आप मंत्री महोदय को सुन सकते हैं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत-पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी सेना का जमाव

+

*1. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री डी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री बागड़ी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री गुलशन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ सब जगह पाकिस्तानी सेना बहुत अधिक संख्या में जमा हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिमी पाकिस्तान से हवाई तथा समुद्री रास्तों से पूर्वी पाकिस्तान को और भी कुमक लगातार पहुंच रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पाकिस्तानी खतरे का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) तथा (ख). कच्छ पर हाल के आक्रमण में पश्चिम तथा पूर्व की दोनों भारत पाक सीमाओं में स्थित अन्य छाताधारी सेनाओं के अतिरिक्त पाकिस्तान की प्रायः समस्त सेना प्रयुक्त की गई थी । सेना तथा वायुसेना की कुछ पुनर्बल सेनाएं अन्तरिक्ष और समुद्र मार्ग से पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान भेजी गई थीं ।

रन कच्छ में समझौते के पश्चात युद्धविराम के सिवाय सभी सीमाओं पर, हालत कुछ हद तक सुधर गई थी ।

(ग) अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सभी पग उठाए गए हैं, और जारी हैं ।

Shri Rameshwar Tantia : Thousands of Pakistani infiltrators have entered Jammu and Kashmir and have reached upto Srinagar. It is obvious that preparations for this might have been made for a pretty long time. I want to know why the Central patrolling parties and State Intelligence Department could not detect it ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन की राय जानना चाहता हूं । क्या हमें इस को शीघ्र ही इस विषय पर होने वाली चर्चा तक छोड़ नहीं देना चाहिये और अब इस समय अनुपूरक प्रश्न नहीं करने चाहियें ?

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न तथा उत्तर महत्वपूर्ण हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नियमित रूप से चर्चा होने वाली है और सभी बातों पर विचार होगा ।

श्री दाजी : प्रश्न में सीमा के दूसरे भाग का भी उल्लेख है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसी मांग है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

Shri Bagri: When this question has been put and answer has been given by the Minister, questions should be allowed on it.

Mr. Speaker: The notice for this question was received earlier, so it has been included in the list.

Shri Rameshwar Tantia: I want to know whether state Government, central patrolling parties or Intelligence Department could not know that Pakistani infiltrators were coming stealthily? If that is so, what action is being taken by Government of India to avoid the recurrence of such infiltration in Assam and Bengal?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : श्रीमान्, एकाएक यह सूचना राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार को मिली थी कि वे ऐसी कार्यवाही करने वाले हैं । इसीलिये पहले से ही कुछ कदम उठाये गये थे और उन लोगों की आशाओं पर पानी फिर गया है और काश्मीर घाटी में उनको मुंह की खानी पड़ी है। राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार की तैयारी तथा जानकारी का यही प्रमाण है।

Shri Rameshwar Tantia: Is it a fact that arms and ammunition and some papers belonging to Pakistani infiltrators were seized from some religious places in Srinagar? If so, what action has been taken against those who manage those places?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह ठीक है कि एक मस्जिद से कुछ हथियार तथा बारूद आदि पकड़ा गया है । राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

श्रीमती सावित्री निगम : जब सरकार को यह सूचना मिली कि हमारी सीमा के साथ साथ पाकिस्तानी सेनाएं जमा ही रही हैं तो क्या सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया गया था और क्या गुप्तचर विभाग को भी सचेत कर दिया गया था ? यदि हां, तो किस दिन और किस समय सरकार को पाकिस्तान की काश्मीर में घुसपैठ की सूचना मिली ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : प्रश्न काल के पश्चात मैं इस संपूर्ण विषय पर ब्यौरेवार वक्तव्य देने जा रहा हूं । फिर भी यदि माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछना चाहें तो मैं बाद में उत्तर दे दूंगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने भारत पर केवल बाहर से ही आक्रमण नहीं किया बल्कि भारत के अन्दर भी तोड़फोड़ की कार्यवाही को प्रोत्साहन दिया है ? केवल काश्मीर में ही नहीं अपितु भारत के अन्य भागों में भी ऐसा किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसी कार्रवाई की रोकथाम के लिये क्या कर रही है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहां तक काश्मीर का सम्बन्ध है कड़ी कार्यवाही की जा रही है । जहां कहीं उनका पता चलता है उनको दण्ड दिया जाता है । जहां वह छिपे होते हैं वहां से उन्हें ढूंढ कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

Shri Yashpal Singh: Maharaja Prithivi Raj Chauhan had forgiven mmed Ghori 17 times. Is Shri Chavan maintaining that Rajput n by forgiving the invaders or is there some other reason for this?

Shri Y. B. Chavan: There is now question of forgiving?

श्री प्र० चं० बरुग्रा : घुसपैठ करके ग्रासाम तथा पश्चिमी बंगाल में लाखों की संख्या में पाकिस्तानी ग्रा गये हैं ग्रौर पाकिस्तान ने सीमा पर बहुत बड़ी संख्या में सेना जमा कर ली है । ऐसी स्थिति में पूर्वी क्षेत्र में भी क्या पाकिस्तानी ग्राक्रमण की ग्राशंका नहीं है यदि है, तो क्या सरकार ग्रपनी सेना को जवाबी कार्यवाही करने के ग्रादेशों पर विचार कर रही है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है । सभी सीमा क्षेत्रों में ग्रावश्यक कार्यवाही की जा चुकी है ।

श्री प्र० र० चक्रवर्ती : क्या काश्मीर में शुरू की गई गड़बड़ की वजह से सरकार को पाकिस्तान द्वारा पूर्वी क्षेत्र में भी गड़बड़ किये जाने की कोई ग्राशंका है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : पाकिस्तान के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते । हम समझते हैं कि वह किसी भी स्थान पर गड़बड़ ग्रारंभ कर सकता है ।

Shri Naval Prabhakar: Which are the places on Eastern border where Pakistani forces have been concentrated and what is their approximate number?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं यह जानकारी नहीं दे सकता ।

Shri Bagri: Mr. Speaker, Sir, according to the Hon. Minister's statement the concentration of Pakistani forces on the border and the violation of border by them has taken place after the Kutch Agreement was signed. Have the Government noticed that it is due to weak policy adopted by them? Pakistan is violating that agreement by indulging in nefarious activities. May I know whether Government is considering to abrogate that agreement?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : नहीं श्रीमान् । हम यह बात नहीं मानते कि ये घटनायें कच्छ के समझौते के कारण हो रही हैं । यह स्थिति का ठीक विश्लेषण नहीं है ।

Shri Prakash Vir Shastri: Pakistani invaders are not only attacking outskirts of the capital city of Kashmir, but the city also. I want to know how is it that Pakistani infiltrators were able to enter Kashmir in spite of the presence of our army intelligence, central intelligence and state intelligence? Are such incidents taking place in Assam? Is any vigilance being exercised there so that these things may not be allowed to heppen there?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : श्रीमन्, जैसा मैंने पहले भी कहा है, कुछ घुसपैठ करने वाले श्रीनगर पहुंच गये थे परन्तु उनकी बहुत बड़ी संख्या को बाहर ही रोक दिया गया था ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : 'कुछ' नहीं बल्कि 'हजारों' ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : तीन विभाग हैं--केन्द्रीय गुप्तचर विभाग, सेना का गुप्तचर बिभाग ग्रौर राज्य गुप्तचर विभाग । ये तीनों भिन्न रूप से कार्य करते हैं परन्तु उनमें समन्वय रहता है । इसी ग्राधार पर इस का ग्रनुमान लगाया गया था । यह स्वाभाविक ही है कि इस प्रकार की सूचना या जानकारी न मिले कि किस समय या किस स्थान पर वे दाखिल होंगे । यह

इसलिये कि यह केवल एक ही स्थान पर नहीं किया गया बल्कि पूरी युद्ध विराम रेखा पर यह किया गया है । हमें आशंका थी कि वे घुसपैठ करेंगे । हमने इसके लिये श्रीनगर सुरक्षा योजना तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही कर ली गई थी कि महत्वपूर्ण की सुरक्षा कैसे करनी है ।

Shri Madhu Limaye: The Government Intelligence has utterly failed. This point has not been answered.

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Is Government sure that anti-national elements are not there in the three Intelligence Departments and the Administrative Departments of State and Central Government and it can be the result of the activities of those elements.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह कहना अतिशयोक्ति होगी । हां, कुछ जासूस पकड़े गये थे और उन के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में भी तोड़फोड़ करने वाले कुछ लोग हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्रीमान्, उन्होंने किसी विशेष मामले का उल्लेख नहीं किया है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: There is no question of a particular case. I have enquired about the entire administration.

श्री राम सहाय पाण्डेय : देश में यह ख्याल हो गया है कि पाकिस्तान के आक्रमण और उसकी सेना के सीमा पर जमाव की सूचना हमें बहुत बाद में मिलती है । क्या हमारा कोई ऐसा विभाग है जो पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों को जानने का कार्य करता है ? श्रीमान्, मुझे इस प्रश्न का संक्षिप्त और पूरा उत्तर चाहिये ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हमें इसकी जानकारी थी कि कई महीनों से पाकिस्तान में इसके लिये तैयारी हो रही है । मैं इस संगठन के कार्यों के व्यौरे नहीं बता सकता । **(अन्तर्बाधाय)**

Shri Madhu Limaye: Government has not been able to stop the invaders.

Shri Gulshan: Is it a fact that in view of the infiltrators in the Kashmir valley, Government have issued instructions that unless our soldiers are attacked upon they should not attack on any one ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, नहीं, नीति ऐसे नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने एक साल पहले सरकार को यह सूचना दी थी कि काश्मीर में स्थिति बहुत खराब है और पाकिस्तानी लोग घुस आये हैं ? यदि यह सूचना ठीक थी तो क्या उस समय कोई कार्यवाही की गई थी या यह अभी आरंभ की गयी है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आन्तरिक तोड़फोड़ करने वालों के विरुद्ध बहुत समय से कार्यवाही हो रही थी । यह काम चलता रहता है **(अन्तर्बाधायें)** ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या मैं जान सकती हूं कि जब पाकिस्तानी सेना पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को विमानों द्वारा पहुंचाई गई थी, तो क्या वह भारत सरकार की आज्ञा लेकर किया गया था ; यदि नहीं, तो इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस विषय में आज्ञा का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों को इन गतिविधियों से अवगत कर दिया गया था और क्या उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के प्रधान सचिव को कोई रिपोर्ट भेजी है ताकि वह उस रिपोर्ट को सुरक्षा परिषद् को प्रस्तुत करें ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों को वर्तमान घटनाओं की पूरी जानकारी थी और हमारे विचार में वह तथ्यों के बारे में रिपोर्ट भेजेंगे ।

Air-Space Violations by China

*2. + **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Bagri:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the number of incidents of violation of Indian air-space by China has increased during the last three months;

(b) if so, the measures adopted to check them;

(c) whether any protest note has been sent to China; and

(d) if so, the reply received thereto?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी नहीं । वास्तव में पिछले तीन मास के दौरान चीनी वायु विमानों द्वारा, भारतीय अन्तरिक्ष-क्षेत्र के उल्लंघन की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

Shri Prakash Vir Shastri: The Defence Minister had said earlier in this House that if a country—particularly China or Pakistan—violates our air-space, we have made such arrangements that the intruder would be shot down. I want to know whether those arrangements have been completed and necessary steps taken in the matter.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने पहले भी सदन में कहा था कि कार्यवाही की गई है और कुछ की जा रही है । यह नहीं कहा जा सकता कि पूरी व्यवस्था कर दी गई है । यह काम तो चलता रहने वाला है । जहां तक कुछ विशेष क्षेत्रों में वायु सीमा के उल्लंघन का सम्बन्ध है, आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है ।

Shri Prakash Vir Shastri: Has the hon. Minister received reports from his intelligence Department that China has increased the number of fighter planes along the India border with Tibet and an air-field complex has been constructed?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी हां । हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि वहां हवाई अड्डे बढ़ा दिये गये हैं और वायु सेना में सुधार कर दिया गया है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Are Government aware that Chinese aeroplanes make reconnaissance flights over our territory near the border?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बात तो मैं कह रहा हूं और हम इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं ।

Shri Bagri: The Chinese Prime Minister Chou-En-lai flew across India without the permission of the Government. I want to know whether such thing has happened during last three months and has there been any such flight.

Shri Y. B. Chavan: No.

Shri Vishwa Nath Pandey: Is Government aware that photographs of strategic places in Assam and Tripura were taken by China in the last July and published in Chinese papers?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक इस क्षेत्र का सम्बन्ध है, हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है ।

पाकिस्तान द्वारा अमरीकी हथियारों का प्रयोग

\+

*3. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हेम बरुआ :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बड़े :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री वे० द० पुरी :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री दलजीत सिंह :
श्री हेडा :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री किन्दर लाल :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 3 मई, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1146 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ में पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा अमरीकी हथियारों के प्रयोग के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार की प्रतिक्रिया अथवा राय मालूम हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). अमरीका की सरकार ने भारत सरकार को यह आश्वासन दिलाया है कि उसने इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ सर्वोच्च स्तर पर उठाया था और इस बात का भी कि इसक परिणामस्वरूप अमरीकी हथियारों का इस प्रकार का दुरुपयोग बंद हो गया है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार ने अमरीका सरकार को साफ-साफ शब्दों में बता दिया है कि पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध प्रयोग किये जाने वाले अमरीकी हथियारों के सबन्ध में अमरीका सरकार की खामोशी भारत के प्रति मित्रता का द्योतक नहीं है और, यदि हां, तो इसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी नहीं। हमने इसे इस प्रकार नहीं कहा है। हमने पास्कितान द्वारा अमरीकी हथियारों के प्रयोग की ओर अमरीका का ध्यान दिलाया था और हमें इस बात का आश्वासन दिया गया था कि अमरीकी सरकार इस बारे में पाकिस्तान के अधिकारियों से बातचीत करेगी।

श्री हरि विष्णु कामत : माननीय मंत्री ने पहले कहा है कि इसके फलस्वरूप ऐसे हथियारों का दुरुपयोग बन्द हो गया है। क्या इससे सदन को यह अर्थ लगाना चाहिये कि काश्मीर में भारत के विरुद्ध अमरीकी हथियारों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : सदन को ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : इसका क्या अर्थ है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या काश्मीर में भी अमरीकी हथियारों का पाकिस्तान द्वारा प्रयोग किया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस बारे में प्रतिरक्षा मंत्री बता सकेंगे क्योंकि जो हथियार पकड़े गये हैं उनकी छानबीन प्रतिरक्षा अधिकारी कर रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। मैं उत्तर ठीक तरह से सुन नहीं सका।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि जो हथियार पकड़े गये हैं उनकी जांच हो रही है और परिणाम बाद में बताया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : समाचारपत्रों में ऐसे अनेक समाचार हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो भी हो, यही उत्तर है। श्री टांटिया।

Shri Rameshwar Tantia: May I know whether the use of American Arms by Pakistan against us has been brought to the notice of the Government of America; and if so, their response to it?

Mr. Speaker: It has already been answered.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रपति अयूब खां के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उनके पास हथियार तथा युद्धोपकरण हैं और यह फैसला करना उनका काम है कि उन्हें

कहां प्रयोग में लाया जाये ; तथा यदि हां, तो क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका का ध्यान इस ओर दिलाया है और यदि हां, तो क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने पाकिस्तान को कम से कम एक विरोध-पत्र भेजा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने राष्ट्रपति अयूब के वक्तव्य को समाचारपत्रों में देखा है। उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा है । **(अन्तर्बाधाएं)** आरम्भ से ही हमारा यह मत रहा है कि इस प्रकार के आश्वासन को क्रियान्वित करना सुगम नहीं है, परन्तु मुझे इस बात का पता नहीं कि क्या अमरीकी सरकार ने राष्ट्रपति अयूब को कोई विरोध-पत्र भेजा है ।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में प्रश्न यह था कि क्या हमने अमरीकी अधिकारियों का ध्यान राष्ट्रपति अयूब के इस वक्तव्य की ओर दिलाया है ।

श्री स्वर्ण सिंह : यह वक्तव्य खुले आम दिया गया था। हमने औपचारिक रूप से कोई विरोध नहीं किया ।

श्री हेम बरुआ : क्या वह इस प्रकार खुले आम दिये गये वक्तव्य अथवा अन्यथा दिये गये वक्तव्य के बीच कोई अन्तर मानते हैं ? उन्होंने यह वक्तव्य कराची में अमरीकी राजदूत का स्वागत करते हुए दिया था। यह भी नहीं भूलना चाहिये कि यह एक राजकीय स्वागत था तथा वहां पर राष्ट्रपति अयूब खां ने यह वक्तव्य दिया था ; इस वक्तव्य का महत्व इतना ही है जितना कि राजकीय रूप से दिये गये एक वक्तव्य का होता है। आपको शर्म आनी चाहिये . . . . . **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री हेम बरुआ : यह मेरी समझ से बाहर है। वह हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आप उन्हें सभी प्रकार के बहाने बना कर हमारी आंखों में धूल डालने की इजाज़त नहीं देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ को यह महसूस करना चाहिये कि वह इसे किसी से कम-से-कम मुझसे—कहीं अधिक अच्छी तरह से जानते हैं। मैं केवल उन्हें प्रश्न का उत्तर देने के लिये कह सकता हूं और बाकी सारा काम सभा को करना है। यदि इससे मेरी आंखें भी धुंधला जायेंगी तो मैं अवश्य हस्तक्षेप करूंगा ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से यह स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने पाकिस्तान की मार्फत कच्छ में हमारे विरुद्ध यह गन्दी चाल चली है और हमें क्षति पहुंचाने के पश्चात् अब हमें यह धोखा देने का प्रयत्न कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को इस सम्बन्ध में कुछ कहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा क्यों होने दिया जा रहा है ? वियतनाम तथा अन्य स्थानों पर किये जाने वाले अत्याचारों के सम्बन्ध में हमारे प्रधान मंत्री द्वारा आरम्भ में भीरुता से व्यक्त की गई आपत्तियों को हम कम महत्व देते हैं। हम अमरीका द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों की हल्की आलोचना इस आशा से करते हैं कि वे हमारे साथ उदारता से बर्ताव करेंगे परन्तु उनकी यह उदारता उन लोगों को सहायता देने में दृष्टिगोचर होती है, जो हमारे शत्रु हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार की नीति क्यों जारी रखी जाये ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रश्न में इतनी बातों का उल्लेख किया गया है कि उन सभी बातों का उत्तर देना मेरे लिये सुगम नहीं है . . .

अध्यक्ष महोदय : वह इन में से कम-से-कम एक बात का उत्तर दे सकते हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने पहले ही बता दिया है कि हमने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा प्रयोग किये गये अमरीकी हथियारों के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से प्रतिवाद किया था, और इस बारे में कोई दूसरा रवैया अपनाने का कोई प्रश्न ही नहीं है तथा इस सम्बन्ध में भीरुता का भी कोई प्रश्न नहीं है ।

Shri Yashpal Singh: Supposing, we protest and the Government of America rejects it. What the Government of India would then do if Pakistan uses American arms against us in spite of the rejection of the American Government?

अध्यक्ष महोदय : यह एक कल्पित प्रश्न है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने पाकिस्तानी सेना द्वारा भारत के विरुद्ध अमरीकी हथियारों के प्रयोग के बारे में अमरीका द्वारा किये गये प्रतिवादों अथवा की गई कार्यवाही से पाकिस्तान पर पड़े वांछित प्रभाव के स्वरूप का पता लगाने का कष्ट किया है ? अगर सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है तो क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि उस वांछित प्रभाव का ब्यौरा क्या है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस सम्बन्ध में दो बातें हैं जिनका मैं उल्लेख कर सकता हूं । एक यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने हमें सूचित किया है कि उन्होंने पाकिस्तान से इस मामले पर बात की थी और इसके परिणामस्वरूप उनको पाकिस्तान ने और आश्वासन दिये हैं कि इनका प्रयोग नहीं किया जायेगा । दूसरी बात यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार का यह निर्णय है कि पाकिस्तान द्वारा उस ओर की गई आक्रामक कार्यवाहियों को रोकने में उनके दबाव का कुछ योग है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने यह पता लगाने के लिये कि क्या उनके द्वारा पाकिस्तान को दिये गये हथियारों का भारत के विरुद्ध दुरुपयोग किया गया है, एक उच्च शक्ति प्राप्त सैनिक मिशन पाकिस्तान भेजा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : संयुक्त राज्य अमरीका के प्रेक्षक सैनिक पाकिस्तान में सदैव रहते हैं; मुझे इस बात का पता नहीं है कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने कोई विशेष उच्च शक्ति प्राप्त सैनिक मिशन पाकिस्तान भेजा है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि कच्छ क्षेत्र में कितने प्रतिशत अमरीकी तथा अन्य हथियार पकड़े गये और क्या इस बारे में कोई प्रतिवेदन अमरीकी सरकार को भेजा गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : कच्छ क्षेत्र में स्पष्टतया जिन अमरीकी हथियारों का उपयोग किया गया था वह था पेटन टैंकों और कुछ अन्य उपकरणों का उपयोग । कच्छ क्षेत्र में भारत के विरुद्ध प्रयोग किये गये अमरीकी हथियारों के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को दो बार विरोध-पत्र भेजे गये हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने कच्छ क्षेत्र में अमरीकी हथियारों के प्रयोग के सम्बन्ध में अमरीकी सरकार की चुप्पी पर एक अमित्रता की कार्यवाही के तौर पर समझा है जैसा कि हमारे संसद्-कार्य मंत्री ने कहा है, और यदि हां, तो क्या यह बात अमरीकी सरकार के ध्यान में लाई गई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं ने पहले ही बता दिया है कि इस मामले पर हमने अमरीकी सरकार से बातचीत की थी और उन्होंने पाकिस्तान सरकार से भी बातचीत की थी ।

Shri Prakash Vir Shastri: American arms have not only been used in Kutch but also in Kashmir as stated by the Defence Minister once or twice earlier in this House. In these circumstances will the Minister of External Affairs would tell the country through this House, that when it is brought to the notice of the Government of America, they take a lot of time to take any action, but when the posts in Kargil area were captured by Indian forces, they became very active. Will he be pleased to bring this dissatisfaction of India to their notice.

Mr. Speaker: It is a suggestion only.

Shri Jagdev Singh Siddhanti: You go on writing whether America gives any reply or not, but what action is being taken against it by us?

Shri Swaran Singh: They do send us a reply. I said that they had sent a reply.

Shri M. L. Dwivedi: The hon. Minister said that the arms used in Kutch were being examined so far as the press reports are concerned there have been in newspapers photographs of arms bearing Pakistani markings. I want to know whether there were any arms on which Pakistani markings were punched after erasing the original markings? Are the Government aware of such thing; and if so, the details thereof?

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक पृथक् प्रश्न है, जिसके लिये मुझे सूचना चाहिये ।

श्रीमती सावित्री निगम : पाकिस्तान सरकार द्वारा अमरीकी सरकार को दिये गये आश्वासन और हम को अमरीकी सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन को देखते हुए कि अमरीकी हथियारों का भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जायेगा, यदि पाकिस्तान अब भी अमरीकी हथियारों का हमारे विरुद्ध प्रयोग कर रहा है, तो इस बेहूदापन (नानसेन्स) को रोकने के लिये सरकार क्या विशेष कदम उठाने का विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्नों में अनावश्यक शब्दों और विशेषणों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये ।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं यह जानना चाहती हूं कि सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं ने उस कार्यवाही का पहले ही उल्लेख कर दिया है जो दो विशेष मामलों में की गई थी ।

श्री स० मो० बनर्जी : एक पिछले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह बताया था कि हमारे विरोध-पत्र के उत्तर में उन्होंने यह कहा था कि उन्होंने आदेश जारी कर दिये हैं और वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाकिस्तान अमरीकी हथियारों का हमारे विरुद्ध प्रयोग न करे । और इस समझौते का एक कारण उनका पाकिस्तान पर दबाव तथा प्रभाव भी था । क्या इससे यह अर्थ निकाला जा सकता है कि पाकिस्तान हमेशा अपने प्रोत्साहन के कारण ही आक्रमण करता है . . .

1042 (Ai) LS—4

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इन दोनों का कोई सम्बन्ध नहीं जोड़ता ।

श्री नाथ पाई : मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस सभा में जब कोई प्रश्न उत्तर के लिये स्वीकार किया जाता है तो आप उन सदस्यों के अतिरिक्त जिनका सूची में नाम होता है । अन्य सदस्यों को भी अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देते हैं । यदि हम उन्हीं सदस्यों तक सीमित रहे जिनका नाम सूची में है तो हम प्रश्न को एक और ध्यान दिलाने वाली सूचना में बदल देंगे । मैं इस सम्बन्ध में आप से पथ-प्रदर्शन चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अन्य सदस्यों को भी अवसर देता हूं । परन्तु यदि प्रश्न पर पहले ही काफी समय लग गया है और उसके बारे नें काफी प्रश्न पूछ लिये गये हैं, तो मैं अन्य सदस्यों को नहीं बुलाता । परन्तु जब मैं आवश्यक समझता हूं तो मैं उनको निश्चय ही बुलाता हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अमरीकी सरकार के रवैये तथा प्रतिक्रिया के बारे में सरकार की क्या राय है ; क्या वह इसे स्वीकार करती है कि जहां तक राजनैतिक और सैनिक संधियों का प्रश्न है, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय धोखा किया है ; क्योंकि पाकिस्तान ने साम्यवादी देशों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिये हथियार और गोला-बारूद लिये और अब उन्हीं की सांठ-गांठ से वह उन शस्त्रास्त्रों का हमारे विरुद्ध प्रयोग कर रहा है ? क्या अमरीकी सरकार अनुभव करती है कि उस के साथ बहुत बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय धोखा हुआ है ? क्या उसका उन हथियारों पर कछ भी नियंत्रण है जो उस ने पाकिस्तान को दिये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यह हथियार किसी विशेष प्रयोजन के लिये लिये गये थे और भारत के विरुद्ध उनका प्रयोग उस वचन का स्पष्ट उल्लंघन है । इस विषय में हमारे विचार सर्वथा स्पष्ट हैं । अमरीकी सरकार का विचार भी इतना ही स्पष्ट है या नहीं, इसका निर्णय हम उन पर ही छोड़ देते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न यह नहीं था । निस्संदेह हमें यह नितान्त स्पष्ट है कि यह सब से बड़ा राजनैतिक धोखा है । मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री यह कह रहे हैं । मैं केवल यह पूछ रहा हूं कि क्या उन्होंने कोई मूल्यांकन किया है . . . निस्सन्देह वह यह नहीं कह सकते कि अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिये । अमरीकी सरकार को अपने निर्णय लेने तथा अपनी प्रतिक्रिया निर्धारण करने का पूरा अधिकार है । मैं तो केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने . . .

अध्यक्ष महोदय : वह मुझ से पूछें ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं आप के द्वारा उन से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अमरीकी सरकार के रवैये तथा प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया है, क्या अमरीकी सरकार ने यह अनुभव किया है कि उनके साथ सब से बड़ा राजनैतिक धोखा किया गया है ? यदि वह इसे अनुभव करते हैं और समझते हैं, तो दूसरे प्रश्न का आशय यह है कि वह पाकिस्तान द्वारा हमारे विरुद्ध हथियारों का प्रयोग रोके । प्रश्न यह है कि क्या अमरीका का उन हथियारों पर कोई नियंत्रण है जो उसने पाकिस्तान को दिये हैं । हम उन से क्या करने की आशा रखते हैं ? उनकी नियंत्रण व्यवस्था क्या है, जिसके द्वारा वह पाकिस्तान द्वारा हमारे विरुद्ध हथियारों का प्रयोग रोकेंगे ? मैं एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं उन के आशय को समझता हूं परन्तु इस प्रकार के विषय में कोई सरकार अपने विचार पूर्णतः हमें नहीं बतायेगी । परन्तु कुछ बातों से पता चलता है कि विभिन्न

कार्यक्षेत्रों में पाकिस्तान की गतिविधियों के बारे में अमरीका को पता है और कई देशों से उनकी नई मित्रता के बारे में भी उनको पता है, परन्तु उन्होंने अभी तक इस विषय में कोई सार्वजनिक वक्तव्य नहीं दिया है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, यह मामला हमारे लिये काफी स्पष्ट है, परन्तु कई बार जब कोई मामला हमारे लिये स्पष्ट हो, हो सकता है दूसरी सरकारों के लिये उतना स्पष्ट न हो ।

श्री कपूर सिंह : क्या इस कहानी में कोई सचाई है कि कच्छ विवाद के समय अमरीका ने हमें चेतावनी दी थी कि चाहे अमरीकी हथियारों का प्रयोग हो अथवा न हो, किसी भी परिस्थिति में हमें बदला लेने के लिये पाकिस्तानी क्षेत्र में नहीं घुसना चाहिये ?

श्री स्वर्ण सिंह : ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी गई थी ।

श्री नाथ पाई : एक पिछले अवसर पर जब अमरीकी सरकार को इस देश की प्रतिक्रिया से अवगत कराने का विषय उठा था तो प्रधान मंत्री ने यह वक्तव्य देने का वचन दिया था । मेरे प्रश्न के उत्तर में प्रधान मंत्री ने यह बताया था कि उन्होंने अमरीका सरकार का ध्यान, पाकिस्तान द्वारा इस देश के विरुद्ध अमरीकी हथियारों के प्रयोग के बारे में दिलाया है, वह अमरीकी सरकार की उस पर प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इस के पश्चात् इस देश की सुरक्षा के विरुद्ध अमरीकी हथियारों के प्रयोग के बारे में अपनी असली भावना को हम उन तक पहुंचा देंगे । मैं जानना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को किस प्रकार कार्यान्वित किया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने पहले ही बता दिया है कि हमने अमरीकी सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत की थी और उसके परिणामों का भी मैंने उल्लेख कर दिया है ।

श्री नाथ पाई : मैंने बहुत सरल भाषा में प्रश्न पूछा था । उसको गलत समझने की कोई गुंजाईश नहीं थी । मैं जानना चाहता हूं कि अमरीकी सरकार का ध्यान साम्यवाद के साथ लड़ने के लिये दिये गये हथियारों के दुरुपयोग की ओर दिलाया था, परन्तु प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि अमरीकी सरकार की प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाने के पश्चात्, वह अमरीकी सरकार को बता देंगे कि हमारी इस विषय में कितनी प्रबल भावना है कि यह एक मित्र देश का अमैत्रीपूर्ण कार्य है ।

श्री स्वर्ण सिंह : इसके पश्चात् हमने फिर उनके साथ इस मामले को उठाया है और इस संबंध में इस सभा की तथा देश की तीव्र भावना से उनको अवगत कर दिया है ।

श्री भागवत झा आजाद : उनका क्या उत्तर है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जो मैं ने पहले बताया है वही उनका उत्तर है । वह कहते हैं कि उन्होंने स्वयं पाकिस्तान सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत आरम्भ कर दी है, और परिणाम मैं ने बता ही दिया है ।

श्री नाथ पाई : मैं एक व्यवस्था प्रश्न उठाना चाहता हूं । एक आश्वासन दिया गया था । प्रश्नों को आप देख सकते हैं । मैं ने प्रधान मंत्री से आश्वासन मांगा था कि वह इस

भावना को उच्चतम स्तर पर उन्हें बतायें और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि वह इसे स्वयं बतायगें । इस प्रश्न को टाला जा रहा है । मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह स्पष्ट है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है ।

श्री नाथ पाई : प्रधान मंत्री ने स्वयं आश्वासन दिया था कि वह इस मामले पर स्वयं कार्यवाही करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह कार्यवाही वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा ही की गई थी अथवा उन्होंने स्वयं देश के प्रधान मंत्री होने के नाते अमरीकी सरकार को हमारी भावना से अवगत कराया था ।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मुझे इस आश्वासन के बारे में कुछ नहीं पता । मैं रिकार्ड देखना चाहूंगा । मेरे विचार में मैं ने यह नहीं कहा कि मैं इस विषय पर राष्ट्रपति से अथवा उच्चतम स्तर पर बातचीत करूंगा । परन्तु, फिर भी मैं कार्यवाही के वृतान्त को देखूंगा ।

श्री के० दे० मालवीय : क्या सरकार को कुछ लोगों में विद्यमान इस भावना के बारे में पता है कि जब पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण अथवा अन्याय का प्रश्न उठता है तो हमारे अमरीकी मित्र मामले पर विचार करने का वचन देते हैं और जब भारत द्वारा अपने सम्मान की रक्षा के लिये कोई कड़ी कार्यवाही करने का प्रश्न उठता है तो हमारे अमरीकी मित्र उसे अनुचित समझते हैं और हमें कोई कार्यवाही करने के लिये बाध्य कर देते हैं जैसा कि कारगिल के विषय में हुआ ? क्या सरकार को पता है कि इस का देश के लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : कारगिल का उल्लेख किया गया है । मैं यह बता दूं कि अमरीका का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है । संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रतिवेदन दिया था, न कि संयुक्त राज्य ने । हमें तथ्यों का ठीक परिचय होना चाहिये । **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार हम प्रश्न काल के दौरान नहीं चल सकते । मैं मानता हूं कि कभी कभी उत्तर स्पष्ट अथवा सीधे नहीं होते । मेरी कठिनाई यह है कि प्रश्नों के मैं सीधे उत्तर नहीं दिलवा सकता क्योंकि प्रश्नों में कई प्रकार के निष्कर्ष, तर्क, आरोप होते हैं । यही मेरी कठिनाई है । यदि अनुपूरक प्रश्न सीधा हो तो मैं सरकार को भी सीधा उत्तर देने के लिये बाध्य कर सकता हूं । कभी कभी तो प्रश्न मेरी भी समझ में नहीं आते । मैं मंत्री को किस प्रकार उत्तर देने के लिये वाध्य कर सकता हूं ?

श्री भागवत झा आजाद : पिछले पन्द्रह मिनटों से सरकार से स्पष्ट उत्तर पाने के लिये अनुपूरक प्रश्न पूछे जा रहे हैं : कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता दिये जाने के बारे में हमारी सरकार की ओर से जो विरोध प्रकट किया गया था, उसका क्या हुआ । मैं यह कहता हूं कि इसका सीधा उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर आ गया है । अगला प्रश्न ।

श्री हेम बरुआ : प्रश्न संख्या 4 ।

अध्यक्ष महोदय : सभा की क्या राय है ? हमने 11.20 पर आरम्भ किया था और क्या हम 60 मिनट लें अथवा 12.00 बजे समाप्त कर दें ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जो भी तरीका हम अपनाएं, उसे हमें जारी रखना चाहिये। पांच या दस मिनट का नुकसान रोज हो सकता है। यदि आज हम 12.00 बजे के पश्चात् कार्य करते हैं तो अन्य दिनों पर भी हमें 12.05 अथवा 12.10 बजे तक बैठना पड़ेगा। अतः एक ही तरीका अपनाया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : निस्संदेह आज हमने बीस मिनट ले लिये हैं। परन्तु अन्य दिनों में इस प्रकार नहीं किया जायेगा। अतः, मेरे विचार में प्रश्नों को समाप्त कर के हम अन्य कार्य करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नागालैंड में शान्तिवार्ता

श्री हेम बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री हेम राज :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री न० प्र० यादव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
*4. **श्री दे० द० पुरी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री ब्रजराज सिंह :
श्री बड़े :
श्री बागड़ी :
श्री मुहम्मद कोया :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री व० बा० गांधी :
श्री बासप्पा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री जेधे :
श्री हु० च० सोय :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री पु० र० पटेल :
श्री तन सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री काजरोलकर :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छिपे हुए नागाओं द्वारा शांति मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार न किये जाने के कारण अब तक नागालैंड सम्बन्धी शांतिवार्ता में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि छिपे हुए नागा अन्तिम रूप से अपना रवैया निश्चित करने से पहले श्री फिजो से परामर्श करने के लिये लन्दन में मिलना चाहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई व्यवस्था की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) शांति वार्ता चल रही है। दुर्भाग्य से इसमें कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). छिपे नागाओं ने लंदन में श्री फिजो से सम्पर्क स्थापित करने के लिए श्री केवी यल्ले को भेजने की इच्छा व्यक्त की थी । भारतीय राष्ट्रिक के रूप में सभी औपचारिकताएं पूरी कर देने पर श्री केवी यल्ले को पासपोर्ट की सुविधाएं प्रदान कर दी गईं।

जंजीबार में भारतीयों की सम्पत्ति

*5. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जंजीबार के अधिकारियों ने अभी हाल ही में वहां भारतीय व्यापारियों की शहरी सम्पत्ति जब्त कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां । यह उनकी सामान्य नीति के अनरूप ही है और सिर्फ़ भारत मूलक लोगों के ख़िलाफ़ ही नहीं है ।

(ख) सरकार को अभी कोई क़दम उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है ।

पाकिस्तानी सहायक उच्चायुक्त का शिलांग स्थित कार्यालय

*6. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सवित्री निगम :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री प० ला० बारुपाल :
श्री रा० बरुआ :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पाकिस्तान सरकार से शिलांग में अपने सहायक उच्चायुक्त का कार्यालय बन्द करने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किन परिस्थितियों के कारण यह निर्णय किया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। सरकार ने दिनांक 11 मई, 1965 के नोट में नई दिल्ली-स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन से प्रार्थना की थी कि वह शिलांग-स्थित पाकिस्तानी मिशन को 15 जून, 1965 तक बंद कर दे। यह मिशन उक्त तारीख़ से बन्द हो गया है।

(ख) दिसम्बर, 1963 में पाकिस्तान ने भारत का राजशाही-स्थित सहायक हाई कमीशन बंद करके जबसे राजनयिक पारस्परिकता के सिद्धान्त को तोड़ा था, तभी से इस मामले पर भारत सरकार विचार कर रही थी। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से बार-बार यह प्रार्थना की थी कि वह राजशाही में भारतीय मिशन फिर खोलने के लिए राज़ी हो जाए परन्तु पाकिस्तान सरकार ने इस प्रार्थना की ओर से अपने कान बन्द कर लिए हैं इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान का शिलांग-स्थित मिशन ऐसी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहा था जो राजनयिक और कौंसली व्यवहार के प्रतिकूल है।

(ग) नई दिल्ली-स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन ने दिनांक 26 मई, 1965 के एक नोट में इस फ़ैसले के खिलाफ़ विरोध प्रकट किया था।

हिन्द महासागर में आंग्ल-अमरीकी अड्डे

*7. श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बी० च० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री बागड़ी :
श्री रा० बरुआ :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि हिन्द महासागर के द्वीपों के इर्दगिर्द सैनिक अड्डों की श्रृंखला बनाने के लिए संयुक्त आंग्ल-अमरीकी प्रयत्न चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार यह जानती है कि ब्रिटिश सरकार चेगोस आर्चिपेलागो में रेडियो-संचार और संबद्ध सहायक सुविधाएं स्थापित करना चाहती है, जिस में एक हवाई पट्टी भी शामिल होगी, जिसका इस्तेमाल अमरीका सरकार भी कर सकती है।

(ख) सरकार विदेशी सैनिक अड्डों की स्थापना और उन्हें बनाए रखने के विरुद्ध है और भारत ने गुटों से अलग राष्ट्रों के दूसरे सम्मेलन की घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। जिस में हिन्द महासागर में इस तरह के अड्डों की स्थापना करने के प्रस्ताव की निन्दा की गई है ।

पाकिस्तान के सैनिक विमानों की भारत पर से उड़ान

*8. श्री श्रीनारायण दास :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दे० द० पुरी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री गुलशन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के सैनिक विमानों के भारतीय क्षेत्र पर से उड़ान के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने ताशकन्द जाने वाले एक भारतीय विमान को पाकिस्तान पर से उड़ने की अनुमति नहीं दी थी ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों के कारण हुआ ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई जहाजों को सप्ताह में एक बार भारत से हो कर गुजरने की जो इजाजत दे रखी थी उसकी अवधि 30 जून को पूरी हो गई और पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे बढ़ाने के लिए भारत सरकार से प्रार्थना नहीं की है ।

(ख) जी हां ।

(ग) पाकिस्तानी अधिकारियों ने पहले तो इसके लिये इजाजत दे दी थी, पर बाद में अपने आप ही मना कर दिया। कोई कारण नहीं बताया गया ।

प्रतिरक्षा संस्थानों में असैनिक कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

*9. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बागड़ी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री 26 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2595 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा संस्थानों में असैनिक कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड बनाने का इस बीच अन्तिम निश्चय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग). वेतनमानों के प्रश्न पर द्वितीय वेतन आयोग द्वारा विचार किया गया था। यह मामला केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों से सम्बन्धित है, और रक्षा मंत्रालय रक्षा के असैनिकों के लिए ही अकेले, कोई निर्णय नहीं ले सकता। इसलिये, इस समय रक्षा असैनिकों के सम्बन्ध में उजरती ढांचे के अन्तर्गत, वर्गीकरण में कोई विशेष अड़चनें रक्षा मंत्रालय के सन्मुख लाई गई, तो उन पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

Transmitter from USSR

*10.
Shri Naval Prabhakar :
Shri Hem Raj :
Shri S. C. Samanta :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Subodh Hansda :
Shri Yashpal Singh :
Shri D. C. Sharma :
Shri R. S. Pandey :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Dr. P. Srinivasan :
Shri Paramasivan :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Brij Raj Singh :
Shri D. D. Puri :
Shri Indrajit Gupta :
Shri V. B. Gandhi :
Shrimati Renuka Ray :
Dr. Mahadeva Prasad :
Shri Karni Singhji :
Shri Raghunath Singh :
Shri P. R. Patel :
Shri R. Barua :
Shri Narendra Singh Mahida :
Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 741 on the 5th April, 1965 and state:

(a) the progress so far made in the negotiations for obtaining a transmitter of one thousand kilowatts from U.S.S.R.; and

(b) if so, the probable time by which the negotiations are likely to conclude?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi): (a) and (b). A letter of intent has been exchanged between the Government of India and the Government of USSR for the supply and installation of the transmitter. Preliminary work on the design of the transmitter should have started by now. Representatives of the Government of USSR are expected to arrive in this country very shortly. The necessary contract will be signed after further discussions with them.

संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से जेट विमानों का निर्माण

*11. श्री यशपाल सिंह :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हेम बरुआ :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री हेम राज :
श्री बागड़ी :
श्री रा० बरुआ :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से बनाये जाने वाले एच० एफ०-24 पराध्वनिक (सुपरसौनिक) जेट-विमानों के निर्माण में क्या कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख). तकनीकी अध्ययन प्रगतिशील हैं। तकनीकी अध्ययन सम्पूर्ण हो जाने पर य० ए० आर० अधिकारियों से बातचीत की जाएगी।

यूगोस्लाविया से ट्रांसमिटर

*12. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री च० बा० गांधी :
श्री रा० बरुग्रा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 3 मई, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1138 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 500 किलोवाट के दो मीडियम वेव ट्रांसमिटर देने के यूगोस्लाविया की फर्म के प्रस्ताव के सम्बन्ध में उनके साथ बातचीत में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस मामले में अन्तिम निश्चय कब तक होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सम्भरण तथा निकास महानिदेशालय ट्रांसमिटर लेने की बातचीत कर रहा है। उसे तकनीकी और करार विषयक सब बातों पर पूरे स्पष्टीकरण नहीं मिले हैं। टेंडर देने वाली युगोस्लाविया की फ़र्म ने कुछ बातों का तो समाधान कर दिया है और कुछ अभी बाकी हैं। फ़र्म विमान द्वारा एक तकनीकी विशेषज्ञ भारत भेजना चाहता था परन्तु वहां बाढ़ आ जाने के कारण वह नहीं आ सका। सारी बातों का समाधान हो जाने पर ही अंतिम फ़ैसला किया जा सकेगा। इस बीच फर्म से निवेदन किया गया है कि वह प्रस्ताव 31-8-1965 तक खुला रखे। सम्भरण तथा निकास महानिदेशालय फर्म से बराबर सम्पर्क में है।

परमाणु परीक्षण

*13. **श्री प्र० चं० बरुग्रा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने 28 अन्य देशों के साथ निःशस्त्रीकरण आयोग से हाल ही में कहा है कि परमाणु परीक्षणों की निन्दा की जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत और अन्य 28 देशों ने निरस्त्रीकरण आयोग में एक प्रस्ताव रखा जिसकी भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ इस तथ्य की भी निन्दा की गई है कि आणविक अस्त्रों के परीक्षण हुए हैं और इसकी भी कि आणविक अस्त्रों के परीक्षण को बन्द करने के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकार किया गया।

चीन का दूसरा परमाणु विस्फोट

***13-क. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन के दूसरे परमाणु विस्फोट का स्वरूप क्या है ;

(ख) इससे चीन की औद्योगिक क्षमता तथा विकास का कहां तक संकेत मिलता है ; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) विस्फोट से उत्पन्न परमाणु धूलि का जो विश्लेषण हमारे परमाणु ऊर्जा संस्थान में किया गया उससे सिद्ध हुआ कि दूसरे परमाणु विस्फोट में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था।

(ख) यह अंदाजा लगाना मुश्किल है क्योंकि किसी को भी इस बात का सही सही पता नहीं कि चीन ने यूरेनियम 235 किसी अन्य देश से प्राप्त किया या उसे आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अपने उस विसरण संयंत्र (diffusion plant) में तैयार किया जो रूस और चीन में मतभेद उत्पन्न होने से पहले रूसी सहायता से लगाया जा रहा था। यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि यह बम रूसी तकनीक के आधार पर बनाया गया।

(ग) आंशिक परमाणु विस्फोट निषेध संधि (partial Test Ban Treaty) के बावजूद किये जाने वाले परमाणु विस्फोटों को भारत सरकार मानव जाति के हितों के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य समझती है तथा उनकी निन्दा करती है।

दक्षिण रोडेशिया सरकार

***14. श्री बागड़ी :**
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने यह कहा था कि भारत एक पक्षीय घोषणा के परिणाम-स्वरूप बनी दक्षिण रोडेशिया सरकार को मान्यता नहीं देगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस वक्तव्य के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) रोडेशिया सरकार की प्रतिक्रिया स्वभावतः आलोचनात्मक रही है।

मिट्टी हटाने के भारी उपकरण बनाने का कारखाना

***15. श्री हनुमन्तैया :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में "कोलार गोल्ड फील्ड्स" में मिट्टी हटाने के भारती उपकरण बनाने का कारखाना खोलने की मंजूरी दे दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस के प्रारम्भिक सिविल निर्माण कार्य के लिये कितनी राशि मंजूर की गई थी ;

(ग) इस निर्णय को कार्यान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) कारखाने में उत्पादन कब से आरम्भ होने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां, 16 जुलाई, 1965 को, इस शर्त पर कि आर्थिक ऋण से विदेशी मुद्रा के नियतन के लिए अन्तिम रूप से व्यवस्था हो जाय ।

(ख) 7.43 लाख रुपये ।

(ग) एक प्रायोजना ऋण पत्र तैयार किया गया है और उस पर आगे कार्यवाही की जा रही है । निर्माण के एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम बनाने के लिए, जिसमें पानी की व्यवस्था करने, फैक्टरी की बिल्डिगों के डिजाइन बनाने, और नगर आयोजन कार्य करना सम्मिलित है, परामर्शदाताओं और आर्किटेक्टों की नियुक्ति की गई है तथा वृहद् योजनायें और क्षेत्रानुसार योजनाएं तैयार की जा रही हैं । औद्योगिक जल प्रदाय के लिए नालियां बिछाने का काम किया जा रहा है । पीने के पानी की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार के परामर्श के साथ एक योजना बनाई जा रही है ।

(घ) 1967-68 के अन्तर्गत ।

सड़क कूटने वाले इंजन तथा वायु-संपीड़क (एयर कम्प्रेशर)

***17. महाराजकुमार विजय आनन्द :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमान्त क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिए अपेक्षित सड़क कूटने वाले इंजन तथा सुवाला (पोटबल) वायु-संपीड़क बनाने में गार्डन रीच वर्कशाप ने अब तक कितनी प्रगति की है ;

(ख) क्या इससे मांग पूरी हो सकेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्माण-कार्य को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जनवरी, 1965 से सड़क रोलर के अवयवों पेच-पुर्जों को बनाने का काम आरम्भ किया गया था तथा पहले बैच के चार सड़क रोलर का संयोजन कार्य इस महीने के दौरान पूरा हो जाने की आशा हैं । 84 सड़क रोलरों का संयोजन मार्च, 1966 के अन्त तक पूरा हो जाने का विचार है ।

25 एयर कम्प्रेशरों के प्रथम बैच के लिये विदेशों से आयात किये जाने वाले उनके अवयवों के 25 सेटों के लिये आर्डर दे दिया गया है तथा उन अवयवों को देश में ही बनाने का काम जल्दी ही आरम्भ हो जाने की आशा है। जनवरी, 1966 तक प्रथम बैच मार्केट में आ जाने की उम्मींद है।

(ख) तथा (ग). सीमान्त क्षेत्रों में सड़क बनाने के लिये सड़क रोलरों और एयर कम्प्रेसरों की जरूरतों की पूर्ति इस समय मौजूदे सड़क रोलर और एयर कम्प्रेसर निर्माताओं से लेकर पूरा किया जा रहा है। गार्डन रीच वर्कशाप देश में सड़क रोलरों और एयर कम्प्रेसरों की कुल उपलब्धि में अधिक योग देगा।

मजदूर संघ

*18. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कांग्रेस कार्यकारिणी की ढेबर समिति की इस सिफारिश की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में मजदूर संघों को मान्यता देने से पहिले उनकी सदस्यता का पता लगाने के लिए गुप्त मतदान द्वारा श्रमिकों की राय प्राप्त की जानी चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या राय है ; और

(ग) क्या इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) जी हां।

(ख) सरकार की राय में मजदूर संघों की सदस्यता का पता लगाने के लिए गुप्त मतदान पद्धति की अपेक्षा वर्तमान प्रक्रिया, जो कि त्रिपक्षीय समझौते द्वारा उद्भूत हुई है, हमारी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अधिक अनुकूल है। अतः इसे भंग करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Payment of Bonus

*19. { **Shri Madhu Limaye :**
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state:

(a) the number of public sector undertakings which have paid bonus to their employees as provided for in the Payment of Bonus Ordinance, 1965; and

(b) the action being taken by Government to see that the bonus is paid at the earliest by those undertakings which have not paid it so far?

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya): (a) Information is not available.

(b) Bonus under the Ordinance in respect of the accounting year commencing on any day in the calendar year 1964 is to be paid ordinarily within eight months of the close of the financial year. The public sector undertakings are aware of the provisions contained in the Ordinance and they will, no doubt, take action to comply with the statutory requirements.

पाकिस्तान द्वारा भारतीय बस्तियों पर कब्जा

*20. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री कपूर सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री गुलशन :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान में घिरी हुई सभी भारतीय बस्तियों पर कब्जा कर लिया है जबकि भारत में उसने अपनी सभी बस्तियों पर नियंत्रण बना रखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मई के दूसरे सप्ताह में जो भारतीय दल पूर्व पाकिस्तान गया था उसने इस सम्बन्ध में विरोध किया है और पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि उसने बस्तियों की अदला-बदली के बारे में भारत-पाकिस्तान करार को भंग किया है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) बस्तियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा कर रही है ;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को इन बस्तियों में प्रशासी एकक स्थापित करने के लिए कहा है ; और

(च) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। अप्रैल, 1965 में दीनाजपुर जिले में डाईखाटा में, जे० एल० नंबर 38, जो कि भारतीय बस्ती है, पाकिस्तानी घुस आए थे और उन्होंने एक सड़क भी बनाई जो इस बस्ती में से हो कर जाती है। पाकिस्तानी मई, 1965 के शुरू में यह इलाका खाली कर गये थे।

(ख) 24 मई, 1965 को पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले पर पूर्व पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया।

(ग) पूर्व पाकिस्तान सरकार ने हालांकि इस आरोप को मानने से इन्कार किया है, परन्तु यह स्वीकार किया है कि डाईखाटा से हो कर रास्ता जाता है और कहा कि इस रास्ते का इस्तेमाल करने का अधिकार बंटवारे के पहले ही से चला आ रहा है।

(घ) पारस्परिकता के आधार पर भारतीय बस्तियों का दौरा करने के लिए अधिकारी-दलों को भेजने के वास्ते कार्रवाई की गई है ।

(ङ) जी हां ।

(च) राज्य सरकार को निर्देश भेज दिये गये हैं कि वह पूर्व पाकिस्तान सरकार से कहे कि वह प्रशासनिक उद्देश्यों से भारतीय बस्तियों में पुलिस दल रखने के लिए समान सुविधाएं प्रदान करे ।

Activities of Chinese Embassy and Pak. High Commission in Delhi

*21. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Jagdev Singh Siddhanti:

Will the Minister of **External Affiairs** be pleased to **state**:

(a) whether it is a fact that the activities of Chinese Embassy and Pakistan High Commissioner's office at Delhi are creating difficulties for India and are carrying on grossly inaccurate propaganda;

(b) whether it is also a fact that the political and trade representatives of both the aforesaid countries are increasing their anti-Indian activities at several places; and

(c) if so, the steps taken by Government to put a stop to them?

The Minister of External Affiairs (Shri Swaran Singh): (*a*) While it is a fact that the Government of India consider certain activities of the High Commission of Pakistan and the Chinese Embassy as objectionable, all necessary steps are being taken by the Government to ensure that these activities do not create difficulties for India. The propaganda carried on by Pakistan and China against India is invariably and grossly inaccurate.

(b) No substantial increase has been noticed.

(c) *Chinese Embassy*—In every specific instance of objectionable propaganda by the Chinese Embassy, the Government of India has drawn the attention of the Embassy to it and warned the Embassy against continuing such propaganda.

Pakistan High Commission—In May 1965, the Ministry of External Affairs sent a Note to the Pakistan High Commission asking it to ensure that the circulation of Pakistan Government publication, entitled 'Pakistan News Digest' should be stopped forthwith.

Since February, 1965, the Ministry has also sent three Notes to the Pakistan High Commission requesting it to desist from carrying on anti-Indian propaganda through the Press Releases issued by the High Commission.

1042 (Ai) LS—5.

भारतीय राज्यक्षेत्र में चीन द्वारा अवैध प्रवेश

*22. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बृजराज सिंह :
श्री दे० द० पुरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री बागड़ी :
श्री हेडा :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री ह० च० सोय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी सशस्त्र सेना ने 11 मई, 1965 के बाद भारतीय राज्यक्षेत्र में और भी आगे अतिक्रमण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-चीन विवाद

*23. श्री हेम बरुआ :
श्री काजरोलकर :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-चीन विवाद के बारे में कोलम्बो प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या चीन को इस मामले पर सीधे अथवा किसी कोलम्बो राष्ट्र के जरिये कोई पत्र भेजा गया था; और

(ग) यदि हां, तो उस पर चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) चीन लोक गणराज्य सरकार ने हठ-पूर्वक कोलंबो प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है, हालांकि भारत सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है । इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी को लोक निगम में बदलना

*24. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हेम बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दाजी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री रा० बरुआ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार आकाशवाणी को ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन की तरह एक लोक निगम में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

भारतीय वायुसेना द्वारा गोलाबारी अभ्यास के समय दुर्घटना

*25. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बागड़ी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुधियाना के निकट जंगपुरा गांव में भारतीय वायु सेना के विमानों क गोलाबारी अभ्यास के कारण गत जनवरी में हुई तीन व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में आरम्भ ी गई विशेष जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख). इस दुर्घटना तथा अन्य दो समान घटनाओं की विशेष छानबीन के लिए जो अप्रैल और मई, 1965 में हुई कमिश्नर जलंधर डिवीज़न को कहा गया था। उसकी रिपोर्ट पिछले सप्ताह में प्राप्त हुई थी और विस्तृत निरीक्षणाधीन है। जहां तक 2 जनवरी, 1965 की घटना का सम्बन्ध है, उसका निर्णय है कि ग़ालिबकलां ग्राम के तीन लड़के 2 जनवरी, 1965 को, एक अविस्फोटित राकेट से, एक की छेड़छाड़ के कारण हुए विस्फ़ोट में मारे गये थे। उससे प्रस्तुत की गई गवाही के विश्लेषण के पश्चात् कमिश्नर का निर्णय था कि राकेट, सिध्वान खबस चांदमारी में गोलाबारी के अभ्यास में प्रवृत्त, वायु सेना के एक विमान द्वारा विमुक्त किया गया था, और संयोगवश वह बिना फटे खेतों में गिर गया था, जिसे उठा लिया गया। राकेट, मारे गये तीनों में से एक लड़के द्वारा उठा लिया गया था जिसे उसने पास की पक्की सड़क पर पटक कर तोड़ने का यत्न किया था, जो उन तीनों के लिए घातक प्रमाणित हुआ।

जंजीबार में पैदा हुए भारतीय

*26. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कजरोलकर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जंजीबार में पैदा हुए भारतीय, जो अब पूर्वी अफ़्रीका में रह रहे हैं, जंजीबार की स्वतंत्रता के पश्चात् राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर उन की राजनीतिक स्थिति क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). स्वाधीनता के बाद जंजीबार ने जो संविधान अपनाया है उसमें यह व्यवस्था है कि इस वर्ग के निवासी स्वतः नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। परन्तु जनवरी, 1964 में क्रांतिकारी सरकार द्वारा यह संविधान रद्द कर दिया गया। बाद में तांगानिका और जंजीबार के संघ की घोषणा कर दी गई और जब से नए तन्ज़ानिया राज्य की स्थापना हुई है तब से वहां की स्थिति कुछ अस्थिर है। इस मामले में हमारे प्रतिनिधि दारेस्सलाम और लंदन के अधिकारियों से संपर्क बनाये हुए हैं।

टेलिविजन कार्यक्रम का विस्तार

*27. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बागड़ी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री किन्दर लाल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम हरख यादव :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री पु० र० पटेल :
श्री रा० बरुआ :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में टेलीविज़न व्यवस्था का विस्तार करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी ने एक टेलीविज़न स्टूडियो भेंट करने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसे स्वीकार कर लिया गया है और क्या प्रस्तावित कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये कोई विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) जी, हां। मंत्रिमंडल ने चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में टेलीविज़न के विस्तार के लिए 4·7 करोड़ रु० का कार्यक्रम मंजूर किया है। इस के अन्तर्गत बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में टेलीविज़न केन्द्र खोले जाएंगे और दिल्ली की टेलीविज़न सेवा को इर्द गिर्द के क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा ।

(ग) और (घ) जी, हां। दिल्ली के एक स्टूडियो के लिए टेलीविजन उपस्कर देने का पश्चिम जर्मनी सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। टेलीविजन के प्रस्तावित विस्तार के लिए और सहायता ली जाए या नहीं, इस पर विचार हो रहा है।

भारतीय नौसेना के लिये पनडुब्बी

*28. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री बागड़ी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री बड़े :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बृजराज सिंह :
श्री दे० द० पुरी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री तन सिंह :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री कपूर सिंह :
श्री गुलशन :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० कें० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री बासप्पा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री 5 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 722 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के लिये एक आधुनिक पनडुब्बी प्राप्त करने के प्रस्ताव पर आगे विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) आधुनिक पनडुब्बियों की प्राप्ति के लिए सुझाव का अनुसरण किया जा रहा है ।

चीन द्वारा दूसरे अणु बम का विस्फोट

*29. श्री हेम बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री हेम राज :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दे० द० पुरी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सेझियान :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री बागड़ी :
श्री ह० चा० सोय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री रा० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने दूसरे अणु बम का विस्फोट किया है और वह पूर्ण रूपेण नाभिकीय शक्ति वाला देश बनने की तैयारी कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) हमारे प्रधान मंत्री ने गत वर्ष संयुक्त नाभिकीय संरक्षण का जो प्रस्ताव किया था, वह इस समय किस अवस्था में है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) चीन ने स्वतन्त्र नाभिकीय हथियारों की क्षमता बढ़ाने के लिये दूसरे अणु बम का विस्फोट किया है ।

सरकार ने चीनी अणु परीक्षणों तथा चीन की अपनी नाभिकीय क्षमता बढ़ाने की योजना की निन्दा की, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिये उससे बहुत बड़ा खतरा था और विश्व नि:शस्त्रीकरण को भी इससे बहुत बड़ा धक्का पहुंचता था ।

प्रधान मंत्री ने यह सुझाव दिया है कि नाभिकीय शक्ति वाले मुख्य राष्ट्र उन राष्ट्रों के आण्विक खतरे को दूर करने का दायित्व ले लें, जिनके पास आण्विक हथियार नहीं हैं, जिससे कि वह देश स्वतन्त्र नाभिकीय क्षमता को बढ़ाने का प्रयास न करें और आण्विक हथियारों की संख्या में वृद्धि न हो । प्रधान मंत्री ने सम्बद्ध शक्तियों के विचारार्थ यह सुझाव पेश किया था । यह बहुत ही जटिल विषय है और इसके बहुत ही महत्वपूर्ण सैनिक और राजनैतिक पहलू हैं और जब तक सम्बद्ध शक्तियां इस विषय पर सविस्तार विचार नहीं कर लेतीं, तब तक वे उन राष्ट्रों को जिनके पास आण्विक हथियार नहीं हैं, सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे सकतीं ।

भारत-श्रीलंका करार

*30. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री तन सिंह :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-श्रीलंका करार, 1964 की कार्यान्विति के बारे में श्रीलंका के प्रधान मंत्री द्वारा 23 अप्रल, 1965 को संसद् में बताई गई 'कठिनाइयों' की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारी सरकार ने इन कठिनाइयों के बारे में पता लगाया है; और

(ग) उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं । श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने 23 अप्रैल, 1965 को अपने यहां के संसद् में जो वक्तव्य दिया था उसमें 1964 के भारत–श्रीलंका क़रार पर अमल करने के बारे में 'कठिनाइयों' का उल्लेख भारत सरकार के देखने में नहीं आया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

नागपुर में पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय

1. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोस्टर मास्टर जनरल का कार्यालय नागपुर से भोपाल भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 500 डाक कर्मचारियों ने इस कार्यवाही पर प्रदर्शन किया; और

(ग) इसकी सरकार पर क्या प्रतिक्रिया हुई ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था ।

(ग) डाक-तार महा अध्यक्ष के कार्यालय को नागपुर से भोपाल ले जाने का निर्णय सरकार की इस नीति के अनुसार लिया गया था कि प्रादेशिक डाक-तार अधिक्षेत्र की सीमाएं वही हों जो राज्य की सीमाएं हैं और डाक-तार महा अध्यक्ष को राज्य के मुख्यालय में रखा जाये । फिर भी भोपाल में उपयुक्त स्थान की कमी होने के कारण इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका । वहां आवश्यक स्थान प्राप्त करके उक्त कार्यालय को 1 जुलाई, 1965 को भोपाल ले जाया गया है ।

विमान दुर्घटना

2. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना के दो अधिकारी 27 मई, 1965 को पूर्वी सेक्टर में एक विमान दुर्घटना में मारे गये;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) 27 मई, 1965 को कोई हवाई दुर्घटना नहीं हुई । अलबत्ता जलपाइगुड़ी के लगभग 7 मील उत्तर में एक स्थान पर 26 मई, 1965 को 1 बजकर 10 मिनट के लगभग प्रशिक्षण उड़ान लेते हुए वायु सेना का एक

विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान में केवल एक पाइलट और एक सह-पाइलट थे। वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। विमान इतनी बुरी तरह विनष्ट हो गया था कि वह पुनः मरम्मत के योग्य न रहा।

जांच अदालत की छानबीन के अनुसार दोनों ही पाइलट उड़ान लेने के लिये डाक्टरी रूप से बिलकुल स्वस्थ थे। विमान में सुरक्षा/निकास उपस्कर ठीक काम कर रहे थे तथा उनमें कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। यह दुर्घटना तब हुई जब यह विमान जमीन से लगभग 500 फुट ऊंचाई पर उड़ते हुए पक्षियों के एक झुंड से टकरा गया। ऐसा दिखाई दिया कि छत्री को दूर फेंक देने के बाद इन पाइलटों को इतनी चोट लगी कि विमान पर वे अपना नियंत्रण खो बैठे और अन्त में विमान के गिर जाने से उनकी मृत्यु हो गई। कोई भी व्यक्ति इस दुर्घटना के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है।

स्मारक टिकट

3. **श्री अ० ब० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री नारायण गुरुदेव के सम्मान में स्मारक टिकट जारी करने के मामले में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो टिकट कब जारी किया जायेगा ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) तथा (ख) यह मामला अभी विचाराधीन है।

केरल में डाक तार सुविधायें

4. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में केरल में कितने नये डाकघर खोले गये;

(ख) 1964 में केरल में कितने डाकघरों का स्तर ऊंचा किया गया;

(ग) 1964 में केरल में कितने नये टेलीफोन लगाये गये; और

(घ) केरल के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर 1964 में तार सुविधाओं की व्यवस्था की गयी ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 108.

(ख) 68.

(ग) 3465.

(घ) सभा-पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है।

विवरण

1964 के दौरान केरल में खोले गये तारघर

1. नादापुरम्
2. मत्तूपट्टी
3. प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज (कालीकट)
4. किझाक्काक्लम
5. वियूरा
6. कल्लीसेरी
7. चप्पारापदावू
8. मोक्कम
9. नरायमबलम
10. कोडियार
11. नेलिक्काकुझी
12. पुलामों
13. पुथूकोडे
14. चलीसेरी
15. वेलियानाद
16. मल्लासेरी
17. कोलापरम्बा
18. वालनचेरी
19. मुहम्मा
20. परीपल्ली
21. ऐरीयाद
22. कुथियाडी
23. रेन्नीअंगदी
24. कावासेरी
25. पुदुनागरम
26. पल्लासाना
27. चेलेम्बरा
28. कोल्लम
29. भूनगोदे
30. कलपकनचेरी
31. कलमन्दापम

ट्रावनकोर रबड़ एण्ड टी कम्पनी द्वारा बोनस का भुगतान

5. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ट्रावनकोर रबड़ एण्ड टी कम्पनी, मुन्डालीयम (केरल) द्वारा

1963-64 के लिये त्रिपक्षीय निर्णय में की गयी सिफारिश के अनुसार बोनस न दिये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) श्रम आयुक्त, केरल ने विवाद के निपटारे के लिए सम्बन्धित पक्षों के एक संयुक्त सम्मेलन की व्यवस्था की है।

मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम

6. श्री अ० क० गोपालन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पालघाट, कन्नानूर तथा केरल के अन्य जिलों में मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम को कार्यान्वित न करने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस अधिनियम के उपबन्धों का पालन न करने के लिये किसी मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) अधिनियम के उपबन्धों का पालन न करने के लिए 171 मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। 167 मालिकों के खिलाफ अभियोजन चलाये गये। 167 मामलों में से 141 में दोष प्रमाणित हुए और 26 मामलों में अभी निर्णय होना बाकी है।

नैशनल रबड़ वर्क्स में तालाबन्दी

7. श्री अ० क० गोपालन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि नेशनल रबड़ वर्क्स फैक्टरी, कोट्टायम, केरल के प्रबन्धकों ने तालाबन्दी की घोषणा कर दी थी;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त तालाबन्दी गैर-कानूनी थी;

(ग) यदि हां, तो मालिक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) तालाबन्दी से कितने कर्मचारियों को नुकसान पहुंचा ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां। संस्था का सही नाम नैशनल टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ इंडिया लि०, कोट्टायम है।

(ख) और (ग) तालाबन्दी की न्यायसंगति सम्बन्धी मामला न्याय-निर्णय के लिए भेजा गया है।

(घ) लगभग 150।

छावनी बोर्डों में हिन्दी का प्रयोग

8. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर भारत के छावनी बोर्डों की बैठकों की कार्य सूची कब तक हिन्दी में जारी करने की व्यवस्था हो जायेगी;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) भविष्य में क्या व्यवस्था किये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख). कोई अवधि सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है । इस समय लागू अधिनियमित शर्तों के अन्तर्गत, मामला प्रत्येक छावनी बोर्ड की सामर्थ्य सीमा में है ।

(ग) किसी छावनी बोर्ड ने हिन्दी में एजेण्डा जारी करना शुरू नहीं किया है ।

पाकिस्तान में भारतीय युद्धबन्दी

9. **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री डॉ० चं० शर्मा :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बसुमतारी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ की लड़ाई में पाकिस्तान द्वारा बन्दी बनाये गये भारतीय सैनिकों को जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से मानसिक तथा शारीरिक यातनाएं पहुंचाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनसे खुले ग्राम परेड कराई गई;

(ग) क्या बन्दियों के साथ ऐसा व्यवहार करना इस बारे में देशों द्वारा स्वीकार किये गये अभिसमयों का उल्लंघन करना है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ङ). सरकार के पास सदस्य महोदय द्वारा लगाये गये आरोपों को प्रमाणित करने के लिए कोई सरकारी सूचना नहीं है । इसलिए इस मामले में कोई पग उठाने का प्रश्न नहीं उठता ।

यद्यपि युद्ध-बन्दियों से सम्बन्धित जेनेवा कान्वेन्शन की धारा 13 के अनुसार और बातों के साथ युद्ध-बन्दियों को जनायवाद तथा जनकौतूहल से सुरक्षित रखा जाना चाहिए । उसी

समझौते की 17वीं धारा के अनुसार और बातों के साथ युद्ध बन्दियों से किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करने से उन्हें किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक यन्त्रणा अथवा दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। अगर युद्धबन्दियों को शारीरिक अथवा मानसिक यन्त्रणा दी गई है, अथवा उन्हें जनता के सामने परेड कराई गई है, जैसे कि सदस्य महोदय ने कहा है, तो इसका अर्थ है समझौते का उल्लंघन।

जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

10. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 49वें अधिवेशन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो वहां किन-किन विषयों पर चर्चा की गई थी;

(ग) क्या भारत ने सम्मेलन के सामने कोई प्रस्ताव रखे थे; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सम्मेलन की क्या प्रतिक्रिया रही ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) कार्यसूची में निम्नलिखित विषय थे :—

(i) महा-निदेशक की रिपोर्ट।

(ii) वित्त और बजट सम्बन्धी प्रश्न।

(iii) अभिसमय और सिफ़ारिशें लागू करने के सम्बन्ध में सूचना और रिपोर्ट।

(iv) सभी प्रकार की खानों में भूमि के नीचे काम में युवकों की नियुक्ति (दूसरी चर्चा)।

(v) पारिवारिक जिम्मेदारियों सहित महिलाओं की नियुक्ति (दूसरी चर्चा)।

(vi) भूमि सम्बन्धी सुधार—विशेषकर रोजगार और सामाजिक पहलुओं के प्रसंग में (आम चर्चा)।

(vii) विकासशील देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास में सहकारी समितियों का योगदान (पहली चर्चा)।

(ग) और (घ). एक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार के प्रतिनिधि-मंडल द्वारा किये गये कार्य के बारे में ब्यौरा होगा, यथापूर्व संसद् के सामने रख दी जायेगी।

काश्मीर में अणुशक्ति केन्द्र

11. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर सरकार ने केन्द्र से प्रार्थना की है कि देश में अणु शक्ति

केन्द्र स्थापित करने के लिये चुने जाने वाले स्थानों में काश्मीर को भी सम्मिलित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी तथा पाकिस्तानी आक्रमणों पर बनाई गई फिल्में

12. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी आक्रमण तथा पाकिस्तानी आक्रमण के बारे में कुछ फिल्में बनाई गई हैं तथा विदेशों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए उन्हें वहां प्रदर्शित किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जी हां; इन विषयों पर कई फ़िल्में तैयार की गई थीं और विदेशियों को ठीक-ठीक तथ्यों से अवगत कराने के लिए ये अपने मिशनों को भेज दी गई थीं।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा भेजे गए बुलेटिन

13. **श्रीमती सावित्री निगम** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विदेशों में अपने प्रतिनिधियों को देश में होने वाली घटनाओं की समुचित जानकारी देने के लिए कोई बुलेटिन छापे और उन्हें भेजे जाते हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : विदेशों में हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्हें विभिन्न साधनों से भारत की घटनाओं से सूचित रखा जाता है। छपी हुई सामग्री के रूप में विवरणिकाओं (ब्रोशर्स) और पुस्तिकाओं के अतिरिक्त, 'इंडियन एंड फारेन रिव्यू' नामक एक पाक्षिक पत्र भी अपने प्रतिनिधियों को भेजा जाता है जो विदेशों में बहुत लोगों के हाथों में पहुंचता है। यह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक घटनाओं पर भारतीय विचारधारा प्रस्तुत करता है। "फ़ारेन ऐफ्फेयर्स रिकार्ड्स" नामक एक मासिक प्रकाशन भी अपने प्रतिनिधियों को भेजा जाता है। इसमें विदेश नीति से सम्बद्ध मामलों पर हमारे नेताओं के महत्वपूर्ण वक्तव्य रहते हैं। भारत के दैनिक समाचार-पत्र और अन्य पत्रिकाएं भी अपने मिशनों को भेजी जाती हैं ताकि वे घटनाओं से परिचित रहें।

ऊपर जिस छपी हुई सामग्री की चर्चा की गई है वह उन ख़बरों के अलावा है जो हमारे अधिकांश मिशनों को टेलीप्रिन्टर द्वारा तथा तार द्वारा दिन में दो बार भेजी जाती है, और पृष्ठभूमि सम्बन्धी उन टिप्पणियों और निदेशों के अलावा भी जो भारत की विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हमारे मिशनों को भेजे जाते हैं।

चीन की चेतावनी

14. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने भारत को चेतावनी दी है कि यदि पाकिस्तान के साथ चल रहा भारत का झगड़ा बढ़ गया तो उसके परिणाम निश्चित ही भारत सरकार के लिए अच्छे नहीं होंगे; और

(ख) यदि हां, तो चीन की इस धमकी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । 4 मई, 1965 को नव चीन समाचार एजेंसी (न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी) ने कच्छ में पाकिस्तान के अकारण किये गये आक्रमण के बारे में एक 'अनधिकृत वक्तव्य' जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर भारत सरकार "आग से खेलना ही चाहती है और संघर्ष को बढ़ाना ही चाहती है तो, निश्चित ही इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा"।

(ख) 7 मई को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक वक्तव्य जारी किया जिसमें यह कहा गया था कि चीन सरकार पाकिस्तान को कच्छ के रन में उसकी आक्रामक कार्रवाइयों में उसे उकसा रहा है । नवचीन समाचार एजेंसी के वक्तव्य में भारत के विरुद्ध जो धमकी दी गई है, उसके खिलाफ़ पीकिंग में भारतीय कार्यनायक ने विरोध प्रकट किया है ।

ढाका में भारतीय चांसरी के सामने प्रदर्शन

15. **श्रीमती सावित्री निगम** :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मं० ला० द्विवेदी :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ पाकिस्तानियों ने ढाका में 13 मई, 1965 को हमारी चांसरी के सामने प्रदर्शन किया तथा वहां पर हमारे उप-उच्चायुक्त के कार्यालय को भारी क्षति पहुंचाई;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि पाकिस्तानी प्राधिकारियों से इस क्षति के लिये कोई मुआवज़ा मांगा गया है, तो वह क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). 13 मई, 1965 को रात को क़रीब सवा नौ बजे हिंसा पर उतारू क़रीब 250 आदमियों की भीड़ डिप्टी हाई कमिश्नर के

कार्यालय के बाहर इकट्ठी हो गई। उन्होंने भारत के विरुद्ध अभद्र नारे लगाये और चांसरी की इमारत पर तथा इसके बराबर की इमारत पर पत्थर फैंके जिसमें मिशन के सदस्य रहते हैं। प्रदर्शनकारी मिशन की पीतल की नाम पट्टिका (नेम प्लेट) और वह एनेमल शील्ड, जिस पर भारत का राष्ट्रीय चिह्न अंकित था, और कुछ बिजली का सामान भी उखाड़ कर ले गये तथा कुछ खिड़कियां तोड़ गये।

(ग) डिप्टी हाई कमीशन ने इस मामले में 14 मई, 1965 को पूर्व पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया और प्रदर्शन के कारण जो नुकसान हुआ था उसका मुआवजा मांगा। उत्तर में, पूर्व पाकिस्तान सरकार ने इस घटना पर खेद प्रकट किया। मिशन की पीतल की नाम पट्टिका और एनेमल शील्ड पुनः प्राप्त करने के सवाल पर डिप्टी हाई कमीशन पूर्व पाकिस्तान से लिखा-पढ़ी कर रहा है। बाकी नुकसान को क्षतिग्रस्त दो इमारतों के मालिकों ने पूरा कर दिया है।

रोजगार सेवा में विदेशियों को प्रशिक्षण देना

16. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० ना० खां :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्था को विदेशों से प्रार्थना प्राप्त हुई है कि उनके अधिकारियों को संस्था में प्रशिक्षण दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) वे इस संस्था से किस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) मलेशिया, बर्मा और थाइलैण्ड।

(ग) रोजगार कार्यालयों को कार्यप्रणाली और संगठन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें व्यावसायिक जानकारी और अनुसंधान, व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा जनशक्ति की जानकारी और आयोजना भी शामिल है।

परमाणु हथियारों का फैलाव

17. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री हेम बरुआ :
श्री हेडा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन का दूसरा परमाणु विस्फोट अन्य देशों को गुमराह करने के लिये एक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रगति का द्योतक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नई घटनाओं को दृष्टि में रखते हुये सरकार ने संसार के अन्य परमाणु राष्ट्रों को विश्व शांति के हित में परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने की नितान्त आवश्यकता महसूस कराने के लिये कोई नये प्रयत्न किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो संबंधित राष्ट्रों की इस संबंध में भारत की अपील पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) चीन ने जो दूसरा परमाणु विस्फोट किया है उससे चीन के इस संकल्प की पुष्टि होती है कि वह आणविक अस्त्रों की दिशा में सक्षम होना चाहता है। परन्तु, परमाणु आक्रमण के योग्य क्षमता बढ़ा लेना बहुत सी बातों पर निर्भर करेगा जिनमें इन अस्त्रों को छोड़ने की कारगर व्यवस्था भी शामिल है।

(ख) निरस्त्रीकरण आयोग की हाल की बैठक में भारत ने आणविक अस्त्रों के प्रसार को रोकने के बारे में एक एकीकृत प्रस्ताव रखा था।

(ग) भारत के प्रस्ताव पर आणविक शक्ति वाले राष्ट्रों की कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई लेकिन जेनेवा में अट्ठारह राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति की जो बैठक हो रही है उसमें इस प्रस्ताव पर विस्तार के साथ विचार होने की संभावना है।

Telegram Forms

18. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the contents of the telegram forms at present being used can be seen by unauthorised persons; and

(b) if so, the action being taken to change the design of such a form to prevent the divulgence of contents of telegrams?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) Telegrams are now delivered in two different ways—one by inserting the telegram form inside a separate cover and the other, by folding a new type of telegram form itself like Inland letters. In the latter case, a portion of the text can possibly be seen but only by deliberate prying into the unflapped side of the folded form. But no telegram before delivery is accessible to unauthorised persons.

(b) None contemplated.

Refund of Telegram Charges

19. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shrimati Savitri Nigam:
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state the progress so far made in fulfilling the assurance given for refunding the cost of telegrams

to the senders without their being claimed by them, which are delayed due to their despatch by post?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagawati) : The system of refunding the cost of telegrams which are inordinately delayed due to their disposal by post, less service charges, on the initiative of the Post and Telegraph Department has been introduced with effect from 1-17-1965.

Naval Aircraft Crash

20. { **Shri Utiya:**
Shri Marandi:
Shri Bagri: }

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 741 on the 8th March, 1965 and state:

(a) whether Government have since considered the proceedings of the Board of Inquiry set up to inquire into the crash of a naval aircraft in the sea near Goa; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) The Proceedings of the Board of Inquiry are under consideration of the Government.

(b) Does not arise.

Amalgamation of Radio Expenses with Telegraph Expenses

21. { **Shri Utiya:**
Shri Marandi:
Shri Bagri: }

Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 736 on the 8th March, 1965 regarding the amalgamation of radio expenses with telegraph expenses and state the progress since made in the matter and time by which a final decision is likely to be taken?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : The question of amalgamation of accounts of the Radio branch with those of the Telegraph branch is still under consideration and it will take some time, before a final decision is taken in the matter.

चमड़ा उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड

22. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चमड़ा उद्योगों के सभी मजदूर संघों ने चमड़ा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के लिये मजूरी बोर्ड बनाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) चमड़ा उद्योग के लिये मजदूरी बोर्ड नियुक्त करने की मांगें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) इस मामले पर राज्य सरकारों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

Concentration of Pakistan Troops on Indian Border

23. Shri Naval Prabhakar:
Shri Kindar Lal:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Vidya Charan Shukla:
Shri R. S. Pandey:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(*a*) whether it is a fact that Government have lodged a protest with the Security Council against heavy concentration of Pakistani troops in 'aggressive posture' all along the Indian border;

(*b*) whether a copy thereof will be laid on the Table of the House; and

(*c*) the reaction of the Security Council thereto?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh): (*a*) Yes, Sir.

(*b*) A copy of our letter dated the 28th May, 1965, addressed to the President of the Security Council is laid on the Table of the House. [*Placed in the Library. Please See* no. LT—4465/65]

(*c*) Such letters are addressed to the President of the Security Council for circulation to the Members of the Council. No discussion has been held on this issue in the Council.

लाटोटिला क्षेत्र में गोलाबारी

24. श्री यशपाल सिंह :
श्री रां० शं० शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने 12 मई, 1965 को रावलपिंडी में स्थित भारतीय उच्चायोग को एक पत्र दिया है जिसमें लाटोटिला क्षेत्र में भारी गोलाबारी को बन्द करने के लिये भारत सरकार से कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान को कोई उत्तर भेजा गया है तो वह क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने इन आरोपों को निराधार कह कर अस्वीकार किया है।

दिल्ली में मन्त्रियों की अनुपस्थिति

25. श्री यशपाल सिंह : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय से संबंधित कोई भी मंत्री, अर्थात्, केबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री मई के अन्तिम सप्ताह अथवा जून के प्रथम सप्ताह में कुछ समय के लिये राजधानी में उपस्थित नहीं थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तीन मंत्री सिर्फ जून के पहले हफ्ते में राजधानी में नहीं थे ।

(ख) जून, 1965 के आखिरी हफ्ते में जो एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन होने वाला था, उसी के संबंध में एशिया और अफ्रीका की कुछ सरकारों से सलाह मशविरा करने के लिये ही ये दौरे किये गये थे ।

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री की विदेश यात्रा

26. श्री र० ब० बरुआ : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री को अल्जीयर्स में होने वाले अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन के अवसर पर जापान सहित विभिन्न अफ्रीकी-एशियाई देशों की यात्रा पर इस उद्देश्य से भेजा गया था कि वह उन्हें विभिन्न मामलों पर भारतीय दृष्टिकोण से अवगत करायें ;

(ख) यदि हां, तो वह कहां कहां गये ; और

(ग) उनकी यात्रा का क्या परिणाम रहा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) विदेश उपमंत्री ने जून, 1965 में पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों की यात्रा की थी ।

(ख) उन्होंने जिन देशों की यात्रा की वे हैं, कम्बोडिया, जापान, लाओस, फिलिपींस तथा थाईलैंड ।

(ग) विदेश उपमंत्री की यात्रा का उद्देश्य इन देशों की सरकारों से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर तथा आपसी हित के विषय में विचार-विमर्श करना और इनके साथ भारत के संबंधों को सुदृढ़ करना था । अल्जीयर्स में होने वाले अफ्रीकी एशियाई देशों के सम्मेलन के बारे में भी बातचीत हुई । उपमंत्री की इस यात्रा की इन देशों में बहुत ही प्रतिक्रिया अनुकूल रही और इसे देखते हुये आशा है कि भविष्य में उनसे सहयोग बढ़ेगा ।

भारी पानी बनाने का संयंत्र

27. { श्री अ० व० राघवन :
श्री हाड्डे हाट्ट :
श्री केप्पन :
श्री दो० वं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति विभाग प्रति वर्ष 200 टन भारी पानी बनाने का संयंत्र बना रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कहां लगाया जायेगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) तथा (ख). प्रतिवर्ष 200 मीट्रिक टन भारी पानी बनाने वाला संयंत्र लगाने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है। इस संयंत्र का डिजाइन परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे के वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा तैयार किया जा रहा है।

योजना स्वीकृत हो जाने के बाद इस बात का निर्णय किया जायेगा कि यह संयंत्र कहां लगाया जाए ।

Upgrading of Post offices in U.P.

28. **Shri Vishwa Nath Pandey:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to convert some of the Sub-Post Offices into Head Post-Offices and Branch Post-Offices into Sub-Post Offices in Uttar Pradesh during the year 1965-66; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagawati): (a) Yes Sir.

(b) A statement is laid down on the Table of the Lok Sabha. [*Placed in the Library. Please see No.* LT—4455/65].

गोरखपुर में आकाशवाणी केन्द्र

29. { श्री किन्दरलाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में आकाशवाणी केन्द्र खोलने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र कब खोला जायेगा; और

(ग) उस पर कुल कितना खर्च होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) चौथी योजना की अवधि में ।

(ग) इसका अनुमानित खर्च 48.6 लाख रुपया है ।

कालीकट में डाक तार कर्मचारियों के लिए आवास

30. श्री मुहम्मद कोया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालीकट में डाक-तार कर्मचारियों के लिये अभी तक कोई आवास व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या वहां पर डाक-तार कर्मचारियों के लिये बस्ती बनाने के लिये कोई स्थान प्राप्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वहां क्वार्टर बनाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं । कालीकट में नियुक्त 751 डाक-तार कर्मचारियों में से सोलह कर्मचारियों के लिए विभाग द्वारा मकान की व्यवस्था की गई है ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) डाक-तार कालोनी बनाने के लिए अभी तक कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला है । फिर भी, उसके लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

कालीकट त्रिवेन्द्रम केन्द्र को दो केन्द्रों में विभाजित करना

31. श्री मुहम्मद कोया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कालीकट-त्रिवेन्द्रम केन्द्र को दो पृथक केन्द्रों में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विभाजन कब होगा और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत के अन्य कौन-कौन से केन्द्रों में ऐसी दुहरी व्यवस्था है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम और कालीकट केन्द्र पहले ही से स्वतन्त्र केन्द्रों के रूपमें काम कर रहे हैं, यद्यपि उनके कुछ कार्यक्रम एक होते हैं, ताकि शक्ति का अपव्यय न हो । अतः उनको अलग करने का प्रश्न नहीं उठता । इसी प्रकार की व्यवस्था इन केन्द्रों में भी है ।

लखनऊ—इलाहाबाद, और भोपाल—इन्दौर ।

फिल्म सेंसर बोर्ड

32. डा० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन तथा पुनःनियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

केरल में पढ़े-लिखे बेरोजगार व्यक्ति

33. श्री मुहम्मद कोया : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने केरल में पढ़े-लिखे व्यक्तियों को रोजगार न मिलने की समस्या हल करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : पंचवर्षीय योजनाओं के आधीन विभिन्न विकास योजनाओं को इस तरह तैयार किया गया है जिससे काम चाहने वालों को, जिनमें शिक्षित भी शामिल हैं, काम के ज्यादा अवसर मिलें ।

केरल में रोजगार की सम्भावनाओं और बेरोजगारी की तह का पता लगाने के लिए एक अध्ययन कार्य आरम्भ किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए विशेष तरीके खोजना है ।

यह अध्ययन कार्य इस तरह तय किया गया है जिससे शिक्षित बेरोजगारों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके ।

सरदार पटेल-नेहरू पत्र-व्यवहार

34. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार भूतपूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल तथा भूतपूर्व प्रधान मंत्री पंडित नेहरू के बीच हुए पत्र-व्यवहार को समुचित राजनैतिक और ऐतिहासिक महत्व की एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कभी सरकार के सामने ऐसा प्रस्ताव विभाग अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से रखा गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच हुए पत्र-व्यवहार को एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

लाहौर जाने वाले सिख तीर्थ यात्री

35. श्री इन्द्रजीत सिंह : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1965 में कुछ सिख तीर्थ यात्री लाहौर गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि सीमा पर से इन तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तानी अधिकारी बन्द लारियों में ले गये; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीविजन सैट

36. **श्री हेडा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न नगरों में आजकल कुल कितने टेलीविजन सैट हैं ;

(ख) निकट भविष्य में इनकी कितनी संख्या बढ़ाने का लक्ष्य है ; और

(ग) इन सैटों को प्राप्त करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) :

दिल्ली/नई दिल्ली . .	662
बम्बई . . .	4
	666

(ख) टेलीविजन सैटों की संख्या, टेलीविजन के विस्तार तथा उसके आयात और/या देश में बनने पर निर्भर होगी। चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में दिल्ली केन्द्र के विस्तार के अतिरिक्त बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में टेलीविजन केन्द्र खोलने के लिए 4·7 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। अगले पांच सालों में इन नगरों में एक लाख सैटों की मांग का अन्दाजा है।

(ग) शुरु में रुपये में मूल्य देकर लगभग 10,000 सेटों के आयात का इरादा है। उद्योग और सम्भरण मंत्रालय से निवेदन किया गया है कि वह देश में टेलीविजन सेटों के बनाने के बारे में जांच करे।

मलाबार हिल्स (बम्बई) में टेलीफोन

37. **श्री कर्णी सिंहजी** :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानसून आते ही मलाबार हिल्स, बम्बई के कई भागों में टेलीफोन खराब हो गये जिससे काफी संचार व्यवस्था भंग हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) भारी वर्षा के कारण बम्बई नगर के कुछ भागों में कुछ हद तक टेलीफोन सेवाओं में गड़बड़ी हो गई थी।

(ख) यह गड़बड़ी मुख्य रूप से जमीन के नीचे बिछे केबलों के खराब हो जाने के कारण हुई, जिनमें से कुछ की सामान्य मियाद खत्म हो गई है। मानसून के बाद केबल प्रणाली में पूरी तरह से मरम्मत और सुधार किया जायेगा। केबलों के बचाव के लिए कुछ व्यवस्था करने का भी सोचा गया है।

सरकारी क्षेत्र के उद्योग

38. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
श्री बासप्पा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में मजदूर कानूनों की कार्यान्विति की जांच करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रम कानूनों की कार्यान्विति की जांच करने के लिए एक समिति स्थापित करने का सुझाव विचाराधीन है और यह सुझाव, मामले के अन्य सम्बन्धित पहलुओं सहित, भारतीय श्रम सम्मेलन की आगामी बैठक (सितम्बर-अक्तूबर, 1965) के सामने विचारार्थ रखा जायेगा।

गोरखपुर में श्रमिक भर्ती डिपो

39. **श्री विश्वनाथ राय :**
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार श्रमिकों की भर्ती सम्बन्धी नीति में कुछ परिवर्तन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गोरखपुर स्थित श्रमिक भर्ती डिपो बन्द करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) मजदूरों की भर्ती की नीति में फेर-बदल करने न करने की जरूरत पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। इस संगठन की कार्यप्रणाली की जांच का काम अभी भी चल रहा है।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होते।

ढाका में भारतीय उप-उच्चायोग

40. { श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ढाका में भारतीय उप-उच्चायोग के कर्मचारियों को सादा कपड़ों वाली पाकिस्तानी पुलिस द्वारा सताया तथा डराया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा है तथा उस का क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं । सच बात यह है कि जून, 1965 में, कुछ व्यक्तियों ने, जो सादा कपड़ों में थे और अपने आप को पुलिस वाले बताते थे, ढाका-स्थित भारतीय डिप्टी हाई कमीशन के सदस्यों ने जो स्थानीय घरेलू नौकर रख रखे हैं उन्हें मिलना-मिलाना शुरू कर दिया । बताया जाता है कि सादा कपड़ों में आने वाले इन पुलिस वालों ने बेहूदा और आपत्तिजनक व्यक्तिगत प्रश्न किए ।

(ख) ढाका-स्थित डिप्टी हाई कमिश्नर ने इस तरह की आपत्तिजनक गतिविधियों के विरुद्ध 16 जून, 1965 को पूर्व पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया । विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान के हाई कमीशन का ध्यान इस ओर दिलाया । 18 जून, 1965 को पूर्व पाकिस्तान सरकार ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को जवाब देते हुए कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है । कुछ दिन बाद घरेलू नौकरों का तंग किया जाना बन्द हो गया ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों को पाकिस्तानी वीजा

41. { श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हेडा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि विशेषज्ञों के उस भारतीय दल को वीजा देने से इंकार कर दिया था जो काबुल में काम कर रहा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने का प्रयत्न किया था ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से कोई अभ्यावेदन किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से भारतीय दल को पार जाने की सुविधाएं प्रदान करने की प्रार्थना की थी परन्तु उसने बिना कोई कारण बताए इन्हें देना अस्वीकार कर दिया ।

Promotions of Army Personnel

42. { **Dr. Ram Manohar Lohia:**
Shri Kishen Pattnayak:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in spite of possessing other qualifications Army personnel do not get promotions for want of English qualifications;

(b) whether it is a fact that some Army personnel were not given Emergency Commission only because they did not have proficiency in English; and

(c) whether it is also a fact that those candidates were not considered fit for promotion because they had not passed the Intermediate Examination but had passed Visharad Examination which is equivalent to B.A.Degree except for English ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan): (a) and (b), For promotion upto the rank of Havildar or Junior Commissioned Officer, no English qualification as such is required. For the grant of commissions in the Army, however, the following minimum educational qualifications are prescribed for Army personnel:—

(i) Permanent Commissions in Special List—Matriculation or Equivalent examination;

(ii) Emergency Commissions.—These have now been replaced by Short Service Commission (non-technical). During the currency of the Emergency Commission minimum educational qualifications for Army personnel was Matriculation or Equivalent as against Intermediate or equivalent examination for the civilians;

(iii) Short Service Commission (non-technical)—Intermediate or equivalent examination;

(iv) Permanent Commission through the Service Personnel entry—Matriculation or equivalent.

A knowledge of English is implicit in these qualifications.

(c) Visharad Examination, in which English is not one of the subjects taught has not been considered to be equivalent to Intermediate Examination. The matter is however under further consideration.

बिना लायसेंस के रेडियो सेट

43. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार विभाग के रेडियो अपराध-निरोधी कर्मचारियों ने 1963, 1964 तथा 1965 में अब तक बिना लाइसेंस के कितने रेडियो सेटों का पता लगाया ;

(ख) अधिभार के रूप में कितनी रकम वसूल की गयी ; और

(ग) अवैध रूप से रेडियो रखने के कार्य को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) तथा (ख). 1963, 1964 तथा 1965 की पहली तिमाही के दौरान पता लगाये गए बिना लाइसेंस रेडियो सेटों की संख्या और उन पर वसूल किया गया अधिभार इस प्रकार है :—

	पता लगाये गए बिना लाइसेंस सेटों की संख्या	वसूल किया गया अधिभार
	रु०	रु०
1963	40,344	5,69,861
1964	85,985	7,16,036
1965 पहली तिमाही	28,897	2,21,132

(ग) (i) रेडियो अपराध विरोधी कार्य को और भी अधिक व्यापक बनाने के लिए प्रत्येक परिमण्डल में केवल रेडियो-अपराध-विरोधी संगठन का कार्यभार संभालने का काम एक एक सहायक निदेशक को सौंपा गया है ।

(ii) बिना लाइसेंस के सेट रखने वाले व्यक्तियों की सहायता करने के लिए, जिनके पास इस सम्बन्ध में कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि उनके पास सेट कब आया, उन्हें उसी तारीख से जो उन्होंने घोषित की है लाइसेंस लेने की अनुमति दे दी गई है ।

अल्जीयर्स सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमण्डल

44. **श्रीमती रेणुका राय :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन में, जो कुछ समय के लिये स्थगित हो गया है, भाग लेने के लिए जो प्रतिनिधिमण्डल अल्जीयर्स गया था उस पर कुल कितना खर्च हुआ ; और

(ख) उस में कुल कितनी विदेशी मुद्रा सम्मिलित थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) कुल खर्च लगभग 1,19,050 रुपए था ।

(ख) इसमें 47,000 रुपए के बराबर मूल्य की विदेशी मुद्रा शामिल है ।

सैनिक उच्च-शिक्षा देने वाली संस्था

45. **श्री अ० सि० सहगल :**
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री वाडीवा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर में सैनिक मामलों की उच्च शिक्षा देने वाली संस्था खोलने का कोई प्रस्ताव था ;

(ख) क्या इस संस्था के लिए निःशुल्क भूमि तथा भवन देने के बारे में प्रतिरक्षा मंत्रालय को कोई प्रस्ताव मिला था;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था; और

(घ) संस्था की स्थापना करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) से (घ). उड्डयन विज्ञान तथा टेक्नालोजी की उन्नति के लिए एक संस्थान की स्थापना के सुझाव का 1963 में विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा निरीक्षण किया गया था, और उनकी सलाह थी, कि सर्वथा नए किसी संस्थान के निर्माण की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, उससे अच्छे प्रतिबदल के तौर पर, रक्षा मंत्रालय में अनुसंधान और विकास सिब्बन्दियों तथा असैनिक विमान-चालन और वैज्ञानिक अनुसंधान में प्राप्य वर्तमान सुविधाओं को, उनकी सक्रियताओं को समन्वित तथा परस्पर संबंधित करके, और अधिक अच्छी तरह प्रयुक्त करना चाहिए। विशेषज्ञों की समिति की मंत्रणा के आधार पर, एक अलग संस्थान के सुझाव का अनुसरण नहीं किया गया था।

लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर कुछ भूमि और भवन, संस्थान के लिए इन्दौर में पेश किए गए थे, परन्तु क्योंकि, उसकी संस्थापना का अनुसरण नहीं किया गया था, उसे स्वीकार नहीं किया गया था।

प्रतिरक्षा संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये नगर भत्ता तथा मकान किराया भत्ता

46. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना की उत्तर बैरकपुर नगरपालिका और ईशापुर के सभी प्रतिरक्षा संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को नगर भत्ता तथा मकान किराया भत्ता दिया जाता है ;

(ख) क्या ये सुविधायें बैरकपुर तथा बैरकपुर छावनी क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारियों को भी उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि बैरकपुर तथा बैरकपुर छावनी क्षेत्र में स्थित हिन्दुस्तान एरोनांटिक्स लिमिटेड में काम करने वाले कर्मचारियों को भी नगर भत्ता तथा मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) नगर मुआवजा तथा मकान किराया, दोनों भत्ते बैरकपुर छावनी में रक्षा कर्मचारियों को प्राप्य हैं। बैरकपुर में केवल मकान किराया भत्ता देय है क्योंकि उसे (ग) वर्ग केवल, नगर माना गया है ।

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) को सामने रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) भारत सरकार ने एक उजरत बोर्ड नियुक्त किया है, जो इस प्रश्न पर विचार करेगा । इस बीच, अन्तरिम आधार पर मकान मुआवजा भत्ता, मजदूर संघ के प्रतिनिधियों से लिखा पढ़ी का विषय बना है।

उर्वरक कारखाना, गोरखपुर

47. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1965 के अन्तिम सप्ताह में उनकी गोरखपुर यात्रा के अवसर पर वहां लोगों ने उर्वरक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के साथ अन्याय तथा अनुचित व्यवहार के बारे में उन से शिकायत की थी; और

(ख) क्या यह भी सच है कि जिस ढंग से विभिन्न श्रेणियों में नियुक्तियां की गई हैं, उस से स्थानीय जनता असंतुष्ट थी ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) जी हां ।

(ख) नियुक्तियों के बारे में शिकायतें थीं ।

मसूरी में ग्रीष्म नाटक समारोह

48. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगीत तथा नाटक डिवीजन ने पिछली गर्मियों में मसूरी में एक नाटक समारोह किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय हुआ ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) गीत और नाटक विभाग ने मसूरी में कोई नाटक समारोह नहीं किया था, परन्तु वह स्थानीय नगर-बोर्ड द्वारा आयोजित समारोह में शामिल हुआ था ।

(ख) गीत और नाटक विभाग की केन्द्रीय नाटक मण्डली ने अपने मसूरी, देहरादून और रुड़की के दौरे के दौरान में आयोजित समारोह में नाटक खेले । इन तीनों स्थानों पर कुल 3,750 रुपया खर्च हुआ ।

स्कर्डू में पुल

49. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी तथा पाकिस्तानी सैनिक दस्तों ने स्कर्डू, जो काश्मीर के उत्तर में पाक अधिकृत कराकोरम पर्वतीय क्षेत्र में सामरिक महत्व का स्थान है, सिंधु नदी पर एक पुल बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख). सरकार को जो सूचना उपलब्ध है उसे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

अल्जीरिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति बेन बेल्ला

50. { श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अन्य अफ्रीकी-एशियाई देशों की तरह भारत ने भी भूतपूर्व राष्ट्रपति अहमद बेन बेल्ला की रक्षा के सम्बन्ध में अल्जीरिया की नई सरकार को पत्र लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका कोई उत्तर प्राप्त हुआ है तो वह क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) लंदन में 21 जून, को राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भाग लेने वाले एशिया और अफ्रीका के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के साथ भारत ने अल्जीरिया की सरकार से श्री बेन बेल्ला को प्राणदान देने की अपील की थी ।

(ख) हालांकि इस अपील का कोई जवाब नहीं आया, फिर भी भारत सरकार यह समझती है कि श्री बेन बेल्ला जीवित हैं।

उगांडा के लिये हथकरघे

51. **महाराजकुमार विजय आनन्द :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उगांडा को तकनीकी सहकारिता योजना के अन्तर्गत 20,000 रुपये की अनुमानित लागत के 20 हथकरघे देने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या उस देश को निकट भविष्य में और कोई आर्थिक सहायता दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । परन्तु, इस समय इनकी अनुमानित लागत 22,790,00 रुपए है।

(ख) और (ग). यह इस बात पर निर्भर है कि उगांडा भारत सरकार से क्या मांग करता है और हम में उन्हें पूरा करने की कितनी क्षमता है । फिर भी, उगांडा के प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान उस भारतीय तकनीकी दल की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया था जो चीनी फैक्ट्रियों के लिये जगह पसंद करने उगांडा गया था, और अब किन्याला क्षेत्र में मिलकर 50,000 टन की क्षमता वाली एक चीनी की फैक्ट्री और करीब 21,000 एकड़ का एक फ़ार्म खोलने के एक प्रस्ताव पर क़ाफी आगे तक बातचीत हो चुकी है । इसके अलावा, इस बात की भी संभावना है कि दोनों देशों के आपसी सहयोग से बिजली चालित एक अलकोहल उद्योग, एक स्ट्रा बोर्ड संयंत्र, द्रावक पदार्थ निकालने का एक यूनिट का और औषधि बनाने का एक गोरेस्टर चलाएं। इस बात की संभावना है कि भारत के ढांचे पर उगांडा में भी एक औद्योगिक बस्ती बनाई जाए।

टेलीप्रिन्टर

52. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने टेलीप्रिन्टरों की मांग है; और

(ख) टेलीप्रिन्टरों के संभरण के लिये, पांच, चार तथा तीन वर्ष से अधिक पुराने कितने प्रार्थना पत्र अभी भी अनिर्णित पड़े हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 1 अगस्त, 1965 को हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड, मद्रास को टेलीप्रिण्टरों के लिये दिये गये पक्के आदेशों में से अभी 3,100 टेलीप्रिण्टरों के आदेश निलंबित हैं।

(ख) टेलीप्रिण्टरों के संभरण के लिये डाक और तार विभाग या हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड के पास तीन वर्ष से अधिक के कोई आवेदन-पत्र नहीं हैं।

Hindi in P. & T. Department

53. **Shri Vishram Prasad:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state the steps taken by the P. & T. Department to familiarize their employees with the Hindi versions of the names of the various Government Departments and offices?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati): The steps taken are:—

(i) Lists of names of Govt. Departments or offices in Hindi brought out by the Board of Scientific Terminology in the Ministry of Education have been distributed to all the P&T Circles and Administrative Offices.

(ii) Pamphlets containing Hindi names of various Govt. offices as brought out by the Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad have also been supplied to Circles and Administrative Offices.

(iii) A consolidated list containing Hindi names of offices etc. as complied by the P & T Department has also been circulated to all the P &T Offices.

(iv) A decision has been taken to name all offices in Hindi and English. Similarly in all the sign boards of offices notice boards and officers' name plates are also being displayed in Hindi, Regional language and English.

Use of Hindi in Cantonment Boards

54. **Shri Vishram Prasad:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the names of Cantonment Boards in Northern India where the employees have been permitted to write notes and correspondence in Hindi;

(b) whether adequate incentives are being given to them for the same; and

(c) the names of those Cantonment Boards which have not been given such incentives and when this deficiency is likely to be made up?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a), (b) and (c). The information and statements desired are being collected and will be placed on the Table of the House.

अन्तर्राष्ट्रीय रहन-सहन सम्बन्धी प्रयोग

55. **श्री तन सिंह** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमरीका 'अन्तर्राष्ट्रीय रहन-सहन सम्बन्धी प्रयोग' कार्यक्रम के अन्तर्गत 'प्रयोगकर्त्ताओं' के आदान-प्रदान के बारे में सहमत हो गये हैं ;

(ख) अब तक कितने स्त्री और पुरुष भारत से अमरीका गए; तथा अमरीका से भारत आये; और

(ग) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). 'प्रयोग' (एक्सपैरीमेंट) की भारतीय शाखा 1953 में खोली गई थी लेकिन 1960 तक इसके यहां संयुक्त राज्य अमरीका से 'प्रयोगकर्ता' आए ही थे, इसने भेजा किसी को नहीं था । भारतीय 'प्रयोगकर्त्ताओं' का पहला दल 1960 में संयुक्त राज्य अमरीका भेजा गया और 1960 से अब तक जो भारतीय 'प्रयोगकर्त्ता' संयुक्त राज्य अमरीका भेजे गए हैं उनका वर्षवार ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :

1960	7
1961	7
1962	94
1963	116
1964	78
1965	80

1953 से 1965 के बीच संयुक्त राज्य अमरीका से जो 'प्रयोगकर्ता' आए उनका वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1953	11
1954	11
1955	11
1956	कोई नहीं
1957	11
1958	11
1959	11
1960	22

1961	36
1962	65
1963	44
1964	73
1965	77

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका और भारत के बीच 'प्रयोगकर्ताओं' के आदान-प्रदान पर विदेशी मुद्रा बिल्कुल खर्च नहीं होती। इस संगठन का खर्च मुख्य रूप से पी० एल० 480 के कोष द्वारा और अमरीकी फाउन्डेशनों द्वारा उठाया जाता है। भारत से जो 'प्रयोगकर्ता' जाते हैं उनके रहने-खाने का खर्च संयुक्त राज्य अमरीका के उन परिवारों द्वारा, जिन के साथ वे जाकर ठहरते हैं और 'अंतर्राष्ट्रीय रहन-सहन में प्रयोग' कार्यक्रम की अमरीकी शाखाओं द्वारा उठाया जाता है। भारत से जाने वाले 'प्रयोगकर्ता' अपने हवाई जहाज के भाड़े के लिये भारतीय संगठनों को भारतीय रुपये दे देते हैं और कुछ थोड़ा-सा धन और भी देते हैं जिसका उपयोग भारत स्थित संगठन के प्रशासनिक खर्च करने में तथा इस 'प्रयोग' की भावी गतिविधियों के लिए एक कोष जमा करने में किया जाता है। इस प्रकार, 'अंतर्राष्ट्रीय रहन-सहन में प्रयोग' एक पारस्परिक प्रबन्ध है जिसका 'विदेशी मुद्रा' पर कोई असर नहीं पड़ता।

दक्षिण बिहार एक्सप्रेस में छंटाई अनुभाग (सारटिंग सेक्शन)

56. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना और टाटानगर के बीच डाक सम्पर्क न होने के कारण जमशेदपुर जाने तथा वहां से आने वाली डाक वस्तुएं रोक ली जाती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल ने दक्षिण बिहार एक्सप्रैस में पटना से टाटानगर तक एक छंटाई अनुभाग खोलने की सिफारिश की है ताकि डाक समय पर बांटी जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) केवल बीमा वस्तुएं और पार्सल रोके जाते हैं दूसरी किस्म की वस्तुएं नहीं।

(ख) जी हां ।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

डाक व तार प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार

57. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में एक डाक व तार प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के बारे में क्या कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस केन्द्र के लिए दरभंगा को पहले से ही चुन लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना को लागू करने में देर होने के क्या कारण हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । फिर भी दरभंगा उन स्थानों में से है जहां प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

(ग) विचाराधीन स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने में डाक-तार विभाग को कितना खर्च करना पड़ेगा इस सम्बन्ध में निश्चित सूचना प्राप्त होने के बाद ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा ।

पटना में रेलवे डाक व्यवस्था कार्यालय की इमारत

58. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी समय से पटना में रेलवे डाक व्यवस्था कार्यालय में स्थान की बहुत कमी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पटना रेलवे डाक व्यवस्था कार्यालय के लिये नई इमारत बनाने के लिए अनुपूर्वी संचार मंत्रियों द्वारा दिये गये सभी आश्वासनों को दस वर्षों से अधिक समय गुजर जाने पर भी कार्यान्वित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) हालांकि कर्मचारी यूनियनों ने मंत्री महोदय को अभ्यावेदन भेजे हैं, फिर भी ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई आश्वासन नहीं दिया गया है । यह मामला पिछले कुछ समय से डाक-तार और रेल विभाग के विचाराधीन रहा है और अब रेलवे ने 1966–67 के दौरान पटना रेल डाक व्यवस्था के लिए एक इमारत बनाना मंजूर कर लिया है । फिर भी परियात को दूसरे मार्गों द्वारा भेज कर और पटना के बड़े डाकघर की इमारत में छंटाई पर स्थापित करके कुछ राहत दी गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

'भारी पानी' का निर्यात

59. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नंगल में तैयार किये गये 'भारी पानी' का निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो किन देशों को ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) तथा (ख). जी हां । नंगल में तैयार किया गया 10 मीट्रिक टन 'भारी पानी' हाल ही में बैल्जियम को 3 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया गया है ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर

60. श्री रा० बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री बसुमतारी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में विमान बनाने का काम अनुसूची के अनुसार हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने विमान बन चुके हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) कानपुर में विमानों का उत्पादन 1965 के दौरान शेडूल से कुछ पीछे है, और विलम्ब के कारण हैं, विदेशों से संघटकों की अप्राप्ति तथा कुछ हद तक, तकनीकी सेविवर्ग की तैयारी में सुस्त रफतारी। 1966 के लिए विदेशों से संघटकों आदि की प्राप्ति का बेहतर आश्वासन मिला है, और उस वर्ष के लिए उत्पादन शेडूल के अनुसार काम होना प्रत्याशित है।

(ख) अब तक 5 विमानों का निर्माण हो चुका है।

भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के कर्मचारी

61. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व भारतीय सेना के वे कर्मचारी, जो आज़ाद हिन्द फौज में चले गये थे और नौकरी से हटाये गये थे, अब 31 दिसम्बर, 1965 तक अपने दावे पेश कर सकते हैं ;

(ख) भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के कितने दावे स्वीकार किये गये और उनका भुगतान किया गया ;

(ग) अब तक कितनी कुल राशि का भुगतान किया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि अभी तक काफ़ी लोगों ने दावे पेश नहीं किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां। दावे भेजने की तिथि 31 दिसम्बर, 1965 तक बढ़ा दी गई है।

(ख) 15 जुलाई, 1965 तक 12165 दावे प्राप्त हुए थे, और अदा कर दिये गये थे।

(ग) 15 जुलाई, 1965 तक 2296940 रुपये की राशि अदा की गई।

(घ) जिन लोगों ने अभी तक अपने दावे नहीं भेजे उनकी संख्या लगभग 1000 है।

(ङ) ठीक ठीक कारण ज्ञात नहीं हैं। कई हालतों में, हो सकता है सम्बन्धित व्यक्ति भारतीय नागरिक न हों अथवा बिना अधिकृत दावेदारों के निधन प्राप्त हो चुके हों।

थुम्बा के पास वेली में प्रयोगशाला

62. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थुम्बा के पास वेली में अन्तरिक्ष प्रोद्योगकी प्रयोगशाला का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने वेली स्थित प्रयोगशाला को मिलाने वाली सड़क के लिये भूमि अर्जित कर के दे दी है; और

(ग) परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी नहीं।

(ख) केरल सरकार ने प्रयोगशाला को मिलाने वाली सड़क के लिये भूमि अभी हमें नहीं दी है ।

(ग) ऐसी संभावना है कि यह परियोजना स्वीकृत होने के बाद लगभग 3 वर्ष में पूरी होगी ।

विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में

RE: QUESTIONS OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : मुझे विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ सूचनायें मिली हैं जिनमें से कुछ डा० लोहिया की गिरफ्तारी के बारे में हैं और अन्य इस सम्बन्ध में कि गृह-मंत्री के निवास स्थान के बाहर समाजवादी दल के कुछ सदस्य पुलिस द्वारा पीटे गये। मैं इन सब को यहां पढ़ना आवश्यक नहीं समझता हूं।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : हां, मैं वहां उपस्थित था।

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में यह नहीं आता कि ये किस प्रकार विशेषाधिकार के प्रश्न हैं। वहां कोई घटना हुई है। मैं इसके बारे में सभा में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे सकता । मैंने उन्हें अस्वीकार किया है और दो अन्य बातें हैं जिनके बारे में मुझे सभा को सूचना देनी है।

"भारत ज्योति" में लोक लेखा समिति के ऊपर लगाये गये आक्षेपों तथा उसके सम्पादक द्वारा क्षमा याचना के बारे में

RE: ASPERSIONS ON P.A.C. IN "BHARAT JYOTI" AND APOLOGY BY THE EDITOR

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि "भारत ज्योति" के 16 मई, 1965 के बम्बई संस्करण में प्रकाशित "सर्विस आर स्लैण्डर" (सेवा अथवा अपमान वचन)

नामक लेख में लोक लेखा समिति के ऊपर लगाये गये कुछ आक्षेपों की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ इस लेख में यह लिखा गया था :

> "लोक-लेखा समिति के प्रतिवेदन, पुर्नविचार प्रतिवेदन होने के बजाये महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की भांति अधिकाधिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन बनते जा रहे हैं और इसलिये ये अधिकाधिक अनावश्यक बन रहे हैं।

इस लेख में लोक लेखा समिति के सम्बन्ध में, ये वाक्य भी प्रयोग किये गये थे कि : "सरकारी उपक्रमों में अन्तर्निहित सामाजिक उद्देश्यों को न समझना" और "ऐसा प्रतीत होता है कि लोक-लेखा समिति को यह ज्ञात नहीं है कि अधिकतर व्यापारिक सौदों में ऋण.....निरन्तर वापिस किये जाते हैं तथा इसके साथ-साथ ऋण निरन्तर दुबारा लिये जाते हैं, ..." ।

मेरे निदेशानुसार बम्बई में "भारत ज्योति" के सम्पादक को एक पत्र लिखा गया था कि उन्हें इस बारे में क्या कहना है।

अपने उत्तर में सम्पादक ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है :

> "...... इसलिये मेरा अभिप्राय संसदीय समितियों का लेशमात्र भी अपमान करना नहीं था।

मुझे खेद है कि ऐसी धारणा पैदा हो गई है जिसका उल्लेख आपने अपने पत्र में किया है जिसका अब मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस लेख को प्रकाशित करते समय मुझे यह तनिक भी ज्ञात नहीं था कि इसका मतलब यह निकाला जायेगा जो कि अब आपने निकाला है।

मुझे विश्वास है कि इस स्पष्टीकरण से स्थिति स्पष्ट हो जायेगी और अध्यक्ष महोदय को यह संतोष हो जायेगा कि यह लेख संसदीय समितियों के ऊपर आक्षेप लगाने अथवा उनके प्रति असम्मान दिखाने के उद्दश्य से कभी भी नहीं लिखा गया था और न ही अब इसका यह मतलब निकाला जाना चाहिये।

लोक लेखा समिति की आलोचना सद्भावना से तथा रचनात्मक उद्देश्य से की जाती है और मुझे आशा है कि इसे उसी दृष्टि से देखा जायेगा।

यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यदि इस लेख का यह मतलब निकाला जाये कि इसमें लोक सभा की लोक लेखा समिति पर आक्षेप लगाया गया है अथवा इसके प्रति असम्मान दिखाया गया है, तो वास्तव में मुझे बहुत खेद है।"

"भारत ज्योति" के सम्पादक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण तथा उन्होंने जो खेद व्यक्त किया उसको ध्यान में रखते हुए, इस विषय को समाप्त समझा जाये। मुझे आशा है कि सभा इस बात से सहमत होगी।

माननीय सदस्य : हां, श्रीमान्।

Re : Comments on report of P.A.C. by Director of Publicity, Khadi Commission in 'Times of India' and 'Economic Times' — August 16, 1965

खादी आयोग के प्रचार निदेशक द्वारा 'टाइम्स आफ इंडिया' तथा 'इकोनोमिक टाइम्स' में लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में की गई टिप्पणियों के बारे में

RE: COMMENTS ON REPORT OF P.A.C. BY DIRECTOR OF PUBLICITY, KHADI COMMISSION IN 'TIMES OF INDIA' AND 'ECONOMIC TIMES'

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि मेरा ध्यान 26 मई, 1965 के "टाइम्स आफ इंडिया" के नई दिल्ली संस्करण में "खादी कमीशन" (खादी आयोग) के नाम से प्रकाशित सम्पादक के नाम एक पत्र 21 मई, 1965 के "इक्नामिक टाइम्स" के बम्बई संस्करण में "खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का कार्य संचालन" के नाम से प्रकाशित एक लेख तथा 20 मई, 1965 के "जागृति" के बम्बई संस्करण में "आयोग तथा लोक लेखा समिति" के नाम से प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के प्रचार निदेशक द्वारा लिखे गये सम्पादक के नाम पत्र तथा इन लेखों में खादी तथा ग्रामोद्योग के बारे में लोक लेखा समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों एवं व्यक्त किये गये विचारों के सम्बन्ध में टिप्पणियां की गई थीं ।

19 अप्रैल, 1965 को भारत सेवक समाज के मामले में मैंने जो विनिर्णय दिया था उसके आधार पर यह मामला सामाजिक सुरक्षा विभाग से उठाया गया था ताकि वे इस बारे में उचित कार्यवाही करे। सदस्यों को यह याद होगा कि उस मामले में मैंने यह कहा था कि ऐसे निकाय के, जिसके कार्य-संचालन की समिति ने जांच की है, किसी कर्मचारी अथवा प्रवक्ता को संसदीय समिति की सिफारिशों तथा उपपत्तियों पर सरकारी बयान में अथवा समाचारपत्रों में कोई टिप्पणी नहीं देनी चाहिये ।

इसके उत्तर में सामाजिक सुरक्षा विभाग ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव आफीसर द्वारा भेजे गये पत्र की एक प्रति भेजी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह लिखा गया है :

> "इस आयोग के प्रचार निदेशक ने प्रेस के नाम एक पत्र जारी किया था जो "टाइम्स आफ इंडिया", बम्बई "इक्नोमिक टाइम्स", बम्बई तथा "जागृति" में छपा । यह पत्र एकमात्र इस अभिप्राय से लिखा गया था कि इस आयोग के कार्य-संचालन के बारे में प्रेस में जो आलोचना हुई थी, उसका उत्तर दिया जा सके ।
>
> .... इस समिति की सिफारिशों पर खुले आम आपत्ति उठाने का न ही तो कोई आशय था और न ही ऐसा कोई प्रयास किया गया है । यह आयोग सम्मान-पूर्वक लोक लेखा समिति को यह आश्वासन दिलाना चाहता है कि प्रचार निदेशक और इस आयोग का लोक लेखा समिति का अपमान करने का विचार न ही तो कभी था, न ही तो है और न ही तो कभी हो सकता है ।
>
> इस आयोग तथा प्रचार निदेशक को खेद है कि वे लोक लेखा समिति के मन में असंतोष पैदा करने के लिये जिम्मेवार हैं । फिर भी यदि इस लेख में कुछ ऐसी बात है, जिस पर अपवाद किया जा सकता है, तो यह आयोग तथा प्रचार निदेशक क्षमा याचना करते हैं ।"

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के चीफ एग्ज़ीक्यूटिव आफीसर द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण एवं क्षमा याचना को स्वीकार किया जाना चाहिये और इस विषय को समाप्त समझा जाना चाहिये। मझे आशा है कि सभा मुझ से सहमत है ।

माननीय सदस्य : हां, श्रीमान् ।

स्थगन प्रस्तावों, ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं आदि के बारे में

RE: MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES ETC.

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कई स्थगन प्रस्ताव, ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं और अविश्वास प्रस्ताव हैं। मैं अविश्वास प्रस्ताव को निपटाने के पश्चात् स्थगन प्रस्तावों को लूंगा ।

एक माननीय सदस्य : ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं का क्या होगा ।

अध्यक्ष महोदय : उन सबको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत पाकिस्तान करार के सम्बन्ध में विवरण

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : श्रीमान्, मैं गुजरात-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के सम्बन्ध में जून, 1965 के भारत-पाकिस्तान करार के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये संख्या एल० टी० 4436/65]**

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कच्छ के रन के इस युद्ध विराम समझौते द्वारा संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : जब हम इस समझौते पर चर्चा करेंगे, हम इसकी जांच करेंगे ।

श्री हेम बरुआ : यदि आप मुझे जरा धीरज से सुनेंगे तो सारी बात बहुत स्पष्ट हो जायेगी और यदि आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न मानेंगे, . . .

अध्यक्ष महोदय : निश्चय ही मैं उन्हें सुनूंगा और तब अपना निर्णय दूंगा । यदि आपत्ति यह है कि इसे सभा-पटल पर नहीं रखा जा सकता तो उनका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इसे केवल सभा-पटल पर रखा जा रहा है और यदि उन्हें इसकी मान्यता पर कोई आपत्ति है और वह यह कहते हैं कि यह संविधान की शक्ति से परे है तो हम इसके बारे में उस समय सुन सकते हैं जब हम इस पर चर्चा करेंगे, और अब नहीं । अब इसे केवल सभा-पटल पर रखा जा रहा है । जब हम इस पर चर्चा करेंगे उस समय मैं उन्हें बोलने का अवसर दूंगा ।

श्री हेम बरुआ : मैं यह बताऊंगा कि किस प्रकार इससे संविधान का उल्लंघन होता है । यदि आप मेरी यह बात मान लें कि इससे संविधान के कुछ उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है, तो इस प्रस्ताव पर चर्चा ही नहीं हो सकती ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उस समय उठेगा जब इस पर चर्चा होगी। जब इस पर चर्चा प्रारम्भ होगी उस समय वह कह सकते हैं कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती और चर्चा से पूर्व उन्हें अवसर दिया जायेगा। इस समय सौभाग्य से माननीय सदस्य तथा मैं इस बात पर सहमत हैं कि वह इस समझौते को पटल पर रखे जाने के लिये आपत्ति नहीं उठा रहे हैं। इसलिये मैं उन्हें अब नहीं सुन सकता।

प्रधान मंत्री की हाल ही की विदेश यात्रायें

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह चार या पांच पृष्ठों का वक्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय : वह इसे सभा-पटल पर रख सकते हैं।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हां, श्रीमान्। मैं अपनी हाल ही की विदेश यात्राओं के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं।
[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4467/65]

जमा बीमा निगम का कार्य संचालन सम्बन्धी प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : श्रीमान्, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) जमा बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1964 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये जमा बीमा निगम के कार्य-संचालन सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति, वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4355/65]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620(1) के अन्तर्गत जारी की जाने वाली अधिसूचना के प्रारूप की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 620 की उप-धारा (2) द्वारा अपेक्षित है।
[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4437/65]

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1965–66 के दौरान लिये गये ऋणों के परिणाम दिखाने वाला विवरण।
[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4438/65]

(4) वर्ष 1963–64 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्त लेखे की एक प्रति।
[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4439/65]

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : श्रीमान्, मैं खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत दिनांक 10 अप्रैल 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 556 की एक प्रति सभा पटल पर पुनः रखता हूं।
[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4311/65]

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश तथा अधिलाभांश की अदायगी अध्यादेश

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमान्, मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रपति द्वारा 20 मई, 1965 को प्रख्यापित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1965 (1965 की संख्या 2) । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4440/65]**

(2) राष्ट्रपति द्वारा 29 मई, 1965 को प्रख्यापित अधिलाभांश की अदायगी अध्यादेश, 1965 (1965 की संख्या 3) । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4441/65]**

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या संसद्-कार्य मंत्री अपनी हाल ही की विदेश यात्रा के दौरान अपने विभिन्न तथा रुचिपूर्ण अनुभवों के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखेंगे ? कोई उत्तर नहीं मिल रहा ।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया तो माननीय सदस्य मंत्री महोदय के पास बैठ कर उनके आनन्द में भाग ले सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, सारी सभा को भाग लेना चाहिये ।

औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 27 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 488 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति ।
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4442/65]

(2) अधिलाभांश की अदायगी नियम, 1965 जो दिनांक 14 जून, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 884 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति ।
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4443/65]

(3) सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी–6(5)/64, दिनांक 31 मई, 1965, जिसके द्वारा अन्तरिम मजूरी बृद्धि दिए जाने के लिए सीमेन्ट उद्योग सम्बन्धी दूसरे केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की स्वीकृति की घोषणा की गई थी, की एक प्रति ।
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4444/65]

(4) केन्दवाडीह कोयला खान, धनबाद में, 22 अप्रैल, 1965 को हुई घातक दुर्घटना के बारे में मुख्य खान निरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति ।
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4445/65]

दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, 1940 के सम्बन्ध में अधिसूचना

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : श्री राज बहादुर की ओर से मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ० 12 (95)/62 पी० आर० (टी०), जो दिनांक 28 जनवरी, 1965 के दिल्ली राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, 1940 में कुछ संशोधन किये गये थे, की एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4280/65]

अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु तथा निवृत्ति लाभ) तीसरा संशोधन नियम, आदि ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : श्री हाथी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु तथा निवृत्ति लाभ) तीसरा संशोधन नियम, 1965 जो, दिनांक 17 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 572 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4291/65]

(2) अन्तर्राज्यीय निगम अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप–धारा (5) के अन्तर्गत बम्बई श्रम कल्याण बोर्ड (पुनर्गठन) संशोधन आदेश, 1965, जो दिनांक 19 जून, 1965 को अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1893 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4446/65]

रेलवे सुरक्षा बल (संशोधन) नियम

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): Sir I beg to lay on the Table a copy of the Railway Protection Force (Amendment) Rules 1965 published in Notification No. G.S.R. 655 dated the 1st May, 1965 under sub-section (3) of section 21 of the Railway Protection Force Act, 1957. [*Placed in Library. See LT No.* 4447/65]

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उप–धारा (1) के अन्तर्गत 16 अगस्त, 1963 से 31 मार्च, 1964 तक की अवधि के लिये हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बम्बई के वार्षिक प्रतिवेदन, परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4448/65]

केरल पंचायत (प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्तियों पर प्रतिबन्ध तथा नियंत्रण) नियम, 1963 आदि, आदि के बारे में अधिसूचना

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : मै, श्री ब० सू० मूर्ति की ओर से (1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपित द्वारा केरल राज्य के संबंध में दिनांक

24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्‌घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल पंचायत अधिनियम, 1960 की धारा 130 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं:—

(एक) एस० आर० ओ० 2/64 जो दिनांक 7 जनवरी, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्तियों पर प्रति–बंध तथा नियंत्रण) नियम, 1963 दिए गए हैं ।

(दो) एस० आर० ओ० 19/64 जो दिनांक 21 जनवरी, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (घाट, विराम स्थान तथा गाड़ियों के अड्डे) नियम, 1964 दिए गए हैं ।

(तीन) एस० आर० ओ० 18/64 जो दिनांक 21 जनवरी, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (पंचायत द्वारा स्त्रियों के नाम निर्देशन) नियम, 1964 दिये गये हैं ।

(चार) एस० आर० ओ० 29/64 जो दिनांक 4 फरवरी, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (निर्वाचन विवादों का निर्णय) नियम, 1963 दिये गये हैं ।

(पांच) एस० आर० ओ० 140/64 जो दिनांक 5 मई, 1964 में केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (पंचायती तथा गैर-पंचायती बाजार) नियम, 1964 दिये गये हैं ।

(छः) एस० आर० ओ० 139/64 जो दिनांक 5 मई, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (बूचड़खाने तथा मांस की दूकानें) नियम, 1964 दिये गये हैं ।

(सात) एस० आर० ओ० 191/64 जो दिनांक 16 जून, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (व्यय का प्राधिकरण) नियम, 1964 दिएगए हैं ।

(आठ) एस० आर० ओ० 185/64 जो दिनांक 16 जून, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (दण्डाधिकारियों द्वारा अपराधों पर विचार) नियम, 1964 दिये गये हैं ।

(नौ) एस० आर० ओ० 201/64 जो दिनांक 23 जून, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (पंचायती तथा गैर-पंचायती शौचालयों के निर्माण तथा संधारण और निजी भवनों से कूड़ा तथा कचरा हटाना) नियम, 1964 दिये गये हैं ।

(दस) एस० आर० ओ० 195/64 जो दिनांक 23 जून, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (तीर्थस्थानों पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों से अंशदान) नियम, 1964 दिये गये हैं ।

[श्री अ० म० थामस]

(ग्यारह) एस० आर० ओ० 326/64 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (लावारसी लाशों का संस्कार) नियम, 1964 दिये गये हैं।

(बारह) एस० आर० ओ० 328/64 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (शिक्षा का प्रसार) नियम, 1964 दिये गये हैं।

(तेरह) एस० आर० ओ० 339/64 जो दिनांक 3 नवम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (ग्राम अधिकारियों के कर्तव्य) नियम, 1964 दिये गये हैं।

(चौदह) एस० आर० ओ० 19/65 जो दिनांक 19 जनवरी, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (अतिसर्पण हटाना तथा अनधिकृत कब्जे के लिए दण्ड का आरोपण तथा उगाही) नियम, 1964 दिये गये हैं।

(पन्द्रह) एस० आर० ओ० 5/64 जो दिनांक 7 जनवरी, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (पंचायत की सभाओं तथा समितियों की कार्यवाहियां) नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(सोलह) एस० आर० ओ० 40/64 जो दिनांक 18 फरवरी, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (सभापतियों के कृत्यों का न्यागमन तथा प्रत्यायोजन) नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(सतरह) ए० आर० ओ० 46/64 जो दिनांक 25 फरवरी, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (अवैधानिक संकल्पों पर कार्यावाही की प्रक्रिया) नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया है।

(अट्ठारह) एस० आर० ओ० 82/64 जो दिनांक 31 मार्च, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(उन्नीस) एस० आर० ओ० 69/64 जो दिनांक 24 मार्च, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (ग्राम संस्थायें) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया है।

(बीस) एस० आर० ओ० 81/64 जो दिनांक 31 मार्च, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (अभिलेखों की परिरक्षा तथा अभिलेखों के विवरण की प्रतिलिपियों का देना) नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया है।

(इक्कीस) एस० आर० ओ० 95/64 जो दिनांक 7 अप्रैल, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (पंचायत की बैठकों में संकल्पों का पेश करना) नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(बाईस) एस० आर० ओ० 94/64 जो दिनांक 7 अप्रैल, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (सदस्यों की संख्या का निर्धारण तथा हलकों का विभाजन) नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया है ।

(तेईस) एस० आर० ओ० 93/64 जो दिनांक 7 अप्रैल, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (करारोपण तथा अपील) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया है ।

(चौबीस) एस० आर० ओ० 170/64 जो दिनांक 2 जून, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (सदस्यों द्वारा सभापति से प्रश्नोत्तर) नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(पच्चीस) एस० आर० ओ० 184/64 जो दिनांक 16 जून, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (उम्मीदवारों एवं सदस्यों की अनर्हता) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(छब्बीस) एस० आर० ओ० 211/64 जो दिनांक 7 जुलाई, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (लोक निर्माण कार्यों के लिये निविदाओं को आमंत्रित करना तथा उनका निपटान) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया है ।

(सत्ताईस) एस० आर० ओ० 204/64 जो दिनांक 30 जून, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (कुत्तों और सुअरों के लाइसेंस देना तथा आवारा कुत्तों और सुअरों को समाप्त करना) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया है ।

(अट्ठाईस) एस० आर० ओ० 261/64 जो दिनांक 1 सितम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (खतरनाक तथा घृणित व्यवसायों तथा कारखानों को लाइसेंस देना) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया है ।

(उनतीस) एस० आर० ओ० 292/64 जो दिनांक 22 सितम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (जांच करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की शक्तियां) नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(तीस) एस० आर० ओ० 289/64 जो दिनांक 15 सितम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (लोक निर्माण कार्यों के निष्पादन का तरीका) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया है ।

[श्री अ० म० थामस]

(इकत्तीस) एस० आर० ओ० 310/64 जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (लेखा परीक्षा) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(बत्तीस) एस० आर० ओ० 318/64 जो दिनांक 13 अक्तूबर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (कृत्यों संबंधी समितियों का गठन) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया है।

(तेंतीस) एस० आर० ओ० 338/64 जो दिनांक 3 नवम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (भवन कर) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(चौंतीस) एस० आर० ओ० 340/64 जो दिनांक 3 नवम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (प्रदर्शनकर) नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया है।

(पैंतीस) एस० आर० ओ० 360/64 जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (बजट) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(छत्तीस) एस० आर० ओ० 394/64 जो दिनांक 8 दिसम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (करारोपण तथा अपील) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(सैंतीस) एस० आर० ओ० 395/64 जो दिनांक 8 दिसम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (खतरनाक तथा घृणित व्यवसायों तथा कारखानों को लाइसेंस देना) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तीस) एस० आर० ओ० 11/65 जो दिनांक 12 जनवरी, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (वृत्ति कर) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4405/65)**

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1960 की धारा 112 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 3[illegible]/65 की एक प्रति जो दिनांक 26 जनवरी, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित ई थी तथा जिस में केरल ग्राम न्यायालय नियम, 1965 दिये हुए हैं। **[पुतस्कालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4406/65]**

धान-कूटन उद्योग (विनियमन और लाइसेंस देना) दूसरा संशोधन नियम

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) मैं श्री दा० रा० चह्वाण की ओर से धान-कूटन [illegible] ([illegible]) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत धान-कूटन

उद्योग (विनियमन और लाइसेंस देना) दूसरा संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 7 अगस्त, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1143 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [सभा पटल पर रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4449/65]

नौसेना (अनुशासन तथा विविध उपबन्ध) विनियम

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० स० राजू) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना (अनुशासन तथा विविध उपबन्ध) विनियम, 1965, जो दिनांक 6 फरवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 2 ई० में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें दिनांक 2 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 4 ई० द्वारा शुद्धियां की गई थीं, की एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4275/65]**

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं, श्री रामेश्वर साहू की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक 1 मई, 1965 की जी० एस० आर० 636

(दो) दिनांक 30 अप्रैल, 1965 की जी० एस० आर० 666

(तीन) दिनांक 8 मई, 1965 की जी० एस० आर० 702 जिसमें सीमा-शुल्क बाण्डों के अन्तर्गत निर्माण (सामान्य) दूसरा संशोधन नियम, 1965 दिये गये हैं ।

(चार) दिनांक 8 मई, 1965 की जी० एस० आर० 103

(पांच) दिनांक 11 मई, 1965 की जी० एस० आर० 735

(छः) दिनांक 11 मई, 1965 की जी० एस० आर० 736

(सात) दिनांक 20 मई, 1965 की जी० एस० आर० 760

(आठ) दिनांक 29 मई, 1965 की जी० एस० आर० 764

(नौ) दिनांक 29 मई, 1965 की जी० एस० आर० 765

(दस) दिनांक 5 जून, 1965 की जी० एस० आर० 787

(ग्यारह) दिनांक 12 जून, 1965 की जी० एस० आर० 816

(बारह) दिनांक 12 जून, 1965 की जी० एस० आर० 817

(तेरह) दिनांक 19 जून, 1965 की जी० एस० आर० 847

(चौदह) दिनांक 19 जून, 1965 की जी० एस० आर० 849

(पन्द्रह) दिनांक 19 जून, 1965 की जी० एस० आर० 850

[श्री ब० रा० भगत]

(सोलह) दिनांक 26 जून, 1965 की जी० एस० ग्रार० 886

(सत्तरह) दिनांक 26 जून, 1965 की जी० एस० ग्रार० 887

(ग्रट्ठारह) दिनांक 26 जून, 1965 की जी० एस० ग्रार० 888

(उन्नीस) दिनांक 26 जून, 1965 की जी० एस० ग्रार० 889

(बीस) दिनांक 23 जून, 1965 की जी० एस० ग्रार० 892 जिस में यात्रियों (गैर-पर्यटक) का सामान (संशोधन) नियम, 1965 प्रकाशित किये गये हैं।

(इक्कीस) दिनांक 3 जुलाई, 1965 की जी० एस० ग्रार० 920

(बाईस) दिनांक 10 जुलाई, 1965 की जी० एस० ग्रार० 937

(तेईस) दिनांक 10 जुलाई, 1965 की जी० एस० ग्रार० 938

(चौबीस) दिनांक 17 जुलाई, 1965 की जी० एस० ग्रार० 987

(पच्चीस) दिनांक 17 जुलाई, 1965 की जी० एस० ग्रार० 988

(छब्बीस) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० ग्रार० 1038

(सत्ताईस) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० ग्रार० 1039

(ग्रट्ठाईस) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० ग्रार० 1040

(उनतीस) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० ग्रार० 1041

(तीस) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० ग्रार० 1042

(इकत्तीस) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० ग्रार० 1043

(बत्तीस) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० ग्रार० 1044

(तैंतीस) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० ग्रार० 1045

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4450/65]

(2) सीमा-शुल्क ग्रधिनियम, 1962 की धारा 159 ग्रौर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक ग्रधिनियम, 1944 की धारा 38 के ग्रन्तर्गत निम्नलिखित ग्रधिसूचनाग्रों की एक-एक प्रति, जिनके द्वारा सीमा-शुल्क ग्रौर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) नियम, 1960 में कुछ ग्रौर संशोधन किये गये हैं :—

(एक) दिनांक 8 मई, 1965 की जी० एस० ग्रार० 701

(दो) दिनांक 12 जून, 1965 की जी० एस० ग्रार० 818

(तीन) दिनांक 12 जून, 1965 की जी० एस० ग्रार० 819

(चार) दिनांक 19 जून, 1965 की जी० एस० ग्रार० 851

(पांच) दिनांक 19 जून, 1965 की जी० एस० ग्रार० 852

(छः) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० ग्रार० 1013

(सात) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० ग्रार० 1014

(ग्राठ) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० ग्रार० 1015

(नौ) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1016

(दस) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1017

(ग्यारह) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1018

(बारह) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1019

(तेरह) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1020

(चौदह) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1021

(पन्द्रह) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1022

(सोलह) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1023

(सत्तरह) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1024

(अट्ठारह) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1025

(उन्नीस) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1026

(बीस) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1027

(इक्कीस) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1028

(बाईस) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1029

(तेईस) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1030

(चौबीस) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1031

(पच्चीस) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1032

(छब्बीस) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1033

(सत्ताईस) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1034

(अट्ठाईस) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1035

(उनतीस) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1036

(तीस) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1037

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4451/65]

(3) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 13 मार्च, 1965 की जी० एस० आर० 421

(दो) दिनांक 8 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 700 जिसमें केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1965 प्रकाशित किये गये हैं।

[श्री ब० रा० भगत]

(तीन) दिनांक 6 जून, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 792 जिस में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 1965 प्रकाशित किये गये हैं ।

(चार) दिनांक 17 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 990 जिस में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1965 प्रकाशत किये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4452/65]**

(4) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 10 जून, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1886 जिसमें आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 1965 प्रकाशित किये गये हैं ।

(दो) दिनांक 5 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2156 जिसमें आय-कर (छटा संशोधन) नियम, 1965 प्रकाशित किये गये हैं ।

(तीन) दिनांक 9 जुलाई, 1965 की एस० ओ० 2215 **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4453/65]**

(5) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) वित्त अधिनियम, 1965 की धारा, 77 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत दिनांक 11 मई, 1965 की जी० एस० आर० 734 **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4454/65]**

(दो) वित्त अधिनियम, 1965 की धारा 81 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत दिनांक 11 मई, 1965 की जी० एस० आर० 737 **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4455/65]**

(तीन) सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 85 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 14 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 742 जिसमें सम्पदा शुल्क (संशोधन) नियम, 1965 प्रकाशित किये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4456/65]**

(चार) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और वित्त अधिनियम 1965 की धारा 77 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत दिनांक 24 मई, 1965 की जी० एस० आर० 762 **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4457/65]**

(पांच) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत दिनांक 10 जून, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 832, जिसमें धन-कर (संशोधन) नियम, 1965 प्रकाशित किये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4458/65]**

(छः) दिनांक 8 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2214 जिसमें आय-कर (निर्यात लाभ का निर्धारण) नियम, 1965 प्रकाशित किये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4459/65]**।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं गत् सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये निम्नलिखित तीन विधेयक, जिन पर 2 अप्रैल, 1965 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात्, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) वित्त विधेयक, 1965।

(2) विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1965।

(3) केरल विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1965।

मैं, गत् सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये निम्नलिखित तीन विधेयकों की जिन पर 2 अप्रैल, 1965 की सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात्, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित प्रतियां भी सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) जारी रखना विधेयक, 1965।

(2) केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1965।

(3) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1965।

संसदीय समितियाँ

PARLIAMENTARY COMMITTEES

कार्य का सारांश

सचिव : मैं 1 जून, 1964 से 31 मई, 1965 तक की अवधि के लिये "संसदीय समितियां—कार्य का सारांश" नामक पुस्तिका की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

पुस्तकालय समिति के नियमों में संशोधन

AMENDMENT TO RULES OF LIBRARY COMMITTEE

सचिव : मैं पुस्तकालय समिति के नियमों के नियम 1 और 4 में अध्यक्ष द्वारा किये गये संशोधनों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में

RE: PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : दिनांक 14 मई, के समाचार (बुलेटिन) से हमें यह जानकारी मिली कि लोक-सभा के सत्रावसान के पश्चात्, राज्य सभा ने 13 और 14 मई को दो विधेयक वापिस किये । एक केरल विनियोग विधेयक था और दूसरा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक था । मैं आपका ध्यान नियम 97 और नियम 103 की ओर दिलाना चाहता हूं । नियम 97 इस प्रकार है :—

> "यदि धन विधेयक के अतिरिक्त सभा द्वारा पारित तथा राज्य सभा को पहुंचाया गया कोई विधेयक राज्य सभा द्वारा बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाये, तो उस विषय में राज्य सभा से प्राप्त सन्देश सचिव द्वारा सभा को प्रतिवेदित किया जायेगा ।"

नियम 103 भी उसी प्रकार है, कि जो सन्देश प्राप्त हों, उन्हें सचिव को सभा को प्रतिवेदित करना चाहिये । अब, जब 13 और 14 मई को राज्य सभा से विधेयक वापिस आये तो लोक-सभा का सत्र समाप्त हो चुका था, अतः विधेयक, बिना इस सभा द्वारा पास किये गये, राष्ट्रपति की अनुमति के लिये भेजे गये थे । और क्योंकि नियमों 97 और 103 के अनुसार राज्य सभा से प्राप्त सन्देश इस सभा को प्रतिवेदित नहीं किया गया, यह विधेयक, जिन पर राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी है विधिवत् नहीं हैं और संविधान तथा इस सभा द्वारा अंगीकृत नियमों के विरुद्ध हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जब सभा का सत्र नहीं चल रहा होता, तो इसके बारे में नियम यह है । नियम 11(2) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है:

> "जब कभी, यथास्थिति, सभा या राज्य सभा, जिसे सन्देश भेजा जाये, सत्र में न हो तो सन्देश की प्रति सभा या राज्य सभा के सचिव को जैसे ही प्राप्त हो उसके द्वारा सभा या राज्य सभा के प्रत्येक सदस्य को भेजी जायेगी ।"

यह नियम राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये हैं । जब सभा का सत्र चल रहा हो तो यह नियम लागू नहीं होता तो सब कुछ सभा को रिपोर्ट करना होगा । श्री कामत का मत है कि क्योंकि विधेयक नियमित रूप से पारित नहीं हुआ अतः यह पारित नहीं समझा जाना चाहिये ।

अब इस प्रश्न का निर्णय तो कोई अदालत ही कर सकती है । मेरा तो इतना ही निवदन है कि सब कुछ नियमित रूप में कर दिया गया है । अतः इसमें अब कुछ बात रह नहीं जाती ।

श्री हरि विष्णु कामत : आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । मैंने यह पूछा था कि क्या सदन द्वारा बनाये गये नियमों को राष्ट्रपति रद्द कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय: रद्द तो नहीं कर सकते, पर वह उसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं और कहीं स्पष्ट भी कर सकते हैं ।

श्री हो॰ ना॰ मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : राष्ट्रपति कितने बड़े और महान् हों, परन्तु इस प्रभुसत्तासम्पन्न सदन की उपेक्षा नहीं कर सकते । और उन्हें सदन के कार्य में हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : दोनों सदनों की परस्पर लिखा पढ़ी के मामले में राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं । यह व्यवस्था संविधान के अन्तर्गत विद्यमान है । यदि किसी को कोई सन्देह हो तो वह इस मामले में न्यायपालिका का निर्वचन प्राप्त कर सकते हैं ।

डा॰ लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : यदि राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया कोई नियम हमारे बनाये गये नियमों के विरुद्ध जाता है तो यह हमारी शक्तियों और अधिकारों का प्रश्न पैदा करना है और इसकी छानबीन और परीक्षण करने का हमारा अधिकार है ।

श्री नाथ पाई : यह प्रश्न संविधान से सम्बन्ध रखते हैं । हो सकता है कि राष्ट्रपति को ठीक सलाह न दी गयी हो । परन्तु आपके यह कहने से हमें कोई सहायता नहीं मिलेगी कि मामला खत्म हुआ । ऐसे मामलों पर उच्चतम न्यायालय में मामले को ले जाने से भी काम नहीं चलता । ऐसे मामलों पर तो हमें परस्पर विचार विनिमय करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बात स्पष्ट कर दी है । जो विधेयक पारित हुए हैं उन्हें सभा पटल पर रख दिया गया है, और मैंने माननीय सदस्यों को यह बताया है कि ये राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों के अनुरूप ही हैं । इस बात का निर्णय मैं नहीं कर सकता कि कोई एक नियम सदन के नियमों के विरुद्ध है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जोधपुर) : हमें नियम के परीक्षण कर लेने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए और परीक्षण के बाद यदि कोई भूल महसूस हो तो राष्ट्रपति को इस बारे में निवेदन किया जा सकता है कि वह नियम में परिवर्तन कर दे ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, मैं आपकी मान लेता हूं, मैं इस मामले को देखूंगा ।

सदस्य का त्याग-पत्र
RESIGNATION OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को बताना है कि श्री नित्यानन्द कानूनगो ने, जो कि कटक चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित कर सभा में आये थे, 31 जुलाई 1965 की दोपहर से सभा के कार्य से त्याग पत्र दे दिया है ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक
BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL

(1) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(2) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

श्री रघुनाथ सिंह : मैं, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सदनों की संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत साक्षी की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

जम्मू तथा काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा पर तथा अन्य स्थानों पर और भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT ON SITUATION ALONG CEASE-FIRE LINE AND ELSEWHERE IN JAMMU AND KASHMIR AS WELL AS ALONG INDO-PAKISTAN BORDERS

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : भारत-पाक सीमा पर सभी जगह तथा जम्मू-काश्मीर में युद्ध विराम रेखा पर और राज्य के अन्य स्थानों पर जो स्थिति है, उस सम्बन्ध में मैं अपना वक्तव्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

माननीय सदस्यों को पता ही है कि हमें गत 11 दिनों से एक नई तरह की स्थिति से दो चार होना पड़ रहा है । जम्मू और काश्मीर राज्य को खतरा पैदा हो गया है । पाकिस्तानियों ने संगठित रूप में युद्ध विराम रेखा को पार कर असैनिक नागरिकों के रूप में हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करना आरम्भ कर दिया । ये लोग अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर आ रहे हैं । 5 अगस्त के दिन लोग बहुत बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र में घुस आये । बहुत से दक्षिण पश्चिम गुलमर्ग से आये । इस दिशा में तुरन्त कार्यवाही की गयी और इन आक्रान्ताओं का पता लगाया गया । उनके जवाब में हमारी सुरक्षा सेना द्वारा गोली चलाई जाने के बाद बहुत से आक्रान्ता अन्धेरे में भाग गये ।

हमें जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनकी पुष्टि उन घुसपैठ करने वाले व्यक्तियों ने भी की है, जिन्हें कि हमने बन्दी बनाया है । उससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यह जो कुछ भी हुआ है, इस की तैयारी पाकिस्तान में कई मास पूर्व की गई थी । प्रारम्भ में जो आक्रान्ताओं में मुठभड़ें हुईं, उनमें ये लोग काफी संख्या में मारे गये । हमने जो शस्त्र तथा बारूद इत्यादि कब्जे में किया है, उनसे भी यह स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि यह सब सामान बिल्कुल वैसा ही है जिसका कि प्रयोग पाकिस्तान सेना प्रायः करती है । घुसपैठ करने वाले अधिकतर पाकिस्तानी सेना की तथाकथित "आजाद काश्मीर" के सैनिक दल के सिपाही हैं । "आजाद काश्मीर" नाम का सैनिक दल पाकिस्तान ने युद्ध विराम रेखा पर काम करने के लिये बना रखी है । इस पलटन के सारे अधिकारी पाक सेना के ही हैं । इस पलटन की सहायता तथाकथित 'मुजाहिद' अथवा 'रज़ाकार' करते हैं। घुसपैठ करने वाले व्यक्तियों के पास राईफलें, स्टेन गनें, हल्की मशीन गनें, हथगोले "राकेट लायर" और विस्फोट शस्त्र हैं । इस प्रकार के शस्त्र काफी बड़ी मात्रा में हमने उनसे प्राप्त किये हैं ।

हमें यह सूचना भी प्राप्त हो गयी थी कि मुजाहिदों, रजाकारों तथा आजाद काश्मीर के सैनिक कर्मचारियों को गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के आधार पर प्रशिक्षित किया जा रहा था। परन्तु हमें यह अनुमान नहीं था कि पाकिस्तान कब, कैसे और कहां चोट करने का इरादा रखता है । शुरू-शुरू में इन आक्रान्ताओं ने कुछ थोड़ी बहुत हानि पहुंचाई । कुछ पुल इत्यादि तोड़ दिये, परन्तु उन पुलों की तुरन्त मरम्मत कर दी गयी है । हमारे यातायात में कोई बाधा नहीं आई और वह पूर्ववत् चलता रहा है ।

लगता है कि आक्रान्ताओं का लक्ष्य श्रीनगर शहर में प्रवेश करने का था। उन्होंने 9 अगस्त का दिन भी शायद इसलिए चुना था, क्योंकि उस दिन कुछ राजनीतिक दलों द्वारा वहां एक प्रदर्शन होने वाला था। आक्रान्ताओं को आशा थी कि इस तरह शहर में गड़बड़ी फैल जायेगी। इस प्रकार की स्थिति बन जायगी जिससे यह जाहिर हो सके कि श्रीनगर में सशस्त्र विद्रोह हो गया है। आक्रान्ता अपनी इस कोशिश में सफल न हो सके और उनका मुख्य उद्देश्य पूरा न हो सका। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि काश्मीर के लोगों ने भी इन आक्रांता लोगों के साथ कोई सहानुभूति प्रकट नहीं की। इसके विपरीत कई मामलों में स्थानीय लोगों ने इन आक्रान्ताओं को पकड़ने के लिए सक्रिय सहायता दी।

अब श्रीनगर में पूर्ण शांति है और लोग सामान्यतः अपने कार्यों में लगे हुए हैं। कुछ न बनते देख घुसपैठ करने वाले आक्रान्ता स्कूलों, पंचायत घरों तथा गांवों में आग लगाने लग गये। और उन्होंने उन लोगों पर गोलियां चलाईं जिन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया। धार्मिक स्थानों पर भी इन आक्रान्ताओं ने गोलियां चलाई। कई निहत्थे ग्रामीण मार डाले गये, और कई ग्रामीणों को बलात् राशन इत्यादि देने के लिए मजबूर किया गया। 14 अगस्त की रात को कुछ पाकिस्तानी तोड़ फोड़ करने वाले तत्वों ने श्रीनगर के बाह्य क्षेत्र में एक मुहल्ले में आग लगा दी जिसके परिणामस्वरूप 300 मकान जल कर राख हो गये। इस सम्बन्ध में कुछ पाकिस्तानी तोड़ फोड़ करने वाले विस्फोटक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किए गये हैं। सुरक्षा पुलिस काफी सचेत है। श्रीनगर के हवाई अड्डे तथा अन्य महत्वपूर्ण सैनिक केन्द्रों की सदा से चौकसी के साथ निगरानी की जा रही है।

यह ठीक है कि आक्रान्ताओं ने जो विचित्र चालें अपनाई और गोलाबारूद प्रयोग किया, और इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा करने वाले कुछ पुलिस कर्मचारी मारे गये। परन्तु कोई भी महत्वपूर्ण स्थान इन आक्रान्ताओं के कब्जे में नहीं आया। आक्रान्ताओं के साथ युद्ध करते हुए 21 पुलिस कर्मचारी, 5 भारतीय सेना के अधिकारी तथा 41 अन्य रैंकों के सैनिक मारे गये। 2 पाकिस्तान के सैनिक अधिकारी तथा 151 अन्य आक्रान्ता मारे गये हैं और इन सब की लाशें बरामद हो गयी हैं। कुल अनुमान यह है कि 300 व्यक्ति मारे गये हैं अथवा बुरी तरह घायल कर दिये गये हैं जिनमें से अधिकारी भी हैं। समाचार आ रहे हैं कि आक्रान्ताओं को काफी अधिक हानि उठानी पड़ी है। काश्मीर घाटी के अतिरिक्त आक्रान्ता लोग पूरी युद्ध विराम रेखा के साथ-साथ काफी संख्या में तैनात हैं। इन को पूरी तरह समाप्त करने में कुछ समय लग सकता है।

पाकिस्तान ने जो बड़े व्यापक रूप से संगठित घुसपैठ का आयोजन किया और तोड़-फोड़ के कार्य किये, उसमें उनका लक्ष्य कारगिल क्षेत्र भी था। ऐसा करके उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा हमें दिये गये आश्वासनों का भी उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षकों को नीचा दिखाया है। पाकिस्तान ने युद्ध विराम रेखा का जो चिन्ताजनक व नंगे रूप में उल्लंघन किया है उसकी सूचना संयुक्त राष्ट्र संघ

[श्री यशवन्त राव चव्हाण]

के महामंत्री को दे दी गयी है । यह पता चला है कि पाकिस्तान मुजफ्फराबाद से छः मील दूर खारी कस्बे में रेडियो प्रसारण भी कर रहा है, जिसका तथाकथित नाम सदाए कश्मीर है । भारतीय सेना ने संयुक्त राष्ट्र संघ के आश्वासन पर ही कारगिल और स्कार्दू चौकियां छोड़ी थीं कि भविष्य में पाकिस्तानी हमारी सप्लाई लाइन पर हमला नहीं करेंगे । खेद है कि हमारी यह आशा झूठी सिद्ध हुई है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों की बात भी नहीं मानी गयी है ।

मैं इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि भारत काश्मीर में पाकिस्तान द्वारा पैदा किये गये खतरे का बड़े प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करेगा । जम्मू और काश्मीर की जनता के सहयोग से हम इस दिशा में पूर्णतः सफल होंगे । यह हो सकता है कि कुछ समय लग जाये । जिन लोगों को आक्रान्ताओं द्वारा हानि पहुंचाई गयी है उनकी सहायता के लिए भी हम शीघ्र ही कार्यवाही कर रहे हैं । हमने पाकिस्तान के इस आक्रमण की ओर भी सभी मित्र देशों का ध्यान आकृष्ट करवा दिया है । आशा है कि वे पाकिस्तान को इस प्रकार के कृत्य करने से रोकें जो कि सभी प्रकार की शालीनता के विरुद्ध है । इसके गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं ।

मैं इस सम्बन्ध में जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री श्री सादिक की भी सराहना करता हूं । उन्होंने अपने साथियों समेत बहुत ही साहस के साथ सारी स्थिति का मुकाबला किया है । हमारी सेनाओं ने भी अभूतपूर्व साहस और वीरता का परिचय दिया है । मुझे आशा है कि वे अन्तिम रूप में विजयी होंगे । कच्छ के बारे में प्रधान मंत्री एक वक्तव्य देने वाले हैं । मैं भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर स्थिति के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4468/65 ।]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं किसी प्रश्न की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि इस पर अब चर्चा होने वाली है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): When the first question was going on you had said that as statement on Kashmir is coming, no more questions will be permitted.

Mr. Speaker: We cannot discuss an issue twice.

Shri Bagri: Those persons who gave notice of the calling Attention Notice should be allowed to put questions.

Mr. Speaker: Since it will be discussed in the routine, therefore it cannot be discussed twice.

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

तेल नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : मैं तेल नीति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4460/65 ।]

घोरी कोयला खान में दुर्घटना के बारे में विवरण

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : मैं बिहार के हजारी बाग जिले में घोरी कोयला खान में 28 मई, 1965 को हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4461/65]

हाल में हुई कुछ रेलवे दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में वक्तव्य

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): I beg to lay a statement on certain recent railway accidents on the Table of the House. [Placed in Library *See* No. LT 4462/65].

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव

MOTIONS OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्तावों की आठ सूचनाएं मेरे पास आई हैं। पहली सूचना श्री मसानी और श्री नारायण दांडेकर की है । यह एक सीधा सा प्रस्ताव है जिसमें कहा गया है कि इस सभा को मंत्रि-परिषद् में विश्वास नहीं है ।

दूसरा प्रस्ताव श्री स० मो० बनर्जी का है। उसमें दिये गये कारण इस प्रकार हैं :

"(क) कच्छ करार के संबंध में संसद् की राय न लेना ;

(ख) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से न रोकने में सरकार की असफलता;

(ग) बोनस की अदायगी के संबंध में नियोजकों के हितों की रक्षा करने के लिये ; और

(घ) सरकारी कर्मचारियों के लिये महंगाई सूत्र में दास आयोग द्वारा सुझाये गये तरीके पर परिवर्तन न करने में सरकार की असफलता ।

तीसरा प्रस्ताव श्री मधु लिमये के नाम में है । जिसमें कहा गया है :

"This House expresses its want of confidence in the present Council of Ministers.";

अगला प्रस्ताव श्री प्रकाश वीर शास्त्री का है जिसमें कहा गया है :

"This House expresses its want of confidence in the Council of Ministers".

अगला प्रस्ताव श्री उ० मू० त्रिवेदी द्वारा दिया गया है, जिसमें कहा गया है :

"यह सभा मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करती है" ।

अगला प्रस्ताव श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी के नाम में है जो कि इससे पहले वाले प्रस्ताव से मिलता जुलता है ।

अगला प्रस्ताव श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री दाजी, श्री इंद्रजीत गुप्त, श्री वासुदेवन नायर और डा० उ० मिश्र के नाम में है जिसमें ये ये कारण दिये गये हैं :

[अध्यक्ष महोदय]

(एक) कीमतों को रोकने में इसकी घोर असफलता ;

(दो) मुनाफाखोरों द्वारा अनाज की कमी की हालत पैदा किये जाने को रोकने में इसकी असफलता ;

(तीन) व्यापक आर्थिक संकट तथा विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति के लिये जिम्मेवार ;

(चार) लोगों के लोकतन्त्रात्मक तरीके के आन्दोलन को दबाना और उसके विरुद्ध भारत प्रतिरक्षा नियमों का इस्तेमाल किया जाना ;

(पांच) कच्छ में हमारी सीमा के बारे में मध्यस्थ निर्णय के लिये करार करना ;

(छै): प्रतिरक्षा के मामले में इसकी घोर "गैर-जिम्मेवारी"

अगला प्रस्ताव श्री याज्ञिक और श्री त्रिदिब कुमार चौधरी के नाम में है। इसमें दिये गये कारण इस प्रकार हैं ;

"देश में खाद्य तथा मूल्य संबंधी स्थिति को सुलझाने और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में इसकी घोर असफलता।"

जो सदस्य श्री मसानी के प्रस्ताव को अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं वे कृपया खड़े हो जायें।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

इनकी संख्या 50 से अधिक है। अतः अनुमति दी जाती है। बहस का समय और तिथि प्रधान मंत्री की सलाह से तय किये जायेंगे।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : इसके लिये सोमवार उपयुक्त दिन होगा।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : तो हम अगले सोमवार को इस पर चर्चा आरम्भ करेंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : आज की कार्य-सूची में प्रधान मंत्री द्वारा भारत-पाकिस्तान करार के संबंध में सभा पटल पर रखे गये विवरण पर चर्चा को भी शामिल किया गया है। क्योंकि यह करार अविश्वास प्रस्तावों की मुख्य बातों में से एक है, इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस विवरण पर चर्चा आज न की जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा किस प्रकार कर सकता हूं? यदि सरकार किसी चीज को लाती है तो उसे सामने रखना ही पड़ेगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I had given notice for an Adjournment Motion regarding Kutch, but that was rejected. Shastri ji is bringing forward a motion regarding that and therefore I do not insist. But I have given two calling attention Notices, one regarding movements in Bihar and other States and the other regarding failure of Government to tackle the food situation, which, I hope will be granted leave.

Mr. Speaker : For any complaint of this nature, he ought to have written to me or have seen me. By saying so in the House, he is contravening the decision of the House.

Shri Bagri (Hissar) **:** Kindly say which notices will be granted leave.

Mr. Speaker : I can decide this only after the Motion of no-confidence has been discussed.

हिन्दू धार्मिक धर्मस्व विधेयक

HINDU RELIGIOUS ENDOWMENTS BILL

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू लोक धार्मिक धर्मस्वों की अधिक अच्छी देखभाल और अधिक प्रभावी प्रबन्ध एवं तत्संबंधी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दू लोक धार्मिक धर्मस्वों की अधिक अच्छी देखभाल और अधिक प्रभावी प्रबन्ध एवं तत्संबंधी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री अ० कु० सेन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

खुदाबक्श ओरियन्टल पब्लिक लायब्रेरी विधेयक

KHUDA BAKSH ORIENTAL PUBLIC LIBRARY BILL

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लायब्रेरी, पटना, को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने वाले तथा इसके प्रशासन एवं कुछ अन्य तत्संबंधी विषयों को व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खुदा बख्श ओरियन्टल, पब्लिक लायब्रेरी, पटना, को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने वाले तथा इसके प्रशासन एवं अन्य तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री मु० क० चागला : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

" कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री मु० क० चागला : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1965 द्वारा तुरंत विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जैसा कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम, 71 (1) के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

अधिलाभांश की अदायगी विधेयक

PAYMENT OF BONUS BILL

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ स्थापनाओं में काम करने वाले व्यक्तियों को अधिलाभांश का भुगतान करने तथा तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापति करने की अनुमति दी जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं विधेयक की पुरःस्थापन अवस्था पर विधेयक का विरोध करता हूं, क्योंकि अधिलाभांश आयोग के सदस्यों में से केवल एक सदस्य ने, जो कि नियोजकों का प्रतिनिधि था, भिन्न राय दी थी और उसी को स्वीकार कर लिया गया है और इसलिये इस विधेयक से मजदूरों के हितों को हानि पहुंचेगी ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय इसके गुण दोषों पर चर्चा नहीं की जा सकती ।

श्री स० मो० बनर्जी : विधेयक को जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय को कुछ कहना है ?

श्री संजीवय्या : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ स्थापनाओं में काम करने वाले व्यक्तियों को अधिलाभांश का भुगतान करने तथा तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री संजीवय्या : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अधिलाभांश की अदायगी अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: PAYMENT OF BONUS ORDINANCE

श्री संजीवय्या : मैं, अधिलाभांश की अदायगी संबंधी अध्यादेश, 1965 द्वारा तत्काल विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 71(1) द्वारा अपेक्षित है ।

गुजरात–पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के संबंध में भारत-पाकिस्तान करार के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: INDO-PAKISTAN AGREEMENT ON GUJARAT–WEST PAKISTAN BORDER

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ...

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : श्रीमन्, ...

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्ताव किये जाने के पहले ही ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : I want to say one thing about it...

Mr. Speaker : Only those who oppose can be given an opportunity.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I object to it.

Mr. Speaker : It is not proper to interrupt in this manner.

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मेरे द्वारा गुजरात-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के संबंध में जून, 1965 के भारत-पाकिस्तान करार के बारे में 16 अगस्त, 1965 को सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य पर विचार किया जाये ।"

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : सरकार ने इस प्रकार करार करके संविधान के उपबन्धों, संसद् के प्राधिकार और सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों का उल्लंघन किया है । संविधान की धारा 3 के अन्तर्गत किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद् को ही है । इस करार की धारा 3 (एक) (ख) में कच्छ के रण के 3500 वर्ग मील क्षेत्र पर पाकिस्तान के दावे को स्वीकार किया गया है । इसके बारे में इस सदन में कभी भी नहीं बताया गया था । इसके साथ-साथ सरकार आवश्यकता पड़ने पर 3500 वर्ग मील क्षेत्र को पाकिस्तान को समर्पित करने के लिये तैयार है । इस सभा में तो केवल सीमा पर निशान डालने की बात ही की गई थी । परन्तु इस करार में जो शब्द प्रयोग किया गया है, वह है "सीमा निश्चित करना" । इन दोनों बातों में बड़ा अन्तर है और इसका अर्थ पुनः सीमा निर्धारण करना भी हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना व्यवस्था का प्रश्न बताइये ।

श्री हेम बरुआ : बारी-बारी सभी बातों को ला कर मैं ऐसा कर रहा हूं । इस प्रकार सरकार ने इस सभा में दिये गये आश्वासनों को पूरा नहीं किया है ।

इस करार में एक न्यायाधिकरण के गठन का भी प्रस्ताव है । करार के अन्तर्गत दोनों सरकारों को न्यायाधिकरण के फैसले को मानना होगा । और उस पर कोई भी आपत्ति किसी भी आधार पर नहीं उठाई जा सकती है । इस प्रकार सरकार और संसद् दोनों इस करार से बंध गये हैं । भगवान न करे यदि फैसला हमारे विरुद्ध दिया गया तो क्या होगा ? इस करार का यह एक बहुत ही खतरनाक उपबन्ध है । और जैसा कि श्री कामत ने कहा संसद् की सर्वोच्चता को चुनौती दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप तो करार के गुण-दोषों पर चर्चा कर रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ : संविधान की धारा 2 और 3 के अन्तर्गत संसद् को जो प्राधिकार दिया गया है, इस करार से उसका उल्लंघन होता है ।

Shri Madhu Limaye : There is mis-statement in the Statement laid by the Prime Minister and, therefore, you should not allow him to move this motion.

Mr. Speaker : Even if there is mis-statement I have no right to ask the Prime Minister not to move this motion. After the discussion it is for the House to decide about the correctness or falsity of the Statement.

Shri Madhu Limaye : On the 3rd of March Shri Swaran Singh, in this House and Shrimati Lakshmi Menon, in the Rajya Sabha laid a Statement in which it was stated that the Pakistan launched their first aggression on Kutch for the first time on 25th January. On the basis of this many

Members of this House were led to believe that if *status quo ante* Ist January, 1965 is restored, the entire territory of Kutch would be cleared off the aggressors. But now the Prime Minister says that in part of that areas Pakistanis were patrolling even before Ist January, 1965. I want to draw your attention to this mis-statement of facts by Shri Swaran Singh and Shrimati Lakshmi Menon.

Mr. Harold Wilson, the Prime Minister of England, has said in the House of Commons that Pakistan Police should have the right of patrolling the whole of the Rann of Kutch area. As opposed to this our Prime Minister says that Pakistanis can patrol only on the Ding-Surahi Road. But no such mention has been made in the Agreement. As such how are we to know as to what we are discussing ?

In the Agreement it has been mentioned that patrolling will be done only in those areas where it was done before Ist January, 1965. But those areas have not been mentioned anywhere in the Agreement where patrolling was done before the said date. This lie will also come to light very soon.

Therefore, I appeal to the Prime Minister through you to withdraw this motion.

Shri U.M. Trivedi (Mandsaur) **:** Earlier a resolution had been adopted in this House that not an inch of our territory would be compromised. Now in view of the present Agreement regarding Kutch which forbids our army to enter certain parts of our territory, has not the Prime Minister committed a breach of Privilege of this House ? By *status-quo-ante* he meant something which is against our national interests and for which he did not take this House into confidence.

Under the Agrement we can have only civil posts in those areas and our army cannot go there. This is what is meant by *Status-quo* in the Agreement. The Prime Minister has committed a breach of trust. He kept the House in the dark. This has led to the defamation of this House. Therefore, I want your guidance on this point whether breach of privilege has been committed.

Mr. Speaker : Has the hon. Member also given notice for breach of Privilege?

Shri U.M. Trivedi : It struck me while Reading. If you say, I can give the notice.

Mr. Speaker : How can I ask you to give notice ?

Shri U.M. Trivedi : My second point of order is that under the Constitution more save Parliament has the right to alter the boundary of any State. In the Beru Bari case the question was raised whether any authority other than Parliament can surrender even an inch of our territory to any other country. On the basis of the decision in that regard amendment was made in the relevant Article of our Constitution. After that the position is that without the sanction of Parliament not an inch of the territory of this country can be bargained.

[Shri U. M. Trivedi]

Now the question is whether that Agreement can be considered in this House as it is not in accordance with the provisions of the Constitution ?

Mr. Speaker : One question raised by Shri Trivedi is that a breach of privilege of this House has been committed. Even if a Minister gives a wrong statement, it does not amount to a breach of privilege unless he has deliberately tried to mislead the House. Whether there is such a situation, this can only be known after we have discussed it.

The next question he has raised is about the Agreement.....

Shri Bade (Khargon) : *Status-quo-ante.*

Mr. Speaker : This thing will come in the discussion.

Shri Madhu Limaye : What is 'deliberately'? That is the point at issue.

Mr. Speaker : The Government have the right to conclude agreement with the Government of foreign countries for running the administration of the country.....

Shri Bagri (Hissar) : No part of our territory can be surrendered without the sanction of Parliament.

Mr. Speaker : This we will know when we discuss.

Shri Bagri : What do the law and the Constitution say ?

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : 3500 square miles of land....

Mr. Speaker : I do not think I have right to say that this will not be discussed. It will be discussed. The hon. Prime Minister may start.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये हैं मैं उनको.....

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Government have the right to conclude agreement regarding the import and export of goods and such other matters. But no Government has the right to surrender the territory of the country to any other country.

Mr. Speaker : The House is discussing a very serious matter yet the hon. Members are going on speaking one after the other.

Shri Bagri : You should tell the Prime Minister not to be disloyal to the country.

Mr. Speaker : If he does not sit, I will have to say.............

Shri Ram Sewak Yadav : He should speak in the mother tongue, Hindi.

Shri Bagri : Mr. Speaker............

Mr. Speaker : Now I would ask Shri Bagri to leave the House.

Shri Bagri : I will leave, but you should at least listen to my........

Mr. Speaker : I do not want to listen arguments.

Shri Bagri : This is not a question of argument. We must be given the opportunity to speak.

Mr. Speaker : He is going on speaking.

Shri Bagri : There are troubles and disturbances in the country and yet you do not allow us to speak any thing .

Mr. Speaker : He is compelling me to take the next step.

Shri Bagri : Mr. Speaker............

Mr. Speaker : Now, he should sit down.

Shri Bagri : We would like to hear him in Hindustani............

Mr Speaker: He is persistently obstructing the proceeding of the House.

Shri Bagri : He is talking something which is against the interest of the country. He is intending to bargain the land of the country.

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री बागड़ी को सत्र की शेष अवधि के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि श्री बागड़ी को सत्र की शेष अवधि के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये "।

Shri Ram Sewak Yadav : No, No, No.

Shri Rameshwaranand : This can not be done.

Shri Ram Sewak Yadav : This can not be done . Votes should be taken on it.

Mr. Speaker : I am prepared to have a division on this motion.

सभा-कक्ष खाली कर दिये जाने चाहियें । **(अन्तर्बाधा)** सभा-कक्षों को खाली करने के लिये घंटी बजाई जा रही है ।

प्रश्न यह है .....

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्रीमान् जी, यद्यपि हम सब माननीय सदस्य के रवैये का अनुमोदन नहीं करते तथापि हम यह महसूस करते हैं कि जो उन्हें दण्ड दिया जा रहा है वह बहुत कड़ा है । अतः मैं सुझाव देता हूं कि उन्हें केवल एक सप्ताह के लिये सभा की सेवा से मुअत्तिल किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री द्विवेदी को बता दूं कि इस अवस्था पर प्रस्ताव में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता । वास्तव में मुझे इस बात का खेद है कि श्री द्विवेदी ने अब अपील की है । पहले विरोधी दल के किसी सदस्य ने कुछ नहीं कहा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : विरोधी दल के किसी सदस्य ने भी उनका समर्थन नहीं किया, यह तो आपने देखा ही होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं विरोधी दल को माननीय सदस्य पर अपना प्रभाव डालने के लिये कहता रहा हूं । मैं बार-बार कहता रहा हूं कि मैं ऐसी कार्यवाही नहीं करना चाहता । मैंने काफी अवसर दिया ; मैंने काफी नर्मी बरती ; मैंने सभा से तथा विशेषकर विरोधी दल से अपील की, परन्तु किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : श्रीमान्, इस बारे में हम सब आपके साथ हैं और हम सभा की प्रतिष्ठा को किसी भी तरीके से कम नहीं होने देना चाहते, परन्तु फिर भी हम महसूस करते हैं कि यह जो दण्ड दिया जा रहा है वह बहुत कड़ा है ।

अध्यक्ष महोदय : जैसे माननीय सदस्य को ज्ञात है, अब प्रस्ताव में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता ।

Shri Rameshwaranand (Karnal): I do agree with you, we want that due respect should be shown to you, but at the same time so much injustice should not be done. The sentence should be reduced to one day only.

Mr. Speaker : It is what I wanted, but the hon. Member refused to go out. I appealed again and again but it could not have any effect. I am sorry, I can not do anything in the matter at this stage.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने इस मामले को पिछली बार भी उठाया था जब ऐसा ही मामला सभा के विचाराधीन था तब आपने कहा था कि नियमों के अन्तर्गत प्रस्ताव में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता । तब मैंने अपील की थी कि सम्बन्धित नियमों को नियम 389 के अन्तर्गत निलम्बित कर दिया जाये । अतः श्रीमान् आप स्वयं इस अवधि को घटा सकते हैं । मैं अब विधि मंत्री, श्री सेन से अपील करता हूं कि वह एक संशोधन प्रस्ताव द्वारा इस अवधि को घटा कर सात दिन कर दें । मैं ऐसा करने के लिये प्रधान मंत्री से भी अपील करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस समय संशोधन प्रस्तुत करना मेरे लिये संभव है । प्रस्ताव अब सभा के सामने है और सभा ही इस में कोई परिवर्तन कर सकती है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या मैं अब प्रस्ताव करूं कि नियमों को निलम्बित कर दिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : आपको इस प्रस्ताव को वापिस लेने तथा एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—मध्य) : महोदय, आपका तथा विरोधी दल का यह काम है कि हम यह देखें कि कार्यवाही उचित प्रकार से हो, जिससे बातों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके । कभी-कभी सभा में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम में से कोई भी पसन्द नहीं करता ।

परन्तु क्या यह उचित है कि सत्र के पहले दिन ही एक सदस्य को इतना दण्ड दिया जाये। सभा जो कुछ करना चाहे कर सकती है। नियमों को निलम्बित करके एक संशोधन प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकती है। यह किया जा सकता है तथा ऐसा किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है कि उसी बात को पुनः दोहराया जा रहा है। क्या मैंने बार-बार यह नहीं कहा है कि मैं आज कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता ? क्या माननीय सदस्य ने इसका कोई प्रत्युत्तर दिया ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह तो सभी ने स्वीकार कर लिया है कि इस मामले में दण्ड अवश्य दिया जाना चाहिये। हमारा निवेदन यह है कि दण्ड को कम किया जाना चाहिये चाहे हमें ऐसा करने के लिये नियमों को भी निलम्बित क्यों न करना पड़े। माननीय विधि मंत्री को, जैसा कि पहले भी निवेदन किया जा चुका है, यह प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाये तथा उन्हें उस सदस्य को एक सप्ताह के लिये मुअत्तिल करने का एक अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने दिया जाये।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

Mr. Speaker : Does the Law Minister want to say something ?

श्री अ० कु० सेन : यदि आप इजाज़त दें कि नियम को निलम्बित कर दिया जाये, तो मैं सरकार की ओर से प्रस्ताव रखने के लिये तैयार हूं कि अवधि को घटा कर एक सप्ताह कर दिया जाये। **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे सन्देह है कि क्या इस अवस्था में नियम को निलम्बित किया जा सकता है, जब कोई प्रस्ताव किसी नियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया हो और वह सभा के समक्ष मतदान के लिये रखा जाने वाला हो। यदि माननीय मंत्री ऐसा करना चाहते हैं तो वह अपने पहले प्रस्ताव को वापिस ले सकते हैं तथा एक दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री अ० कु० सेन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : श्रीमन्, मैं इस सभा के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये भावों को अच्छी तरह समझता हूं। यह बहुत ही खेदजनक बात है कि सभा में कार्यवाही का संचालन इस तरीके से नहीं होने दिया जाता जो कि सभा की गरिमा के अनुरूप हो। निरन्तर गड़बड़ पैदा की जाती है। श्रीमान् जी, जब आप भी खड़े होते हैं तो आपको बोलने नहीं दिया जाता। जब कभी कोई मंत्री बोल रहा होता है अथवा उत्तर दे रहा होता है तो निरन्तर अन्तर्बाधा डाली जाती है। सभा में कुछ शिष्टता से कार्य होना चाहिये और यदि हम शिष्टता से कार्य नहीं करेंगे तो, मुझे यह खेद से कहना पड़ता है, हम न केवल भारत में परन्तु बाहर भी एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत कर रहे होंगे जो नितान्त हमारे विरुद्ध होगी। अतः मैं आप द्वारा सदस्यों से निवेदन करता हूं कि हमें कुछ नियमों तथा विनियमों का पालन करना चाहिये।

जहां तक इस विशेष मामले का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि यह पहला अवसर नहीं जब गागड़ी जी ने इस प्रकार का व्यवहार किया है, परन्तु मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप नियमों को

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

इस मामले में निलम्बित करने तथा विधि मंत्री को एक अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने की इजाजत दे दें। मुझे पूर्ण आशा है कि सारी सभा इससे सहमत है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि सभा पहले इस प्रस्ताव को वापिस लेने सम्बन्धी प्रस्ताव से सहमत है।

माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : अतः पहले प्रस्ताव को वापिस लिया जाता है।

श्री अ० कु० सेन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री बागड़ी को एक सप्ताह के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री बागड़ी को एक सप्ताह के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में —174 : विपक्ष में—15

Ayes—174 : Noes--15

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : Shri Bagri has put before the house the feelings of the Nation and he has been suspended, I, therefore walk out of the House.

[इस समय श्री किशन पटनायक तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये]

[*Shri Kishen Pattnayak and some other Members then left the House*]

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

अब हम प्रधान मंत्री का भाषण सुनेंगे।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : सभा को याद होगा कि पाकिस्तान द्वारा कच्छ के रन में किये गये आक्रमण के फलस्वरूप भारत तथा पाकिस्तान के बीच सैनिक मुठभेड़ होने का गम्भीर खतरा था, जो जैसा कि प्रतीत होता था, कच्छ-सिन्ध सीमा तक ही सीमित नहीं रह सकता था। मैंने तब यह स्पष्ट कर दिया था कि हम शान्ति चाहते हैं, परन्तु उसी समय हम अपने देश की रक्षा भी करना चाहते हैं।

पाकिस्तान ने शान्ति को भंग करने तथा दोनों देशों को सैनिक मुठभेड़ में फंसाने का हर प्रयत्न किया। सीमा के उस ओर जमा हुई पाकिस्तानी सेना द्वारा पैदा किये गये संकट का मुकाबला

करने के लिये हमने सेना को वहां भेजने के साथ साथ जो अन्य कार्यवाही की, उससे पाकिस्तान ने महसूस किया कि वह इस आक्रमण से कोई लाभ नहीं उठा सकता ।

काश्मीर में वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां पर युद्धविराम रेखा के उस पार से छापामार, जो कि असैनिक वेश में हैं परन्तु पूरी तरह से अस्त्र शस्त्रों से लैस हैं, भारी संख्या में घुस आये हैं । वे घुसपैठिये वहां पर विनाश तथा तोड़फोड़ की कार्यवाही कर रहे हैं । इन घुसपैठियों का पता लगाया जा रहा है और उनसे दढ़ता तथा प्रभावपूर्ण तरीके से पेश आया जा रहा है । मारे गये, घायल हुए तथा पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या काफी अधिक है । हमारी सुरक्षा सेनायें तथा पुलिस बड़ी वीरता से इस कार्य में लगी हुई हैं ।

यह दोनों स्थितियां जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है, भिन्न भिन्न समय पर पैदा हुई हैं और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि विद्यमान परिस्थितियों में जो कार्यवाही की गई है वह सब से अच्छी है । गुजरात-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा करार पर पिछले सत्र में सरकार द्वारा अपनाये गये उस रवैये के प्रकाश में विचार किया जाना चाहिये, जिसका इस सभा में पहले कई बार उल्लेख किया गया है ।

जैसा कि सभा जानती है कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री, श्री हेरोल्ड विल्सन ने 28 अप्रैल को कच्छ-सिन्ध सीमा पर उत्पन्न हुई स्थिति पर चिन्ता प्रकट करते हुए मुझे तथा राष्ट्रपति अयूबखां को यह लिखा था कि युद्ध बन्द करके उस स्थिति को पुनःस्थापित किया जाये जैसा कि 1 जनवरी, 1965 को थी, तथा उसके पश्चात् दोनों देश आपस में बातचीत करें । यह प्रस्ताव मूल रूप से हमारे रवैये के अनुरूप थे, इसलिये मैंने इनसे सहमति प्रकट करते हुए श्री विल्सन को उत्तर दिया । इसके पश्चात् काफी ब्यौरेवार बातचीत होती रही और अन्त में 30 जून, 1965 को भारत तथा पाकिस्तान के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किये गये ।

इस करार की मुख्य बातें यह हैं दोनों ओर युद्ध विराम के पश्चात् सेना को पीछे हटाना और उस यथापूर्व स्थिति को लाया जाना जैसी कि 1 जनवरी, 1965 को थी । जब यह सब हो जाये तो भारत तथा पाकिस्तान के मन्त्रियों के बीच बैठक हो और यदि उस बैठक में सीमा विवाद का कोई हल न निकल सके तो तब तीन व्यक्तियों का एक निर्पक्षीय न्यायाधिकरण स्थापित किया जाये जो इस मामले पर अपने विचार प्रकट करे । यह सब कदम उठाने के लिये करार में एक समय सीमा निश्चित कर दी गई है । युद्ध विराम के एक सप्ताह में सेनाओं को पीछे हटाने का कार्य पूरा करना है । यथा पूर्व-स्थिति को युद्ध विराम की तारीख से एक महीने में पुनः स्थापित करना है । मन्त्रियों की बैठक में चर्चा 2 महीने के भीतर तथा न्यायाधिकरण को युद्ध विराम के चार महीने के अन्दर स्थापित करना है ।

यह करार 1959 तथा 1960 के भारत-पाकिस्तान सीमा करारों के अनुरूप है जो सभा के समक्ष क्रमशः 16 नवम्बर, 1959 तथा 9 फरवरी, 1960 को रखे गये थे ।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले सत्र में दिये गये वक्तव्य में मैंने कहा था कि हम बात-चीत करने के लिये सहमत हो जायेंगे यदि पाकिस्तान हमारे राज्य क्षेत्र को खाली कर देगा तथा यथा पूर्व स्थिति को पुनः स्थापित कर देगा । मैंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान को कंजरकोट खाली करना होगा । यह सब कुछ पूरा किया जा चुका है । कंजरकोट, बियार-बेट तथा अन्य स्थानों पर, जिन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, अब पाकिस्तानी सेना नहीं है । पहली जनवरी, 1965 की स्थिति को पुनः लाने के सम्बन्ध में ब्यौरा तै करने के लिये दोनों सरकारों के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है ।

अब मैं यथापूर्व स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । सामान्य रूप से इसका अर्थ यह है कि उस यथापूर्व स्थिति को लाया जाना जो कि एक विशेष समय थी । ऐसा करके हमने कोई नया सिद्धान्त नहीं बनाया है ।

यह प्रश्न कि 1 जनवरी, 1965 को इन विभिन्न मामलों में वास्तव में क्या स्थिति थी, एक तथ्य का है और न कि किन्हीं प्रभुसत्ता के अधिकारों का । पाकिस्तान से आक्रमण को खाली कराने के लिये उस स्थिति को लाया जाना अनिवार्य समझा गया था । यह अन्तर्कालीन अवधि, जिसमें सीमा को सीमांकित करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा, बहुत ही छोटी है । यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सीमा का सीमांकन सम्बद्ध दस्तावेज़ों के आधार पर किया जायेगा और इसका वास्तविक अन्तर्कालीन स्थिति से कोई भी सम्बन्ध नहीं होगा ।

गश्त लगाने के सम्बन्ध में पाकिस्तान का यह दावा कि 1 जनवरी, 1965 को वे कच्छ के रन के बड़े क्षेत्र में गश्त लगा रहे थे, बिल्कुल आधारहीन है । अलबत्ता जब वे डिंग और सुराई के जो दोनों पाकिस्तान में हैं, बीच जो छोटी-सी पट्टी है तथा जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल निकट है, पर अवश्य गश्त लगाते रहे हैं, परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस पट्टी का प्रयोग करने से पाकिस्तान का इस पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं हो जाता ।

मैं अपना कथन समाप्त करने से पूर्व कश्मीर के बारे में कुछ शब्द और कहना चाहता हूं । जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, कि सशस्त्र हमलावरों ने नागरिकों के छद्मवेष में धोखेबाजी से युद्ध विराम रेखा पार की है । प्राप्त सूचना के अनुसार तथा जैसा कि अभी प्रतिरक्षा मन्त्री ने बताया, इन लोगों को पाकिस्तान की सशस्त्र सेना तथा उसके अफसरों ने तोड़ फोड़ तथा विध्वंसात्मक कामों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया हुआ था। बन्दी बनाये गये लोगों के बयानों से जाहिर होता है कि वर्तमान सैनिक कार्यवाहियों के बारे में योजना बनाई गई है और पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुमोदन से उन्हें संचालित किया जा रहा है ।

कश्मीर में इस समय स्थिति पूर्णतः नियन्त्रण में है । आक्रमणकारियों को स्थानीय जनता की मदद से भी खोज कर पकड़ा जा रहा है । सरकार तथा कश्मीर की जनता इस चुनौती का सामना करने के लिए तयार है, और मैं जनता के साहस तथा जी० एम० सादिक साहिब के सुयोग्य नेतृत्व में जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा प्रदर्शित शौर्य तथा दढ़-संकल्प के लिए उन्हें बधाई देता हूं ।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उसने कच्छ अथवा कश्मीर के सम्बन्ध में उत्पन्न स्थिति का अपनी परिस्थितियों के अधीन यथासम्भव हर प्रकार मुकाबला किया है । सरकार भविष्य में भी ऐसा करती रहेगी—किन्तु इस सभा से प्राप्त होने वाले जोरदार समर्थन से उसके हाथ काफी मजबूत हो जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि प्रधान मंत्री द्वारा गुजरात-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के सम्बन्ध में जून, 1965 के भारत-पाकिस्तान करार के बारे में 16 अगस्त, 1965 को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य पर विचार किया जाये ।"

इस सम्बन्ध में कुछ स्थानापन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सभा द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ किये जाने से पूर्व मैं दो बातों के लिए निवेदन करना चाहता हूं। प्रथम यह कि प्रस्ताव के महत्व को ध्यान में रखते हुए उस पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय नियत किया जाए. . .

अध्यक्ष महोदय : आज 4 बजे (म० प०) कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक हो रही है और इस बारे में चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा दूसरा निवेदन यह है कि प्रधान मन्त्री ने कहा कि पाकिस्तान के झूठे दावे सम्बन्धी कुछ दस्तावेज अथवा प्रमाण ब्रिटिश प्रधान मन्त्री के समक्ष पेश किये गये हैं। इस सभा में होने वाली चर्चा को सफल, लाभदायक तथा सहायक बनाने के उद्देश्य से, ब्रिटिश प्रधान मन्त्री के समक्ष पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज एवं प्रमाण—इस सभा के समक्ष लाये जाएं क्योंकि गत सत्र में सभा को **यथापूर्व स्थिति** के प्रश्न पर इन बातों के बारे में अवगत नहीं कराया गया था।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : I beg to move substitute motion No. 2

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बृजराज सिंह (बरेली): मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5, 6 तथा 7 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ओझा (सुरेन्द्रनगर) : कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाए, अर्थात्:—

"यह सभा, गुजरात-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के सम्बन्ध में जून, 1965 के भारत-पाकिस्तान करार के बारे में प्रधान मन्त्री द्वारा 16 अगस्त, 1965 को सभा पटल पर रखे गये विवरण पर विचार करने के पश्चात्, उसका अनुमोदन करती है।"

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 10 प्रस्तुत करती हूं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 13 प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (बिजनौर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ये सभी स्थानापन्न प्रस्ताव अब सभा के समक्ष हैं।

श्री रंगा (चित्तूर) : काश्मीर में युद्ध विराम रेखा के उस पार तथा देश के अन्दर जो कुछ हो रहा है, उससे हम सभी चिन्तित हैं। ऐसा समझा जाता है कि ये घुसपैठिये, जिन्होंने हम पर अचानक आक्रमण किया है, तथाकथित आजाद काश्मीर से आ रहे हैं और हमारे देश के अधिकतर लोगों की यह आशंका है कि उन्हें पाकिस्तान सरकार से प्रेरणा मिली है और वे पाकिस्तान से ही अधिक संख्या में आ रहे हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

मैं अपनी पार्टी द्वारा अपनाये गये इस रवैये को पुनः दोहराना चाहता हूं कि यदि हमें प्रगति करनी है, तो हमें शान्ति स्थापना तथा भारत और पाकिस्तान के बीच शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाने के

[श्री रंगा]

लिये एक दीर्घकालीन कार्यक्रम को निश्चय ही अपना लक्ष बनाना पड़ेगा । अतः हम चाहते हैं कि हमारी सरकार तथा इस देश की कोई भी भावी सरकार को इन दो देशों के बीच शान्तिपूर्ण, मैत्री तथा सौहार्द सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए ।

किन्तु इस समय हमें अति गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । पाकिस्तानी शासकों ने यह धारणा बना ली है कि पाकिस्तान तथा भारत के बीच बार-बार संकट पैदा करने से उन्हें लाभ होगा । किन्तु उनकी यह धारणा गलत ही नहीं अपितु विनाशकारी भी है । हमें इससे बहुत दुख हुआ है और इसीलिए जब हमने यह देखा कि पाकिस्तान ने कच्छ सीमा के सम्बन्ध में किये गये 1960 के करार का उल्लंघन करते हुए उसने हमारे राज्यक्षेत्र में अपनी सेनाएं भेज कर यह संकट पैदा किया है, तो हमें वस्तुतः बहुत दुख हुआ और हमने सरकार का उसके द्वारा पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को कच्छ सीमा पर से खदेड़ने के सम्बन्ध में किये जा रहे प्रयत्नों का यथासम्भव हर प्रकार समर्थन किया । 1960 करार के अनुसार भी, इस प्रकार की उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण खण्डों, यथा खण्ड 6, 7, 9, 17, 18, 20 तथा 22 की व्यवस्था थी । मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हू कि उस करार में दोनों सरकारों ने इस बात को मान लिया था कि उक्त कण्डिकाएं 6 तथा 8 के सम्बन्ध के उपबन्धों के होते हुए भी, उन क्षेत्रों में, जिन के नामों के बारे में विवाद सम्बंधित सरकारों के पास निर्णयार्थ पड़े हुए हैं, यथापूर्व स्थिति जिसमें प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा सम्बन्धी उपाय भी शामिल हैं, दृढ़तापूर्वक कायम रखी जायेगी ।

दूसरी बात यह है कि दोनों ओर के पुलिस सुपरिन्टेडेंट की प्रतिमास भेट होनी थी । मैं जानना चाहता हूं कि उस समय जब पाकिस्तानी हमारे इलाके पर कब्ज़ा जमा रहे थे तो यह सवाल क्यों नहीं उठाया गया ? क्या हमारी ओर से इस बारे में लापरवाही नहीं की गई ? यदि हम सतर्क होते तो पाकिस्तानी इस प्रकार न घुसपैठ कर पाते और इस प्रकार की स्थिति न उत्पन्न होती । पिछले पांच सालों में पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन किया है । उसने सीमा के क्षेत्र में चौकियां बनाई हैं और समझौते की शर्तों के प्रतिकूल कार्यवाही की है । खेद है कि हमने इस के विरुद्ध कुछ नहीं किया है । हमने तो समझौते के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग भी नहीं किया । केवल फरवरी-मार्च में हमें ध्यान आया कि हमें कुछ करना चाहिये । इन वर्षों में गुजरात तथा केन्द्रीय सरकार के बीच एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपी गई । गुजरात सरकार का कहना है कि उसने केन्द्र को सचेत कर दिया था और केन्द्रीय सरकार का मत है कि यह काम कि मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी । ऐसी स्थिति में हम दोनों को वर्तमान कठिनाई के लिये जिम्मेदार ठहराते हैं। वर्तमान समझौते के अधीन पाकिस्तान को सुरई-डिंग मार्ग पर गश्त करने का अधिकार मिला है । इस के बारे में हमें श्विवास था कि यह इलाका हमारे क्षेत्र में था परन्तु पाकिस्तान ने ब्रिटेन के प्रधान की उपस्थिति में कुछ प्रमाण प्रस्तुत किये कि वे उस क्षेत्र में पहले ही गश्त लगाते थे । अतः हमारी सरकार को समझौते की यह बात माननी पड़ी । अब हमें कहा जा रहा है कि इस का अनुमोदन किया जाये । काश्मीर में भी पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर घुसपैठ शुरू कर दी है । हमें अब उस जगह भी उस का मुकाबला करना है । ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी मजबूर हो गई है कि हम कम से कम एक ओर तो शान्ति स्थापित कर सकें। और इस का समर्थन करें । इस समझौते से आशा बंधी थी कि दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा, परन्तु

यह आशा समाप्त हो गई है । इस सब के लिये पाकिस्तान जिम्मेदार है । उस के द्वारा काश्मीर में की गई गड़बड़ इस बात का प्रमाण है । इससे दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है ।

यदि हमारे देश की सरकार मजबूत तथा शक्तिशाली होती तो पाकिस्तान ऐसा करने का साहस ही न करता । सरकार ने अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से नहीं निभाया। इस कमजोर नीति का पाकिस्तान ने लाभ उठाया हैं और हमें यह निराशाजनक स्थिति में आना पड़ा है । फिर पाकिस्तान का साथ चीन ने भी दिया है । हमारी कमजोर नीति से पाकिस्तान अनुचित लाभ उठा रहा है । वह अमरीका और चीन दोनों से सैनिक सहायता प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार वह गड़बड़ करके हमारे आर्थिक विकास में बाधायें खड़ी कर रहा है । आज वियतनाम में साम्यवादियों के विरूद्ध पश्चिमी देश सहायता कर रहे हैं । हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं हैं । यह हमारी गलत नीति के कारण है । हमें अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये। तभी हम अन्य देशों को मित्र बना सकते हैं और पाकिस्तान तथा उस के साथी चीन का कारगर ढंग से मुकाबला कर सकते हैं । प्रधान मंत्री ने सभी दलों से सहयोग देने की अपील की है । हमें उनसे पूरी सहानुभूति है । परन्तु हम चाहते हैं कि वह पूरी क्षमता और राजनैतिक सूझबूझ का प्रमाण दें । नेफा तथा कच्छ की घटनाओं से पता चल गया है कि यह सरकार बाहर के आक्रमणों तथा अन्दर की अन्य समस्याओं को सुलझाने में असफल है ।

हम अपने देश की पुलिस तथा सेना पर गर्व करते हैं । इन्होंने शौर्य और वीरता का परिचय दिया है और काश्मीर तथा कच्छ शत्रु के दांत खट्टे किये हैं । देश सेना का आभारी है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : जून के महीने में जब कच्छ समझौते का समाचार दिया गया था तो सम्पूर्ण देश में इस का स्वागत किया गया था । लोगों को विश्वास हो गया था कि पहले की सी स्थिति के अनुसार समझौता हुआ है । एक बार तो युद्ध का खतरा टल गया था। पाकिस्तान ने सभी चौकियां खाली करनी थीं । देश ने समझा था कि हमारी बात मान ली गई है परन्तु इस समझौते की शर्तों के अध्ययन से पता चला कि सरकार ने देश के लोगों को धोखे में रक्खा है ।

आप समझौते का अच्छी प्रकार अध्ययन करें तो पता चलेगा कि हमें अपनी सेनाएं सीमा से बहुत पीछे हटानी हैं जबकि पाकिस्तान को कुछ चौकियां खाली कर ठीक सीमा पर चले जाना है । यह झगड़ा 1959 से चला आ रहा है और फिर 1960 में एक समझौता भी हुआ था। 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। ऐसी स्थिति में यदि हमारी सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर आती है । हमें यहां पर आश्वासन दिया गया था कि सीमा के सभी क्षेत्रों की रक्षा की जायेगी परन्तु खेद है कि ऐसा नहीं हो पाया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या गुजरात सरकार ने कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया है ? वास्तव में हमारी सेनाएं बहुत समय बाद में भेजी गई हैं। आरंभ में तो पुलिस ने बड़ी वीरता से शत्रु का मुकाबला किया था। सरकार ने उन वीर सिपाहियों को पुरस्कार भी प्रदान किये हैं । मेरा अनुरोध है कि जिन सिपाहियों ने पश्चिमी बंगाल में दाहग्राम में बहादूरी दिखाई थी उन को भी पुरस्कार दिये जायें । उनके बारे में राज्य सरकार ने पहले ही सिफारिश कर दी है। डिग-सुरई मार्ग की जिस पर पाकिस्तानी पुलिस गश्त लगा रही है क्या पहले भी ऐसे ही था। ऐसा जान पड़ता है कि हमारी सरकार के लापरवाही के कारण इस मार्ग पर पाकिस्तानी पुलिस 1-1-1965 से पहले भी गश्त लगाती थीं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने देश को इस

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

बारे में अंधेरे में क्यों रखा है। क्या हमारे देश का गुप्तचर विभाग इस बारे में कुछ नहीं कर रहा था। हमें यह बताया जाता है कि 1962 के नेफा के दुखद अनुभव के पश्चात हमारे गुप्तचर विभाग में बहुत सुधार किये जा रहे हैं परन्तु खेद की बात है कि इस विभाग को इस क्षेत्र में पाकिस्तान की गतिविधियों का पता नहीं चला। कल प्रधान मंत्री ने लाल किले से जो भाषण दिया है वह ठीक मालूम नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा है कि कच्छ क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और पुलिस नहीं है और हमारा पूर्ण अधिकार है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या डिंग-सुरई मार्ग पर पाकिस्तानी पुलिस गश्त नहीं लगाती ? अब इस समझौते के अन्तर्गत हमने पाकिस्तान के दावों को मान्यता दे दी है। वहां पर पहले से सीमा-कंन पत्थरों को उखाड़ना पड़ेगा। हमने अपने ही क्षेत्र को पंचाट का विषय बनाने की बात मान ली है। यह सब हमने ब्रिटेन सरकार की चालों में फंस कर किया है। ब्रिटेन सरकार सदैव पाकिस्तान का साथ देती रही है। पाकिस्तान द्वारा काश्मीर में घुसपैठ इसीलिये की जा रही है कि वहां पर भी गड़बड़ उत्पन्न की जाये और ऐसी स्थिति खड़ी कर दी जाये कि ब्रिटेन एक तृतीय पक्ष के रूप में वहां भी पंचाट की बात आरंभ कर दे। और कच्छ के समझौते की शान्ति में हमें फंसा लिया जाये। यदि तीन सदस्यों वाला न्यायाधिकरण एकमत से निर्णय न कर सके तो स्थिति क्या होगी ? यदि यह निर्णय हमारे विरुद्ध हुआ तो हमें उसे मानना होगा क्योंकि हमने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर सब बातें दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित की जायेंगी। हमें खेद इस बात का है कि लन्दन जाने से पहले प्रधान मंत्री ने यह नहीं बताया था कि पाकिस्तान के दावों को एक न्यायाधिकरण को सौंपा जायेगा। यह ठीक है कि युद्ध विराम हो गया है परन्तु इस के बदले में हम देश की प्रभूसत्ता की सौदेबाजी नहीं कर सकते। कच्छ की लड़ाई में 'पेटन' प्रकार के टैंक देखे गये थे। यह अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दिये गये थे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अमरीका हमारा मित्र है या नहीं ? ऐसी स्थिति में हमें अमरीका से किसी प्रकार की सहायता की आशा नहीं करनी चाहिए। मेरा दल चाहता है कि समझौते के पंचनिर्णय के भाग में परिवर्तन करना चाहिये। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारे तथाकथित पश्चिमी मित्र हमें काश्मीर के विषय में भी ऐसा समझौता मानने पर मजबूर करेंगे। हमें दृढ़ रवैया अपनाना चाहिये। यह स्थिति बहुत गम्भीर है और इसलिये प्रधान मंत्री जनता को स्पष्टतया यह बतायें कि हम अपनी प्रभुसत्ता के बारे में कोई निर्णय नहीं चाहते। आज तक किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया।

कुछ समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने लद्दाख की सीमा का सीमांकन करने के बारे में चीन से कहा था कि यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जाये। चीन इस बात से सहमत नहीं हुआ था। परन्तु यह बात सबको मालूम है कि लद्दाख की सीमाओं का सीमांकन नहीं हुआ है। इसीलिये प्रधान मंत्री नेहरू ने कहा था कि प्राप्य दस्तावेजों तथा अभिलेखों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में मध्यस्थ निर्णय द्वारा इस सीमा का सीमांकन हो सकता है। परन्तु कच्छ तथा सिन्ध की सीमा एक मानी हुई अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है और फिर भी आपने इस मामले को पुनः मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंप दिया है।

इसलिये इस समझौते से देश के लिये बहुत गम्भीर समस्याएं पैदा हो जायेंगी तथा इस समय सारे देश में तरह तरह की गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। इसलिये यदि यह सरकार इस देश की प्रादेशिक अखण्डता तथा सार्वभूम अधिकारों की रक्षा करना चाहती है तो वह इस समझौते में मध्यस्थ निर्णय के बारे में जो खण्ड है उसे रद्द कर दे।

श्री सचीन्द्र चौधरी (घाटल) : श्रीमान्, काश्मीर में हो रही घटनाओं की पृष्ठभूमि में हम इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। युद्ध विराम रेखा की दूसरी ओर से वहां बहुत से लोग घुस आये हैं। परन्तु हमारी सेनाओं तथा पुलिस ने घुसपैठियों को काश्मीर से भगाया है अथवा वे उनको वहां आने से रोकने में सफल हुये हैं। घुसपैठ खुला आक्रमण नहीं होता और लोग नागरिकों के भेस में घुस आते हैं। इसलिये किसी भी सेना के लिये घुसपैठ रोकना सम्भव नहीं है। इस सम्बध में काश्मीर की जनता द्वारा दिया गया सहयोग सराहनीय है। यदि उन्होंने सहयोग न दिया होता तो घुसपैठियों को रोकना सम्भव न होता।

दूसरी ओर बैठे हुये मेरे मित्र एक ओर तो यह कहते हैं कि भारत सरकार ने कुछ नहीं किया है, वे यूं ही बैठे रहे हैं और कोई सेना आदि नहीं बनाई है। दूसरी ओर वे हमारी सेनाओं को उनकी सफलताओं पर बधाई देते हैं। सेनाओं का उत्साह रक्षा मंत्रालय ने बढ़ाया है अथवा भारत सरकार ने बढ़ाया है। यदि हमारी सेनायें आज इस योग्य हैं कि किसी भी स्थिति का मुकाबला कर सकें। इसमें घबराने का कोई भी कारण नहीं है।

अब यही प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान द्वारा की गई धोखे की कार्यवाही को देखते हुये हम इस समझौते का पालन करें अथवा नहीं। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के नाते हमें इस समझौते पर चलना चाहिये। लोगों द्वारा चुनी गई इस सरकार ने समझौता स्वीकार किया है और किसी भी नागरिक को, जिसे इस देश पर गर्व है, यह सुझाव नहीं देना चाहिये कि सरकार इस समझौते का विरोध करे। श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा श्री रंगा ने इस समझौते की कटु आलोचना की है। अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार का यह तकाजा है कि दूसरा पक्ष इस समझौते पर अमल करेगा और ऐसा कोई कदम नहीं उठायेगा जो उसके विरुद्ध हो। यदि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया तो वह इसकी सजा भुगतेगा।

सभा के उस ओर बैठे हुए मेरे मित्रों ने यह कहा है कि हमें समझौता नहीं करना चाहिये था। परन्तु उन्होंने यह नहीं कहा कि क्या करना चाहिये था। इसका बिल्कुल विकल्प यही था कि हम पाकिस्तान पर आक्रमण कर देते। परन्तु हमारी सरकार एक लोकतन्त्रात्मक सरकार है और हम विवाद को निपटाने के अन्य उपाय सोचे बिना ऐसा नहीं कर सकते। जब हम वियतनाम के बारे में भी यही कहते हैं कि शान्तिपूर्ण साधनों से विवाद हल होना चाहिये, तब हम स्वयं कैसे आक्रमण कर सकते हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि युद्ध की घोषणा की गई होती तो अंततोगत्वा हमारे देश की विजय होती। परन्तु मुझे इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि हमें शान्ति के पथ पर चलना चाहिये और ऐसा ही हमारी सरकार ने किया है।

हमारी सरकार तथा प्रधान मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इस बुरी स्थिति को दूर किया है। मार्च तथा अप्रैल में सभा के सभी सदस्य सोच रहे थे कि क्या यह शान्ति चलती रहेगी अथवा युद्ध आरम्भ हो जायेगा। उस समय सभी जिम्मेवार नागरिकों ने यही सोचा होगा कि क्या किसी प्रकार युद्ध टल नहीं सकता। यदि समझौते के परिणामस्वरूप अब युद्ध टल गया है तो क्या अब हमारे लिये यह उचित है कि इसे स्वीकार करने के बजाये हम इसकी आलोचना करें।

ऐसा कहा गया है कि सरकार ने सीमा निर्धारण करने के लिये समझौता किया है और सीमा को सीमांकित करने के लिये नहीं। निर्धारण किये बिना किस प्रकार सीमा का सीमांकन हो सकता है। मेरे मित्रों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पूर्व तथा पश्चिम में स्तून गड़े हुये हैं। वहां स्तून हो सकते हैं परन्तु उनके अन्दर की ओर की भूमि पर पाकिस्तान ने दावा किया है। इस सम-

[श्री सचीन्द्र चौधरी]

झौते में केवल यही बात मानी गई है कि पाकिस्तान इस भूमि पर अपना दावा करता है और इससे अधिक कुछ नहीं। यदि युद्ध-विराम के लिये तथा पाकिस्तानी हमलावरों को देश से खदेड़ने के लिये, हमने उनकी यह बात मानी है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि यह मूर्खता है अथवा इसमें हमारी कमजोरी है ? मेरा निवेदन है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। जहां तक यथापूर्व स्थिति का सम्बन्ध है मेरे मित्रों ने यह कहा है कि "हम और क्या आशा कर सकते हैं। आप बेकार बैठे रहे तथा कुछ नहीं किया।" श्री इन्द्रजीत सिंह गुप्त ने यह कहा है कि डिंग-सुरई भारत में है। परन्तु मैं प्रधान मंत्री की बात से सहमत हूं कि वह पाकिस्तान में है। यदि यह पाकिस्तान में है तो उनके यहां आने को आक्रमण नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन्हें इस स्थान पर आने का अधिकार है। उन्होंने कहा है कि यह सिद्ध करने के लिये उनके पास साक्ष्य है। शान्ति के हित में डिंग-सुरई में पाकिस्तान द्वारा गश्त लगाये जाने को स्वीकार किया गया है। हमने अपनी सेना को अपने क्षेत्र में हटा लिया है जब कि पाकिस्तान ने अपनी सेना को अपने क्षेत्र में हटा लिया है। यह कहा गया है कि हमारी प्रभुसत्ता को कुठाराघात लगा है। परन्तु मैं यह कहूंगा कि हमारी प्रभुसत्ता पर कोई कुठाराघात नहीं लगा क्योंकि हमारी पुलिस को उस क्षेत्र में गश्त लगाने का अधिकार प्राप्त है। शान्ति बनाये रखने के लिये और युद्ध टालने के लिये हमने अपनी सेनायें कुछ पीछे हटा ली हैं परन्तु यह बात नहीं है कि यदि उस क्षेत्र में फिर झगड़ा आरम्भ हुआ तो हमारी सेनायें आगे नहीं बढ़ेंगी।

दूसरा तर्क यह दिया गया है कि इस न्यायाधिकरण का निर्णय हम पर बाध्य होगा। परन्तु इस न्यायाधिकरण में ऐसे लोग होंगे जो न्याय तथा ईमानदारी की दृष्टि से विश्वविख्यात हों। इन पर कोई दबाव नहीं डाला जायेगा। यह न्यायाधिकरण ईमानदारी से काम करेगा और हमें आशा है कि हम जो दस्तावेज तथा साक्ष्य उसके समक्ष रखेंगे उसके आधार पर कच्छ के रन का यह क्षेत्र हमारा राज्यक्षेत्र घोषित होगा और वहां हमारी प्रभुसत्ता को कायम रखा जायेगा। यदि हम तर्क के लिये यह मान लें कि यह न्यायाधिकरण ईमानदारी से काम नहीं करेगा तो ऐसा कोई अन्तर्राष्ट्रीय कानून नहीं है जिसके आधार पर हमें इसका निर्णय मानना ही पड़ेगा। यदि हम संसार के सामने यह सिद्ध कर दें कि बेईमानी हुई है तो कोई भी हमें इस निर्णय को मानने के लिये नहीं कहेगा परन्तु यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि यह न्यायाधिकरण ईमानदारी से काम करेगा। इस न्यायाधिकरण को दोनों देशों की परिस्थितियों की जानकारी होगी और तथ्यों तथा उनको उपलब्ध की जाने वाली जानकारी के आधार पर हम उनसे यह आशा करते हैं कि वह मतैक्य से अपना निर्णय देंगे। हमारा मामला न्याययुक्त होने के नाते हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिये।

ऐसा प्रतीत होता है कि जहां तक हमारी सेनाओं का प्रश्न है, हमें यह विश्वास है कि हमारी सेनायें विजय प्राप्त कर सकती हैं परन्तु जहां तक वार्ता का प्रश्न है, हमें यह डर है कि हम इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण हमारे विरुद्ध क्यों निर्णय देगा जब कि हमारा मामला न्याय है। आजकल दो राष्ट्रों के बीच विवाद युद्ध द्वारा नहीं बल्कि वार्ता द्वारा हल किये जाते हैं।

यह सुझाव दिया गया है कि हमें समझौता करने से इनकार करना चाहिये। इसका परिणाम क्या होगा ? क्या युद्धविराम के बाद दोनों सेनायें वर्षों तक आमने सामने तैनात रहेंगी ? क्या हम एक दूसरे के प्रति इस दुर्भावना को हमेशा के लिये रहने देंगे या इस समस्या का कोई हल निकालेंगे ? यदि इसका कोई उचित हल निकालना सम्भव हो तो वह निकाला जाना चाहिये।

कहा गया है कि हम पर लन्दन से दबाव डाला गया है। यदि हमारे कहे बिना कोई मित्र हमारे पड़ोसी से हमारे विवाद को हल करने में हमें सहायता दे तो हमें यह नहीं कहना चाहिये कि वे हमारे हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार के लिये इस से अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती कि वह इस समझौते को न मानती। हमारा देश शान्ति प्रिय देश है। अतः इसके लिये लड़ाई का रवैया अपनाना ठीक नहीं। हमने विश्व में शान्ति के लिये बहुत कार्य किया है अब हम स्वयं युद्ध आरंभ कर दें, यह बात उचित नहीं। हम चाहते थे कि आक्रमण से पहले की स्थिति स्थापित की जाये। हम अपने अधिकारों को पुनः मनवाना चाहते थे। हम इस बात में सफल हुए हैं। हमारी प्रभुसत्ता में अन्तर नहीं आया है। शान्ति को बनाये रखने के लिये हमने पाकिस्तान की यह बात अस्थायी रूप से मानी है कि उसकी पुलिस एक मार्ग पर गश्त कर सकेगी। मेरे विचार में सदन को इस समझौते का सर्वसम्मति से अनुमोदन करना चाहिये।

Shri Yajnik (Ahmedabad) : Mr. Deputy Speaker, Sir, at the time of this agreement I visited that area and found that our Army and Air Force was fully prepared for offensive action. It is sad to say that when we were in a position to push back the enemy, orders were issued from New Delhi that we should stop. It was at the instance of our leaders here. I was hurt to listen this. On reading the terms of the agreement, I was all the more disappointed. Under the agreement our army was to withdraw far behind within our own territory whereas Pakistan forces were to go just beyond the border. I want to know as to what our Government has been doing since 1960 when they knew full well that Pakistan was claiming 3500 square miles of our territory in Rann of Kutch. Our Government did not take this seriously.

[**श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए**
SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

We did not send our army to this area. I cannot understand that our army is being withdrawn from our own territory now. I do not know whether you know that tract from Ding to Surai is only on Indian territory. This has been shown to British Prime Minister and the Gujarat Government has not consulted. That Government was responsible for patrolling in that area. Gujarat Government does not know that Pakistan police was patrolling that area, where they have been given this right now. Pakistan has shown some forged photographs to the British Prime Minister Mr. Harold Wilson. On the basis of those photographs our Prime Minister has also been convinced. Pakistan's claim on 3500 square miles of our territory cannot be accepted. We do not know when this area was under Pakistan's control.

Now Pakistan has started a new attack on Kashmir. In this hour of emergency we should stand united and help our Government in its efforts to repulse the attack. We had entered into this agreement with Pakistan with a view that it will help in bringing the two countries closer to each other and existing tension between the two will disappear. It is very sad that Pakistan want to take undue advantage of our leniency towards that country. She has attacked Kashmir. This can bring about large scale fighting. We should tell the Pakistan Government that her attack is unprovoked and it is naked aggressions. It will have serious repercussions.

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : आजकल पाकिस्तान ने काश्मीर पर आक्रमण किया हुआ है। ऐसी पृष्ठभूमि में कच्छ समझौते की आलोचना होना स्वाभाविक है। हमें कच्छ के मामले को एक पृथक मामला समझना चाहिये। इस समझौते में सभी बातें स्पष्ट रूप से तय की गई हैं। इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समय निर्धारित कर दिया गया है। इस पर व्यावहारिक रूप से अमल होने पर इस झगड़े का समाधान होने की पूरी आशा है।

यहां कहा गया है कि इस समझौते को रद्द कर दिया जाये। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। इससे पाकिस्तान को हमारे विरुद्ध प्रचार करने का एक हथियार मिल जायेगा। विदेशों में हमारे लिये यह ठीक प्रकार का प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा। हमें काश्मीर के झगड़े को कच्छ समझौते के साथ नहीं जोड़ना चाहिये। ये दोनों अलग अलग मामले हैं। कच्छ में तो केवल सीमांकन किया जाना है। हमारी जानकारी में यह बात भी आयी है कि कुछ पश्चिमी देश अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। उनके रेडियो प्रसारण से इस बात का आभास होता है।

मेरा अनुरोध है कि हम शान्ति के लिये प्रयत्न करें परन्तु देश की अखण्डता को भी बनाये रखें। हमें इस समझौते का समर्थन करना चाहिये। पंचनिर्णय का भी यहां पर विरोध किया गया है। यह उचित नहीं है। इसके बारे में तो 1959 के समझौते में भी उल्लेख था। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त की इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस समझौते के अधीन 3500 वर्गमील भूमि की सौदेबाजी की जा रही है। इस समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान ने वह क्षेत्र खाली कर दिया है। अब उसकी पुलिस डिंग-सुरई मार्ग पर गश्त करती है। यदि हम शान्ति के इच्छुक हैं तो उसके लिये हमें दूसरे पक्ष वालों की भी कोई बात माननी पड़ेगी। उस क्षेत्र में सीमा का सीमांकन नहीं हुआ है। अब इस समझौते के अनुसार यह कार्य किया जायेगा। प्रतिपक्ष वालों को इस समय सरकार का साथ देना चाहिये।

हमें देश की अन्य समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिये। हमारी आर्थिक स्थिति संतोष-जनक नहीं है। हमें अपने देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करना है। यह स्थिति लगभग सभी अफ्रीकी-एशियाई देशों की है। ऐसी हालत में शान्ति का स्थापित करना बहुत आवश्यक है। इसलिये मैं इस समझौते का समर्थन करता हूं। यदि पाकिस्तान गड़बड़ के मार्ग को नहीं छोड़ता तो यह बहुत खेद की बात होगी।

काश्मीर के मामले में हमें सरकार की पूर्ण सहायता तथा समर्थन करना चाहिये और उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिये। हमें अपने आप में विश्वास होना चाहिये। हमें अपने मनोबल पर भरोसा करना चाहिये और हमें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिये।

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमंद) : यदि कच्छ के बारे में हुए समझौते को अलग से लिया जाये और भारत-पाकिस्तान के सभी मतभेदों को इससे सम्बद्ध न किया जाये तो इस समझौते को भली प्रकार समझा जा सकेगा। प्रतिपक्ष वाले आजकल की गम्भीर स्थिति से लाभ उठाना चाहते हैं। वे देश की जनता में गलत बातें फैला रहे हैं। संयुक्त समाजवादी पार्टी देश में गड़बड़ फैलाने पर तुली हुई है।

यदि हम कच्छ के समझौते का ठीक प्रकार अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि यह समझौता हमारे हित में है।

प्रधान मंत्री ने कहा था कि 1–1–65 वाली स्थिति स्थापित होनी चाहिये। उस समय भी डिंग-सुरई मार्ग पर पाकिस्तानी पुलिस गश्त करती थी। अतः हमने यह बात यदि मानी है तो

इसमें आलोचना की कोई बात नहीं है। सीमा विवाद के लिये पंचनिर्णय वाली बात 1959 से चली आ रही है। इस पर यहां सदन में पहले भी चर्चा हो चुकी है। यह कोई नई बात नहीं की गई है। प्रतिपक्ष वालों ने पहले तो कभी इस की आलोचना नहीं की थी। अब वह दलगत लाभ उठाना चाहते हैं।

इस समझौते से हमारी लगभग सभी बातें मान ली गई हैं। पाकिस्तान ने चौकियां खाली कर दी हैं और उसकी सेना तथा पुलिस भारतीय क्षेत्र से वापिस चली गई है। यह सब हमने अपनी राजनैतिक सूझबूझ से कराया है। इस सब का श्रेय हमारे प्रधान मंत्री की बुद्धिमत्ता को है।

इस सब के होते हुए भी अब हमें पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन लाना चाहिये। हमें यह समझ जाना चाहिये कि केवल बातों से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया है। हमारी शान्ति की बात की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। हमें अपनी बात बताने और विदेशों में अपना प्रचार कार्य सुदृढ़ करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता था कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच कोई भी विवाद न हो। किन्तु जब पाकिस्तान ने कच्छ-सिन्ध सीमा पर आक्रामक कार्यवाही की तो स्वाभाविक तौर पर स्थिति यह हो गई कि भारत तथा पाकिस्तान ने वहां अपनी अपनी सेनाएं भेजी और युद्ध छिड़ गया। स्वाभाविक है कि इससे मित्रों को चिन्ता हो गई कि भारत तथा पाकिस्तान को लड़ना नहीं चाहिए और उनके बीच का विवाद मित्रभाव से तय किया जाना चाहिए। दो राष्ट्रों के बीच मित्रता तथा सौहार्द सदैव सराहनीय है किन्तु तिस पर भी प्रश्न दो राष्ट्रों के बीच विवाद हल करने का है, यह किसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित नहीं है। इसलिए हमें सम्बन्धित राष्ट्र की प्रतिष्ठा तथा गरिमा के प्रति उचित ध्यान देना आवश्यक है।

इस विषय पर कई बार सभा में चर्चा हो चुकी है और इस प्रश्न पर कई अवसरों पर प्रधान मंत्री तथा अन्य लोगों द्वारा वक्तव्य दिये जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में भी आश्वासन दिये गये थे कि हम पाकिस्तान से तब तक वार्ता नहीं करेंगे जब तक कि वह अपने द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को खाली करने को तैयार न हो जाए। हमने पाकिस्तान को एक छोटे से भू-भाग पर, जो हमारी समझ से, हमारे ही देश का एक अंग है, अपना कब्जा बनाये रखने की अनुमति दे दी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस राज्यक्षेत्र के अधिपति भारतीय यह भी नहीं जानते थे कि भारत का एक छोटा सा भू-भाग, जो हमारा ही राज्यक्षेत्र है, वह भारत के नहीं, अपितु कुछ समय से पाकिस्तान के कब्जे में है। इससे यह प्रतीत हो जायेगा कि हमें सत्रह साल बाद भी अपने राज्य क्षेत्र की सीमाओं के बारे में वास्तविक जानकारी नहीं है।

मुझे इस बात पर अब भी बहुत आश्चर्य होता है कि इस करार पर हस्ताक्षर करते समय तथा इस प्रक्रिया को स्वीकार करते समय गुजरात सरकार से बिल्कुल भी परामर्श नहीं किया गया। भारत के प्रधान मंत्री को यह विदित होना चाहिए कि कथित विवाद ग्रस्त भू-भाग गुजरात राज्य के क्षेत्राधिकार में है। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि कुछ बातों में गोपनीयता रखनी पड़ती है, किन्तु यदि सरकार अपने ही पदाधिकारियों से बात गुप्त रखती है और उन्हें पूर्णतः अनभिज्ञ बनाये

1042 (Ai)LS—10.

[डा० मा० श्री० अणे]

रखती है, और तत्पश्चात् उस क्षेत्र के प्रभारी पदाधिकारियों से आधारिक जानकारी प्राप्त किये बिना ही किन्हीं विशेष शर्तों को स्वीकार कर लेती है तो उसके बाद यह एक गम्भीर मामला बन जाता है। मैं नहीं जानता कि इस बात में कितनी सचाई है, किन्तु मेरे मित्र श्री याज्ञिक ने, जो थोड़ी देर पहले बोले हैं, यह आरोप लगाया है। इसलिए यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर हमने पाकिस्तानी सेना को गश्त लगाते रहने की वस्तुतः अनुमति दे दी है यद्यपि उनके साथ हमारा युद्ध-विराम करार अथवा समझौता है।

इसके पश्चात् इस मामले को किसी न्यायाधिकरण को सौंपे जाने का प्रश्न सब से अधिक कठिन एवं विवादास्पद है। यदि हमें इस बात का पक्का यकीन है कि हमने कच्छ के रन-क्षेत्र को अपने अधिकार में रख कर किसी विदेशी राज्य क्षेत्र की एक इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं किया है, तो इस विवाद को किसी न्यायाधिकरण को सौंप कर, मेरी राय में, हम उस क्षेत्र पर अपने सावभौम अधिकार को संकट में डाल रहे हैं। मेरी राय में, कोई भी राष्ट्र इस बात को सहन नहीं कर सकता कि उसके ही राज्य क्षेत्र पर उसकी प्रभुसत्ता के प्रश्न को किसी मध्यस्थ व्यक्ति की इच्छानुसार होने वाले निर्णय के लिए छोड़ दिया जाए। यह हो सकता है कि मध्यस्थ व्यक्ति न्याय तथा निपटारे की सच्ची भावना से प्रेरित हो कर काम न करे। मैं जानता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी हद तक भारत के विरुद्ध हैं। गोवा के प्रश्न को लेकर हम पर जो गम्भीर आरोप लगाये गये तथा हमारी जो कटु आलोचना एवं निन्दा की गई--वे वक्तव्य इस कथन की अभिपुष्टि के द्योतक हैं। वे लोग अवसरवादी नीति का अनुसरण करते हैं।

मुझे यह आशंका है कि न्यायाधिकरण सम्बन्धित खण्ड पर अपनी स्वीकृति देकर हमने अपने ही राज्य क्षेत्र पर अपनी प्रभुसत्ता के बारे में सन्देह पैदा कर लिया है। सरकार द्वारा किये गये ऐसे किसी भी करार को अनुसमर्थन के लिए उसे संसद् के समक्ष लाना पड़ता है। अब एक न्यायाधिकरण की स्थापना की जा रही है जिसका निर्णय करार के उपबन्धों के अनुसार अन्तिम माना जायेगा। इससे संसद् का इसे स्वीकार करने अथवा रद्द करने का अधिकार कम हो जाता है। ऐसा करने से हम संसद् के क्षेत्राधिकार को घटा रहे हैं। सरकार का कर्तव्य केवल प्रजातंत्रात्मक अधिकारों की ही नहीं अपितु इस सर्वोच्च संसद् के अधिकार की भी रक्षा करना है। मेरा विश्वास है कि सरकार ने इस शर्त को मान कर, इस प्रश्न पर संसद् का अन्तिम निर्णय देने के अधिकार का एक प्रकार से हनन किया है।

इसके अलावा, एक और अधिक खतरे की बात यह है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच किसी भी अन्य विवाद के निपटारे के लिए इसे एक पूर्वोदाहरण के रूप में मानना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि इस खण्ड को करार में क्यों समाविष्ट किया गया है। जहां तक न्यायाधिकरण का सम्बन्ध है उस के लिए प्रत्येक पक्ष अपना सदस्य मनोनीत करेगा और जिन के द्वारा सभापति मनोनीत किया जायेगा। अन्ततः तीसरा आदमी इसका निर्णय करेगा। ऐसा लगता है कि यह करार किसी मानसिक अथवा नैतिक दबाव के अधीन किया गया है जिसमें इस बात को ध्यान में रखा गया है कि वर्तमान संकट को दूर किया जाए तथा किसी प्रकार का हल ढूंढा जाए, ताकि हम युद्ध से मुक्त हो जाएं। इसीलिए लोग यह महसूस करते हैं कि यह करार उनकी इच्छा के अनुकूल नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह युद्ध करने तथा रक्त बहाने के लिए तैयार रहे और अपनी सेनाओं को वीरता से लड़ने के लिए तैयार करे। अपने उद्देश्य का औचित्य सिद्ध करने पर नहीं अपितु सरकार द्वारा

वास्तविक कार्य किये जाने पर ही राष्ट्र उसका समर्थन करेगा। यदि विदेशी द्वारा हमारी प्रभुसत्ता का अतिक्रमण किया जाता रहा तो उससे स्थिति का बिगड़ कर एक गम्भीर रूप धारण करने का खतरा है।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा): मैं सरकार द्वारा किये गये इस करार का समर्थन करता हूं। पाकिस्तानी हमारे राज्य क्षेत्र में घुस आये हैं। पहली चीज़ यह है कि उन्हें सशस्त्र संघर्ष द्वारा वापस खदेड़ दिया जाए। किन्तु युद्ध से कभी भी किसी समस्या का हल नहीं हुआ है; और इसलिए सर्वोत्तम मार्ग यही था कि एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जो हमारे सम्मान एवं गरिमा के अनुकूल हो। अंग्रेजों के समय में, कच्छ भारतीय शासकों के अधीन था और सिन्ध ब्रिटिश राज्य के अन्तर्गत एक अलग प्रान्त था। अतः यह इस प्रकार का क्षेत्र है कि सीमा अच्छी प्रकार से निर्धारित है। हमारे पास देश-विभाजन के पूर्व के कई मानचित्र एवं अन्य कागजात मौजूद हैं जो हमारे क्षेत्र की सीमा को निश्चित रूप से प्रदर्शित करेंगे। इसलिए यदि इस मामले को किसी मध्यस्थ निर्णय अथवा निष्पक्ष न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाता है तो हमें चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं।

करार के लिये प्रधान मंत्री द्वारा रखी गई मुख्य शर्त यह थी कि पाकिस्तान ने आक्रमण के बल पर जिस क्षेत्र पर अपना अधिकार किया हुआ है, वह उस क्षेत्र को खाली कर दे और इस पहली शर्त को पाकिस्तान ने मान लिया है। वास्तव में उन्होंने भारतीय राज्यक्षेत्र से अपनी सेना तथा पुलिस वापस हटा ली है। इसलिए यह करार करके प्रधान मंत्री ने कोई गलती नहीं की है। इस सभा में यह वचन दिया गया था कि जब तक पाकिस्तान कब्जा किये हुए प्रदेश को खाली नहीं करेगा, कोई समझौता नहीं किया जायेगा। और हमारा यह विश्वास था कि इस समझौते से तनाव कम हो जायेगा। परन्तु हम यह भूल गये कि बिना काश्मीर की समस्या सुलझाये, पाकिस्तान का रवैया नहीं बदलेगा। परन्तु इन परिस्थितियों में हमने जो समझौता किया है वह सब से उत्तम है। मैं इस समझौते का समर्थन करता हूं।

Shri J. P. Jyotishi (Sagar) : This country is a peace-loving country and wants to settle all disputes on the table and by discussions, but the infiltration by Pakistan into Kashmir is a challenge to the people of this country. On the one hand they are carrying out peaceful negotiations and on the other hand they are stabbing us on the back. We had entered into this agreement on the insistence of Britain and America, because for any peace-loving country it is essential that it should listen to the advice tendered by friendly and peace-loving countries.

The people of this country have been very much agitated over this step taken by Pakistan in Kashmir. We must consider this problem with a cool mind. We should not forget the principles set out by our ancestors. We have settled the Kutch dispute peacefully. Our only condition was that we will not enter into the agreement if Pakistan imposes any condition which injures our national honour.

Our first condition was that the aggression should be vacated. Pakistan moved its armies from the area and we also removed our armies from certain places and posted our police force there instead. In entering into this agreement we did not surrender our self-respect, but we extended a friendly hand towards Pakistan so that the problem may be solved peacefully.

[Shri J. P. Jyotsi]

But Pakistan did not reciprocate our friendly and peaceful gesture; althoug it accepted the agreement in writing for one part, but committed aggression on the other part.

This action of Pakistan brings us to the Cross-roads; whether we should continue our peaceful gesture towards Pakistan. There is a good deal of resentment against Pakistan in the country. But I would appeal to those people, who are holding demonstration on a mass scale, that they should unite and appeal to the peace-loving countries to see whether Pakistan's action is not a threat to the peace of the world.

I give utmost importance to love and peace. But if peaceful efforts are taken as a sign of weakness then we should strengthen our country. If the peace-loving countries of the world do not raise their voice against such aggressions as are committed by Pakistan, then I am doubtful whether we can follow peaceful policy for long. Giving of armaments to Pakistan by America is not a friendly act towards India. America should see to it that they are not misused.

The agreement which we entered into is our gesture towards removing war hysteria. We have shown to Pakistan that even at this stage when our faith in peaceful means is staggering, we have tried to find a peaceful solution. But if Pakistan is violating this agreement, we cannot say that the decision taken by our statesmen is wrong.

Shri Bishanchader Seth (Etah) : It is the moral duty of every Government to assess the feeling of the country. But it is our misfortune that the rulers of the country and the bureaucracy of the country do not care for the feelings of the public of the country.

I am still not sure whether Kashmir and Kutch are dealt with by Shri Nanda or Sardar Swaran Singh. Late Pandit Nehru, in this very House . in 1953 had declared that an attack on Kashmir will be considered an attack against India. But it seems that our Government have forgotten these words of Pandit Nehru.

Time and again it is said that our security arrangements are satisfactory. But this large scale infiltration shows the state of our security. Had there been a little more delay, Kashmir would have been in the hands of Pakistan. It was shear luck that our honour was saved.

I have come to know that a D.I.G. with pro-Pakistan leanings was appointed for border security, but he tried to do some mischief and was arrested. I want to know why a person of doubtful leanings was appointed to a security post ?

I find contradiction in the statements made by our Prime Minister about Cease-fire. Why don't you make a clear cut statement. You should have confessed that you have made the agreement on your own territory. If you had done so then the resentment in the country would have been less. On the one hand you say that you have not bartered your honour, on the other hand you have vacated your own territory. You should not crush the feelings of the public.

If you want to work with honesty and the principles of humanity then you should attack Pakistan straight away. If they cannot attack Pakistan, let them at least recover the territory occupied by Pakistan. Then Pakistan will have to bow and sue for peace. You have bartered the honour of the country by entering into this agreement. This large-scale demonstration today shows the resentment in the country against the Government. People do not have faith in you. We should not try to hide the facts but should confess our weakness boldly.

The present tendency of the Government is creating a feeling of cowardice which is affecting our army also. If you want to strengthen the army, you must allow it to fight.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

सैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री राने (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का सैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 17 अगस्त, 1965/26 श्रावण, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 17, 1965/Sravana 26, 1887 (Saka).

GMGIPND---LS---III---1042 (Ai) LS--15-10-65--600

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

1286 (ai) LSD—1.